वार्षिक प्रतिवेदन
एवं लेखा-विवरण
2025-26

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन एवं जीओजे एक संयुक्त उद्यम कंपनी)

सीआईएन : U45201JH2015GOI003139

पंजीकृत कार्यालय:

दरभंगा हाउस, मुख्य भवन, राँची -834029

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ सं.
1. संदर्भ सूचना	1
2. बैंक एवं अंकेक्षक	2
3. वार्षिक आप बैठक की सूचना	3
4. अध्यक्ष का संदेश	9
5. निदेशकों की रिपोर्ट	13
6. निदेशकों की प्रोफ़ाइल	77
7. स्वतंत्र अंकेक्षक की रिपोर्ट	82
8. वित्तीय विवरण	94

संदर्भ सूचना

निदेशक मंडल (31.07.2026 की स्थिति के अनुसार)		
श्री पवन कुमार मिश्रा (जेसीआरएल)	अध्यक्ष	(19.12.2022 से प्रभावी)
श्रीमती रागिनी अडवाणी	निदेशक	(01.06.2022 से प्रभावी)
श्री प्रिय रंजन परही	निदेशक	(09.05.2022 से प्रभावी)
श्री अजित कुमार मिश्रा	निदेशक	(24.06.2025 से प्रभावी)
श्री चंद्रशेखर तिवारी	निदेशक	(29.03.2025 से प्रभावी)
श्री प्रवीण कुमार प्रकाश	निदेशक	(18.03.2024 से प्रभावी)
श्री वेदव्यास हनमंतराव इनामदार	निदेशक	(18.04.2026 से प्रभावी)

निदेशक मंडल

(वर्ष 2025-26 के दौरान)

अध्यक्ष	
श्री पवन कुमार मिश्रा	(19.12.2022 से प्रभावी)

निदेशकगण	
श्रीमती रागिनी अडवाणी	(01.06.2022 से प्रभावी)
श्री प्रिय रंजन परही	(09.05.2022 से प्रभावी)
श्री अजित कुमार मिश्रा	(24.06.2025 से प्रभावी)
श्री चंद्रशेखर तिवारी	(29.03.2025 से प्रभावी)
श्री प्रवीण कुमार प्रकाश	(18.03.2024 से प्रभावी)
श्री शशांक शेखर झा	(15.06.2018 से प्रभावी)
श्री आनंद कुमार सिंह	(01.05.2025 से प्रभावी)
श्री पराग वर्मा	(11.10.2022 से प्रभावी)

अंकेक्षक

वैधानिक अंकेक्षक

आर.के. गारोडिया एंड कंपनी सनदी लेखाकार, 202, रामकिशन स्क्वायर,

लेक रोड, रांची।

सचिवीय अंकेक्षक

मेसर्स विद्या बैद एंड कंपनी., तृतीय तल, कक्ष सं. 39,

35 आर्मेनियन स्ट्रीट, कोलकाता, डब्ल्यूबी-700001

आंतरिक अंकेक्षक

जासो एंड कंपनी

लागत लेखाकार, गंगा स्टोर, एच बी रोड, कोकर

रांची-834009।

ऋणदाता

पंजाब नेशनल बैंक
एस एन गांगुली रोड, रांची
झारखंड-834001

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
115-116, रांची क्लब कॉम्प्लेक्स,
मेन रोड रांची

यूको बैंक
एफसीसी, इंडिया एक्स. प्लेस ब्रांच, (0002),
2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस कोलकाता - 700001

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
जीवन तारा बिल्डिंग,
5 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

पंजीकृत कार्यालय

दरभंगा हाउस, रांची

झारखंड - 834029

संदर्भ सं.: सीएस/जेसीआरएल/11वीं एजीएम/2026/17 दिनांक: 29.07.2026

सूचना

एतद्द्वारा अल्प सूचना दी जाती है कि कंपनी की ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को अपराह्न 3:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, दरभंगा हाउस, रांची - 834029, झारखंड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:

A. सामान्य कार्य:

मद सं. 1: विचार एवं अंगीकरण हेत कंपनी के 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के स्टैंडअलोन अंकेक्षित वित्तीय विवरण, जिनमें 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार अंकेक्षित तुलन-पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि खाता, नकदी प्रवाह विवरण तथा समस्त टिप्पणियाँ, वैधानिक अंकेक्षक एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट शामिल हैं।

मद सं. 2: श्री पवन कुमार मिश्रा (डीआईएन-09665365) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के अनुसार पारी-क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्तुत करते हैं।

मद सं. 3: श्रीमती रागिनी अडवाणी (डीआईएन -09575213) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के अनुसार पारी-क्रम से सेवानिवृत्त हो रही हैं तथा पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्तुत करती हैं।

मद सं. 4: वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड के वैधानिक अंकेक्षकों का अंकेक्षण शुल्क निर्धारित करना।

विचार करने तथा उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित संकल्प को संशोधन सहित अथवा संशोधन रहित एक सामान्य संकल्प के रूप में अनुसमर्थित करने हेतु:

"संकल्पित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142(1) एवं कंपनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के अनुसरण में, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सी&एजी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लेखों के अंकेक्षण हेतु नियुक्त वैधानिक अंकेक्षक मेसर्स आर.के. गारोडिया एंड कंपनी, रांची का पारिश्रमिक, जिसे 29.05.2026 को आयोजित 63वीं बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया, रु. 1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये) के साथ जीएसटी निर्धारित किया गया है, एतद्द्वारा अनुसमर्थित किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

ह/-
अमरेश प्रधान
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं. एफ-11264)

दिनांक: 29.07.2026
स्थान: रांची

एजीएम की तिथि	:	31 जुलाई 2026
एजीएम का स्थान	:	सीसीएल, दरभंगा हाउस, रांची 834029
पंजीकृत कार्यालय	:	सीसीएल, दरभंगा हाउस, रांची 834029 (झारखंड)
सीआईएन नंबर	:	U45201JH2015GOI003139

टिप्पणियाँ:

1. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022, 09/2023 दिनांक 25.09.2023, 09/2024 दिनांक 19.09.2024 तथा 03/2025 दिनांक 22.09.2025 (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" कहे जाने वाले) के माध्यम से, सदस्यों की किसी सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम ("ओएवीएम") के जरिए वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है।

   एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी अपने अधिकृत ईमेल आईडी से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु लिंक पर्याप्त पूर्व सूचना के साथ उपलब्ध कराएगी। बैठक में शामिल होने की सुविधा निर्धारित प्रारंभ समय से कम से कम 15 मिनट पूर्व खुली रखी जाएगी तथा बैठक आरंभ होने के 15 मिनट बाद तक सुलभ रहेगी।

2. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में, एजीएम में उपस्थित होने एवं मतदान करने का पात्र सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है तथा प्रॉक्सी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूँकि यह एजीएम एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा इस एजीएम हेतु उपलब्ध नहीं होगी तथा इसीलिए प्रॉक्सी फॉर्म एवं उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं की गई है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 एवं 113 के अनुसरण में, वीसी अथवा ओएवीएम के माध्यम से भागीदारी एवं मतदान हेतु सदस्यों के प्रतिनिधि नियुक्त किए जा सकते हैं।

4. अधिनियम की धारा 103 के अनुसार, एजीएम के कोरम की गणना हेतु वीसी के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी को सम्मिलित किया जाएगा।

   झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड के शेयरधारक, निदेशक तथा सचिवीय अंकेक्षक सहित अंकेक्षक, जो बैठक में उपस्थित होने और/अथवा मतदान करने के पात्र हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम (ओएवीएम) के जरिए भी बैठक में उपस्थित हो सकते हैं और/अथवा बैठक में विचारित मदों पर उपयुक्त चरण पर अपनी सहमति अथवा असहमति व्यक्त करने हेतु कोसेकीजेसीआरएल@gmail.com पर ईमेल भेजकर मतदान कर सकते हैं।

5. सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1)/कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार अल्प सूचना पर बैठक आयोजित करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करें।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171(1)(ब) एवं 189(4) के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में निरीक्षण हेतु खुले रखे जाने वाले रजिस्टर बैठक की अवधि के दौरान बैठक में उपस्थित होने का अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ रहेंगे।

7. चूँकि एजीएम परिपत्रों के अनुसार वीसी के माध्यम से आयोजित की जाएगी, अतः मार्ग-मानचित्र, प्रॉक्सी फॉर्म एवं उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं की गई है।

8. इस बैठक में पारी-क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे तथा पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशक का विवरण "अनुबंध-क" में दिया गया है।

वितरण:

I. सदस्यों

a. **सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड** सीसीएल, दरभंगा हाउस, रांची -834029 (झारखंड), भारत
b. **श्री पवन कुमार मिश्रा** जवाहर नगर, कांके रोड, रांची-834008
c. **श्री चंद्र शेखर तिवारी** जवाहर नगर, कांके रोड, रांची-834008
d. **श्री सुरेंद्र सिंह** पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063
e. **श्री वेदव्यास हनमंतराव इनामदार** कांके रोड, रांची, झारखंड
f. **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड** सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017
g. **झारखंड सरकार** एफएफपी बिल्डिंग, धुर्वा, रांची- 834004

II. अंकेक्षक

a. **मेसर्स आर. के. गारोडिया** रामकृष्ण स्क्वायर, लेक रोड, रांची-834001
b. **मेसर्स विद्या बैद एंड कंपनी** आर्मेनियन स्ट्रीट, कोलकाता-700001

III. निदेशक

a. **श्री पवन कुमार मिश्रा** जवाहर नगर, कांके रोड, रांची-834008
b. **श्री चंद्र शेखर तिवारी** जवाहर नगर, कांके रोड, रांची-834008
c. **श्री अजित कुमार मिश्रा** सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017
d. **श्री प्रवीण कुमार प्रकाश** एफएफपी बिल्डिंग, धुर्वा, रांची- 834004
e. **श्री प्रिय रंजन परही** जेएनयू न्यू कैंपस, दिल्ली-110067
f. **श्रीमती रागिनी अडवाणी** सी -4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017
g. **श्री वेदव्यास हनमंतराव इनामदार** कांके रोड, रांची, झारखंड

प्रतिलिपि:
कंपनी सचिव
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड , दरभंगा हाउस, रांची।

अनुलग्नक- 'क'

वार्षिक आम बैठक में पारी-क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे एवं पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का विवरण-

आम बैठक संबंधी सचिवीय मानक ("एसएस -2") के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का अपेक्षित विवरण नीचे सारणीबद्ध रूप में दिया गया है:

निदेशक का नाम एवं पदनाम	श्री पवन कुमार मिश्रा, निदेशक, जेसीआरएल
डीआईएन	09665365
जन्म तिथि	05.09.1973
राष्ट्रीयता	भारतीय
बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	19.12.2022
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार, श्री पवन कुमार मिश्रा पारी-क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं।
अंतिम आहरित पारिश्रमिक एवं प्रस्तावित पारिश्रमिक	लागू नहीं
योग्यता एवं अनुभव	**श्री पवन कुमार मिश्रा** ने 19 दिसंबर 2022 को झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वाणिज्य स्नातक तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के सदस्य, वे वर्तमान में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत हैं। जेसीआरएल में शामिल होने से पूर्व उन्होंने एक विद्युत वितरण कंपनी डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएनएचपीडीसीएल) तथा एक विद्युत उत्पादन कंपनी भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) में सीएफओ (मुख्य वित्तीय अधिकारी) के रूप में कार्य किया। उन्हें लेखांकन, वित्त एवं कराधान के क्षेत्रों में 20 वर्ष से अधिक का अनुभव है। अपने पूर्व व्यावसायिक कार्यकाल में, उन्होंने प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से विद्युत वितरण कंपनी के निजीकरण—जो अपनी तरह का पहला था—में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें कॉर्पोरेट लेखांकन एवं कराधान, पुनर्गठन सहित कॉर्पोरेट वित्तपोषण, वार्ता एवं दस्तावेज़ीकरण सहित वाणिज्यिक/परियोजना मूल्यांकन, बजट एवं बजटीय नियंत्रण, अंकेक्षकों के साथ कार्य, टैरिफ निर्धारण एवं अंतिम रूप देने सहित वाणिज्यिक अनुपालन, विद्युत क्रय समझौते को अंतिम रूप देने तथा विद्युत क्षेत्र में अन्य नियामक अनुपालनों का अनुभव है।

कंपनी में शेयरधारिता	100 शेयर
अन्य निदेशकों, प्रबंधक एवं अन्य केएमपी के साथ संबंध	शून्य
वर्ष 2025-26 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की संख्या	चार (04)
अन्य कंपनियों में धारित निदेशकता की सूची	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
जेसीआरएल में किसी अन्य समिति की अध्यक्षता/ सदस्यता	शून्य

वार्षिक आम बैठक में पारी-क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे एवं पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का विवरण-

आम बैठक संबंधी सचिवीय मानक ("एसएस-2") के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का अपेक्षित विवरण नीचे सारणीबद्ध रूप में दिया गया है:

निदेशक का नाम एवं पदनाम	श्रीमती रागिनी अडवाणी, निदेशक, जेसीआरएल
डीआईएन	09575213
जन्म तिथि	15.02.1975
राष्ट्रीयता	भारतीय
बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	01.06.2022
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार, वे पारी-क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं।
अंतिम आहरित पारिश्रमिक एवं प्रस्तावित पारिश्रमिक	लागू नहीं

योग्यता एवं अनुभव	श्रीमती रागिनी अडवाणी 01.06.2022 को जेसीआरएल के बोर्ड में शामिल हुईं। वे योग्यता से एक सनदी लेखाकार एवं लागत लेखाकार हैं तथा उन्हें वित्त में लगभग 25 वर्ष का योग्यता-पश्चात अनुभव है। वे सनदी लेखाकारिता एवं लागत लेखाकारिता दोनों परीक्षाओं में रैंक धारक रही हैं। इससे पूर्व उन्होंने तेल एवं गैस क्षेत्र की एक तकनीकी परामर्श सीपीएसई, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) में महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) के रूप में कार्य किया तथा 2 वर्ष तक अध्यक्ष कार्यालय का भी हिस्सा रहीं और ईआईएल में लगभग एक वर्ष तक कंपनी सचिवालय विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। उनका पूर्व अनुभव एनटीपीसी सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनएसपीसीएल) तथा केपीएमजी के साथ रहा। उन्हें कॉर्पोरेट वित्त में समृद्ध एवं विविध अनुभव है, जिसमें मूल्यांकन, विलय/विभाजन एवं अधिग्रहण, वित्तीय पुनर्गठन, कोषागार प्रबंधन, ऋण वित्तपोषण की व्यवस्था, कॉर्पोरेट नियोजन एवं बजटीकरण, वाणिज्यिक बिलिंग एवं ई-नीलामी के माध्यम से कोयले की खरीद, नियमित एमआईएस, सीएजी के साथ कार्य, टैरिफ आदेशों को अंतिम रूप देने हेतु सीईआरसी के साथ कार्य तथा दीर्घकालिक पीपीए पर हस्ताक्षर शामिल हैं।
कंपनी में शेयरधारिता	शून्य
अन्य निदेशकों, प्रबंधक एवं अन्य केएमपी के साथ संबंध	शून्य
वर्ष 2025-26 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की संख्या	चार (04)
अन्य कंपनियों में धारित निदेशकता की सूची	• इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड • छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड • छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड • महानदी कोल रेलवे लिमिटेड • इंडियन रेलवे स्टेशंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड • बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
जेसीआरएल में किसी अन्य समिति की अध्यक्षता/सदस्यता	शून्य

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से, मुझे कंपनी की 11वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। निदेशक मंडल की रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंकेक्षित वित्तीय विवरण, तथा वैधानिक अंकेक्षकों एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पहले ही सदस्यों को परिचालित की जा चुकी हैं और आपकी अनुमति से इन्हें पढ़ा हुआ माना जा सकता है।

मुझे वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान कंपनी के प्रदर्शन एवं प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है। एक वृहद अवसंरचना परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद, कंपनी शिवपुर–कठौतिया रेल लाइन के समयबद्ध निष्पादन, परियोजना क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने, तथा कुशल, सतत एवं रेल-आधारित कोयला निकासी की सरकार की परिकल्पना को आगे बढ़ाने पर केंद्रित रही। अब मैं वर्ष के दौरान किए गए कुछ प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्रों एवं पहलों को रेखांकित करना चाहूँगा।

शिवपुर–कठौतिया रेल लाइन: एक समर्पित कोयला निकासी गलियारा

शिवपुर–कठौतिया रेल लाइन झारखंड में 49 किलोमीटर लंबा, नया, पूर्णतः विद्युतीकृत ब्रॉड-गेज रेलवे गलियारा है, जिसे झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) द्वारा नॉर्थ करनपुरा कोलफील्ड्स से निकाले गए कोयले के परिवहन हेतु विकसित किया गया है। यह लाइन प्रमुख कोयला खदानों को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है, जिससे ताप विद्युत संयंत्रों तक कोयले का कुशल परिवहन संभव होता है तथा

सड़क परिवहन पर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आती है।

एक समर्पित कोयला निकासी गलियारे के रूप में अभिकल्पित यह परियोजना 125 एमटी की लक्षित वार्षिक उत्पादन क्षमता को सहारा देने हेतु बढ़ी हुई कोयला निकासी को सुगम बनाएगी। कोयले की आवाजाही को भीड़भाड़ वाले राजमार्गों से रेल पर स्थानांतरित करके, यह लाइन कोडरमा, झारखंड के रास्ते बड़े पैमाने पर होने वाले सड़क परिवहन को कम करेगी, जिससे लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार, परिवहन लागत में कमी, सड़क भीड़भाड़ में राहत तथा ट्रक-आधारित कोयला आवाजाही से जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों में कमी आएगी। जहाँ यह परियोजना सड़क भीड़भाड़ कम करके तथा खनन लॉजिस्टिक्स में सुधार लाकर झारखंड को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करती है, वहीं यह राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क के साथ निर्बाध संपर्क के माध्यम से बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा अन्य उत्तरी एवं पूर्वी राज्यों के ताप विद्युत संयंत्रों एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं तक कोयले की आपूर्ति को भी बढ़ाएगी। यह परियोजना माल-ढुलाई दक्षता में सुधार, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी तथा भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सहारा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कोयला मंत्रालय ने स्वच्छ, सुरक्षित एवं अधिक सतत लॉजिस्टिक्स तथा पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत रेल-आधारित कोयला परिवहन को प्राथमिकता दी है। शिवपुर–कठौतिया रेल लाइन इस रणनीति के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है, जो कोयले की सड़क आवाजाही को उत्तरोत्तर कुशल रेल संपर्क से प्रतिस्थापित करने के सरकार के प्रयासों को सुदृढ़ करती है। यह परियोजना पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान तथा समर्पित माल-ढुलाई गलियारा (डीएफसी) कार्यक्रम जैसी राष्ट्रीय अवसंरचना पहलों के अनुरूप है। ये पहलें मिलकर बहुविध संपर्क बढ़ाकर, माल-ढुलाई दक्षता में सुधार लाकर तथा भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक विकास को सहारा देकर एक आधुनिक लॉजिस्टिक्स तंत्र को गति दे रही हैं।

रेल मंत्रालय से सहयोग

रेल मंत्रालय, कोयला मंत्रालय के साथ निकट समन्वय में, समर्पित रेल गलियारों के विकास तथा बढ़ी हुई माल-ढुलाई क्षमता के माध्यम से भारत के कोयला लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को सुदृढ़ कर रहा है। झारखंड में टोरी–शिवपुर–कठौतिया रेल लाइन, छत्तीसगढ़ में ईस्ट रेल कॉरिडोर, तथा ओडिशा में महानदी कोलफील्ड्स हेतु रेल संपर्क परियोजनाओं जैसी रणनीतिक परियोजनाएँ रेल मंत्रालय, कोयला कंपनियों एवं राज्य सरकारों को सम्मिलित करने वाले संयुक्त उद्यमों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं।

इन निवेशों का उद्देश्य रेल क्षमता का विस्तार करना तथा खनन क्षेत्रों से प्रमुख उपभोग केंद्रों तक कुशल एवं पर्यावरणीय दृष्टि से सतत कोयला निकासी को सक्षम बनाना है। बेहतर रेल संपर्क लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेगा, सड़क नेटवर्क की भीड़भाड़ घटाएगा, माल-ढुलाई दक्षता बढ़ाएगा तथा भारत की ऊर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

प्रमुख प्रदर्शन विशेषताएँ

वित्तीय प्रदर्शन

आपकी कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान एक सुदृढ़ वित्तीय स्थिति बनाए रखी, जिससे परियोजना निष्पादन हेतु निधियों की समयबद्ध तैनाती सुनिश्चित हुई। वर्ष के दौरान, ₹2,564.34 करोड़ के संशोधित परियोजना लागत अनुमान को सभी प्रवर्तकों द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसमें सीसीएल तथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा ₹206.47 करोड़ का अतिरिक्त इक्विटी निवेश तथा ऋणदाता बैंकों के संघ द्वारा अनुमोदित ₹535.29 करोड़ का बढ़ा हुआ ऋण शामिल है; बढ़ी हुई सुविधा के वित्तीय समापन हेतु दस्तावेज़ीकरण प्रक्रियाधीन है। 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, कंपनी ने संशोधित परियोजना लागत का 68.99% वित्तीय प्रगति अर्जित की, जिसमें अनुमोदित एवं प्रतिबद्ध आहरण ₹1,259.75 करोड़

के विरुद्ध ₹1,258.28 करोड़ का संचयी संवितरण हुआ, जो 99.88% उपयोग को दर्शाता है। कंपनी परियोजना पूर्णता हेतु पर्याप्त तरलता बनाए रखते हुए विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन जारी रखे हुए है।

भौतिक प्रदर्शन (परियोजना अद्यतन)

49.085 किमी शिवपुर–कठौतिया रेल लाइन का निर्माण सिविल कार्य, ट्रैक बिछाने, विद्युतीकरण एवं सिग्नलिंग सहित प्रमुख घटकों में निरंतर प्रगति करता रहा, जिससे 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार 71.64% की समग्र भौतिक प्रगति अर्जित हुई। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में,कठौतिया एवं दुआरी माल शेड के बीच 13.250 किमी का खंड पूर्ण हुआ तथा 24 मार्च 2026 को इसकी वाणिज्यिक अधिसूचना प्राप्त हुई — यह लाइन का चालू किया गया पहला खंड है। इस संबंध में, कंपनी ने पूर्व में 12 सितंबर 2025 को एनटीपीसी लिमिटेड के साथ दुआरी माल शेड के उपयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन किया था, जिससे ₹60 प्रति टन के निकासी सुविधा शुल्क पर प्रतिदिन एक रेक कोयले की आवाजाही संभव होगी, जिससे लाइन का शेष खंड पूर्ण होने के दौरान ही कंपनी हेतु प्रारंभिक राजस्व सृजित होने की संभावना है। परियोजना समयबद्ध पूर्णता की दिशा में केंद्रित प्रयासों के साथ अपने निर्धारित मार्ग पर है, जिससे नॉर्थ करनपुरा कोलफील्ड्स से बढ़ी हुई रेल-आधारित कोयला निकासी संभव होगी।

सावधि ऋण की स्थिति

आपकी कंपनी परियोजना वित्तपोषण आवश्यकताओं एवं निर्माण उपलब्धियों के अनुरूप अपने स्वीकृत सावधि ऋण का उपयोग जारी रखे हुए है। ऋण आहरण का विवेकपूर्ण प्रबंधन किया गया है तथा कंपनी ऋणदाता संघ के समस्त वित्तपोषण दायित्वों का अनुपालन करती रही है, जिसने संशोधित परियोजना लागत को सहारा देने हेतु ₹535.29 करोड़ का अतिरिक्त ऋण भी अनुमोदित किया है, तथा सफल परियोजना पूर्णता को सहारा देने हेतु बढ़ी हुई सुविधा का वित्तीय समापन सक्रिय रूप से प्रक्रियाधीन है।

कॉर्पोरेट अभिशासन एवं निष्पादन उत्कृष्टता

कंपनी का प्रबंधन यह मानता है कि दीर्घकालिक मूल्य सृजन तथा हमारे हितधारकों का विश्वास बनाए रखने हेतु प्रभावी अभिशासन आवश्यक है। तदनुसार, कंपनी ने अभिशासन संरचनाओं को सुदृढ़ करने, निर्णय-प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देने तथा सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयास किए हैं। निदेशक मंडल की रिपोर्ट में कॉर्पोरेट अभिशासन पर एक पृथक अनुभाग जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 2025-26 हेतु सचिवीय अंकेक्षण भी एक अभ्यासरत कंपनी सचिव द्वारा किया गया, जिन्होंने एक अनर्हता-रहित रिपोर्ट दी। जेसीआरएल में, हम कॉर्पोरेट अभिशासन, पारदर्शिता तथा जवाबदेही के उच्च मानकों को बनाए रखते हैं; इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, कंपनी ने लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईएस) हेतु कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों का काफी हद तक पालन किया है।

चुनौतियाँ एवं आगे का मार्ग

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) को उच्च परियोजना निष्पादन जोखिमों, लंबित ग्रीनफील्ड निर्माण, तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) पर यातायात निर्भरता का सामना करना पड़ता है। आगे का मार्ग 49.085 किमी शिवपुर-कठौतिया ब्रॉड गेज लाइन को चालू करने पर केंद्रित है, जिससे कोयला परिवहन दूरियाँ अत्यधिक कम हो जाएँगी।

प्रमुख चुनौतियाँ

- परियोजना निष्पादन एवं विलंब: ₹2,564.34 करोड़ के रेल गलियारे हेतु शेष सिविल इंजीनियरिंग कार्यों की पूर्णता तथा ग्रीनफील्ड क्रियान्वयन की चुनौतियाँ।
- भूमि एवं अनापत्तियाँ: निर्माण के दौरान, सात गाँवों में अनधिकृत कब्जों के कारण

विलंब हुआ; जेसीआरएल ने सीसीएल की भूमि नीति अपनाई, जिसमें संरचना लागत का 90% मुआवजा दिया जाता है — 25% अग्रिम तथा शेष खाली करने पर। वर्ष के दौरान, दो गाँवों के कब्जाधारियों को ₹53.20 लाख का भुगतान किया गया, जिससे खाली कराए गए गाँवों की कुल संख्या पाँच हो गई, तथा शेष हेतु प्रयास जारी हैं।

- यातायात संकेंद्रण जोखिम: सीसीएल द्वारा नॉर्थ करनपुरा कोलफील्ड्स से कोयला उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि पर निरंतर निर्भरता।

आगे का मार्ग

- परियोजना का चालू होना: शिवपुर–कठौतिया विद्युतीकृत रेल लाइन की पूर्णता एवं इसे चालू करने का लक्ष्य।
- दूरी में कमी: बिहार तथा उत्तरी झारखंड के विद्युत संयंत्रों तक माल-ढुलाई मार्ग को 163 किमी तक कम करना, जिससे रेक टर्नअराउंड समय अनुकूलित होगा।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

समाज के विकास के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता प्रत्येक वर्ष के साथ सुदृढ़ होती जा रही है, जो इसके इस विश्वास को दर्शाती है कि उत्तरदायी व्यावसायिक व्यवहार आर्थिक सफलता से परे जाकर उन समुदायों के कल्याण में योगदान करना चाहिए जिनमें यह कार्य करती है।

अपनी सीएसआर नीति के अनुरूप, कंपनी ने इस वर्ष अपने प्रयासों को अपने परियोजना स्थलों के आसपास शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा के स्तर में सुधार की ओर निर्देशित किया है। अपनी प्रमुख सीएसआर पहल "सक्षम - सशक्तीकरण एवं क्षमता निर्माण" के अंतर्गत, कंपनी ने स्वच्छता सुविधाओं एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, शैक्षणिक संस्थानों तथा स्वास्थ्य केंद्रों के सुधार की दिशा में प्रमुख पहलें कीं।

इस पहल के अंतर्गत, विद्यार्थियों हेतु एक स्वच्छ, सुरक्षित एवं प्रेरक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय अवसंरचना का जीर्णोद्धार एवं उन्नयन किया गया। भवन जीर्णोद्धार के अतिरिक्त, अन्य विद्यालयों को आवश्यकता-आधारित सहायता प्रदान की गई, जहाँ शैक्षिक परिणामों एवं बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने हेतु विद्यालय प्रतिनिधियों द्वारा माँगी गई वस्तुएँ उपलब्ध कराई गईं।

कंपनी अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन लाने तथा एक स्थायी प्रभाव सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आभार

मैं वर्ष भर निरंतर सहयोग, अटूट समर्थन एवं बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, झारखंड सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, तथा स्थानीय जिला प्रशासन के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं महालेखा परीक्षा निदेशालय (कोयला), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तथा कंपनी रजिस्ट्रार, झारखंड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई व्यावसायिक सहायता की भी सराहना अभिलिखित करता हूँ।

मैं बोर्ड में अपने सम्मानित सहयोगियों तथा कंपनी के सभी कर्मचारियों को जेसीआरएल की निरंतर प्रगति एवं सफलता में उनके समर्पण, प्रतिबद्धता एवं अमूल्य योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

धन्यवाद

ह/-
पवन कुमार मिश्रा (अध्यक्ष)
डीआईएन- 09665365

निदेशकों की प्रतिवेदन

निदेशकों की प्रतिवेदन

प्रति

शेयरधारकगण,

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

प्रिय सदस्यगण,

निदेशक मंडल की ओर से, मुझे 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों सहित कंपनी की 11वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

अंकेक्षित वित्तीय विवरण, उन पर वैधानिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट, वैधानिक अंकेक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर, तथा अंकेक्षित लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ, कंपनी के उन पर उत्तरों सहित, इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इडकोन) तथा झारखंड सरकार (जीओजे) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। कंपनी का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किया गया था।

पात्र प्रवर्तकों के नाम	शेयरधारिता प्रारूप
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	64%
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	26%
झारखंड सरकार	10%

कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति:

A. परियोजना प्रदर्शन-

1. जेसीआरएल की परियोजना की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड का निगमन 31 अगस्त 2015 को हुआ था। जेसीआरएल का मुख्य उद्देश्य उन चिह्नित रेल गलियारा परियोजनाओं की अभिकल्पना, निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण करना है, जो झारखंड राज्य की खदानों से कोयला निकासी हेतु महत्वपूर्ण हैं। रेल मंत्रालय ने शिवपुर-कठौतिया नई बीजी विद्युतीकृत रेल लाइन परियोजना को जेसीआरएल को हस्तांतरित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है।

निम्नलिखित परियोजना जेसीआरएल द्वारा क्रियान्वित करने हेतु सौंपी गई थी।

शिवपुर – कठौतिया नई बीजी रेल लाइन परियोजना-49.085 किमी (2564.34 करोड़)

कंपनी ने 28 मार्च 2016 को इरकॉन के साथ एक परियोजना निष्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रेलवे बोर्ड ने संयुक्त उद्यम जेसीआरएल के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली शिवपुर - कठौतिया नई

रेल लाइन परियोजना के हस्तांतरण हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। कठौतिया से शिवपुर तक की कुल लंबाई 49.085 किमी है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। रेल मंत्रालय द्वारा 49.085 किमी की प्रभार्य दूरी पर 60% के बढ़े हुए माइलेज को 13 जून 2018 को 5 वर्ष की अवधि हेतु अनुमोदित किया गया। जेसीआरएल एवं पूर्व मध्य रेलवे के बीच रियायत समझौते पर 04-12-2018 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

भूमि अधिग्रहण लगभग पूर्ण हो चुका है तथा एनपीवी, सीए एवं डब्ल्यूएमपी राशियों के जमा होने के बाद प्रथम चरण वन स्वीकृति प्राप्त कर वन भूमि पर कार्य की अनुमति भी प्राप्त हो चुकी है। 5.43 हेक्टेयर रैयती भूमि को छोड़कर समस्त सरकारी एवं निजी भूमि जेसीआरएल को सौंप दी गई है। द्वितीय चरण वन स्वीकृति 19.04.2024 को प्राप्त हुई।

2. परियोजना वित्तपोषण: -

कंपनी ने 05 मई, 2022 को वित्तीय समापन प्राप्त किया तथा पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ से ₹1259.75 करोड़ की ऋण सुविधा प्राप्त की, और मार्च 2026 तक कुल ₹1,258.28 करोड़ का संवितरण प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान संवितरण रु. 229.11 करोड़ रहा।

परियोजना निर्माणाधीन है तथा परियोजना पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 30 जून, 2026 है। 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार परियोजना का कुल सीडब्ल्यूईपी जीएसटी सहित रु. 1,794.88 करोड़ है, जो रु. 2,564.34 करोड़ की कुल परियोजना लागत के विरुद्ध है। 31.03.2026 तक सिविल निर्माण के अंतर्गत निष्पादित प्रगतिशील कार्य की कुल लागत, वृद्धि सहित, जीएसटी सहित रु. 1,058.72 करोड़ है।

14 जनवरी 2025 को आयोजित जेसीआरएल की 57वीं बोर्ड बैठक में, संशोधित परियोजना लागत को ₹2,564.34 करोड़ पर अनुमोदित किया गया। ₹764.70 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु, मूल वित्तपोषण प्रारूप (30% इक्विटी एवं 70% ऋण) के अनुरूप आगे की निधियों की व्यवस्था की जाएगी।

3. पृष्ठभूमि:

(a) झारखंड राज्य के कोयला गलियारों को जेवी/एसपीवी के माध्यम से विकसित करने हेतु 4 मई 2015 को झारखंड सरकार, रेल मंत्रालय (एमओआर) एवं कोयला मंत्रालय (एसओसी) के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(b) उपर्युक्त के अनुवर्तन में, जेसीआरएल (जेवी) के गठन हेतु 28 मई 2015 को जीओजे, सीसीएल एवं इरकॉन के बीच एक अन्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, तत्पश्चात 28 मार्च 2016 को इरकॉन एवं जेसीआरएल (जेवी) के बीच परियोजना निष्पादन समझौता हुआ। जेसीआरएल, जीओजे, सीसीएल एवं इरकॉन की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसमें क्रमशः 10%, 64% एवं 26% इक्विटी भागीदारी है।

(c) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने 6 अप्रैल 2016 को रेल मंत्रालय के संयुक्त उद्यम दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजना का विस्तृत प्रस्ताव माँगा। उपर्युक्त निर्देश के अनुपालन में इरकॉन द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है।

(d) डीपीआर की स्वीकृति पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 27-02-2018 को तथा 60% बढ़े हुए माइलेज की स्वीकृति रेलवे बोर्ड द्वारा 13-06-2018 को संसूचित की गई है।

(e) जेसीआरएल एवं पूर्व मध्य रेलवे के बीच रियायत समझौते पर 04.12.2018 को हस्ताक्षर किए गए।

4. परियोजना की मुख्य विशेषताएँ (एकल लाइन):

1.	जोड़ने वाले रेलवे स्टेशन		कठौतिया (केएयूए) / शिवपुर (निर्माणाधीन)
2.	टेकऑफ बिंदु से प्रस्तावित रेलवे गलियारे की मार्ग लंबाई क. मुख्य लाइन		एकल लाइन संरचना पर 49.085 किमी एकल लाइन ट्रैक
3.	गेज		ब्रॉड गेज 1676 मिमी
4.	नियंत्रक प्रवणता		दोनों दिशाओं में 1 में 100 (क्षतिपूरित)
5.	क	वक्रों की संख्या	16
6.	**पुल:**		
	छोटे पुल		48
	बड़े पुल		09
	आरओबी (संख्या)		10
	आरयूबी (संख्या)		19
	एलएचएस (संख्या)		06
	वन्यजीव मार्ग (संख्या) स्टेशन		07
	भवन (संख्या)		07
	कुल		100 पुल, 07 भवन स्टेशन।
7.	रेल (पटरियाँ)		60 किग्रा (टी-12) – उत्तम गुणवत्ता
8.	स्लीपर		60 किग्रा मोनो-ब्लॉक पीएससी स्लीपर, प्रति किमी 1660 नग
9.	पॉइंट एवं क्रॉसिंग		60 किग्रा, 1 में 12 सीएमएस क्रॉसिंग, मुख्य लाइनों एवं लूप लाइनों की चालू लाइनों पर क्रॉसिंग स्टेशनों में पंखे के आकार के विन्यास के साथ पीएससी स्लीपर पर थिक वेब स्विच। स्टेशनों में गैर-चालू लाइनों हेतु पंखे के आकार के विन्यास के साथ पीएससी स्लीपर पर 1 में 8.5 थिक वेब स्विच।
10.	रेल जोड़		मुख्यतः एलडब्ल्यूआर/सीडब्ल्यूआर ट्रैक, तथा जहाँ एलडब्ल्यूआर / सीडब्ल्यूआर अनुमेय नहीं है वहाँ एसडब्ल्यूआर / फिश-प्लेटेड ट्रैक।
11.	गिट्टी (बैलास्ट)		65 मिमी नाममात्र आकार का ट्रैक बैलास्ट,
	मुख्य लाइन		350 मिमी बैलास्ट कुशन
	लूप लाइन एवं साइडिंग		250 मिमी बैलास्ट कुशन
12.	ओएचई एवं ट्रैक्शन		25 केवीए ओवरहेड ट्रैक्शन (एसीटीएम)

13.	**निर्माण लागत:**		
	विवरण	**मूल डीपीआर रु. करोड़ में**	**संशोधित डीपीआर रु. करोड़ में**
	सिविल इंजीनियरिंग	862.44	1,330.05
	एस&टी	41.50	96.30
	विद्त सामान्य	20.90	29.78
	विद्त टीआरडी	79.00	114.12
	स्थल सुविधा	10.00	10.00
	कुल (अ)	**1,013.84**	**1,580.25**
	परियोजना प्रबंधन (संविदा वृद्धि) @ 9% - (अ) का	91.25	176.32
	प्रारंभिक व्यय एफआर एवं डीपीआर @ (अ) का 2.75%	27.88	32.90
	भूमि (भूमि अधिग्रहण हेतु रु. 1.5 करोड़ इरकॉन शुल्क सहित)	281.62	353.31
	आकस्मिकता @ (अ) का 3%	30.42	30.42
	महायोग	**1,445.01**	**2173.20**
14.	निर्माण के दौरान लागत में मुद्रास्फीति	141.70	80.00
	निर्माण के दौरान ब्याज	160.87	253.40
	वित्तपोषण प्रभार	6.30	8.95
	बीमा प्रभार	7.21	10.24
	डीएसआरए	34.30	34.30
	कुल अन्य लागत	**350.38**	**386.89**
	परियोजना की कुल पूँजीगत लागत	1,795.38	2,560.08
	पीएमसी शुल्क को छोड़कर कुल पूँजीगत लागत	1,704.13	2,383.76
	रेलवे को देय डी&जी प्रभार @ रु. 1,704.13 करोड़ पर 0.25%	4.26	4.26
	कुल परियोजना लागत (टीपीसी)	**1,799.64**	**2564.34**

5. परियोजना मानचित्र:

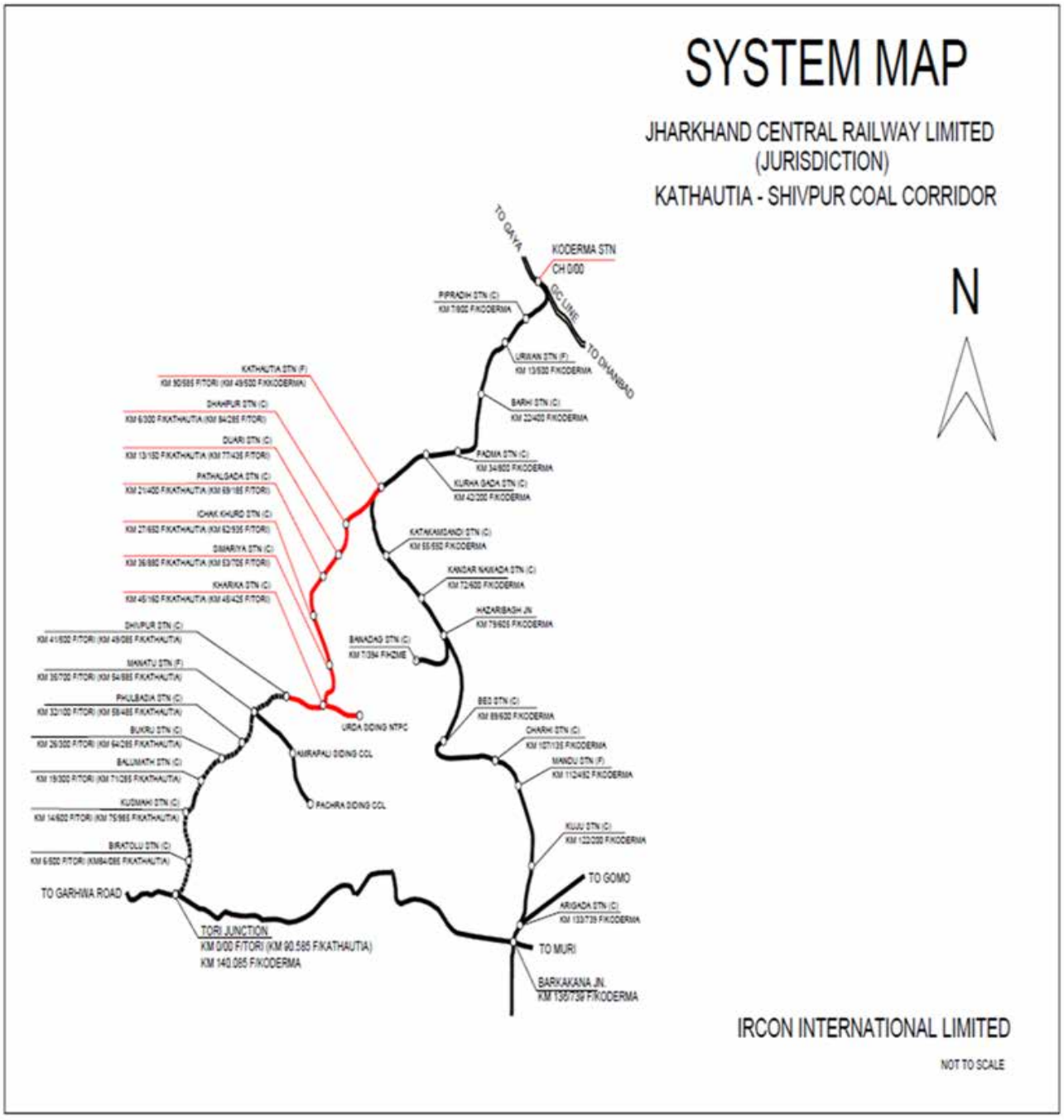

6. कार्य निष्पादन प्रगति (31.03.2026 की स्थिति के अनुसार):

क्र. सं.	पैकेज सं.	प्रदत्त लागत (करोड़)	संशोधित संविदा मूल्य (करोड़)	वित्तीय प्रगति (करोड़)	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)
1.	पैकेज-1	109.38	226.57	219.79	97.01	98.53
2.	पैकेज-2	114.21	157.37	95.74	60.84	61.84
3.	पैकेज-3	110.75	178.88	117.51	75.69	76.61
4.	पैकेज-4	128.64	186.32	139.30	72.45	76.17
5.	पैकेज-4क	44.37	44.37	3.78	8.51	9.51
6.	पैकेज-4ख	43.80	43.80	3.98	9.09	10.59
7.	पैकेज-5	109.24	139.46	128.16	91.89	95.89
8.	पैकेज-6	173.75	186.27	170.24	91.39	97.59
9.	पैकेज-6	24.09	33.78	5.93	17.56	18.06
10.	पैकेज-8क	81.32	105.77	69.41	65.62	67.12
11.	पैकेज-8ख	80.90	80.89	80.47	99.48	100
12.	पैकेज-8ग	72.34	72.34	2.57	3.56	4.06
13.	पैकेज-9क	29.69	33.60	20.93	62.29	71.79
14.	पैकेज-9ख	37.27	37.27	6.43	17.26	18.76
15.	पैकेज-9ग	7.08	7.08	3.13	44.19	45.69
16.	पैकेज-10क	39.41	39.42	18.77	47.64	48.14
17.	पैकेज-10ग	5.41	5.42	2.51	46.40	47.86
18.	पैकेज- पीएल-डब्ल्यू	9.29	9.29	9.29	100	100
19.	टीएसएस	22.70	22.70			
20.	उपयोगिता स्थानांतरण	19.90	19.90			
कुल		**1,263.51**	**1,630.39**	**1,124.96**	**68.99%**	**71.64%**

7. भूमि विवरण

हजारीबाग जिला:		चतरा जिला:	
वन भूमि	44%	वन भूमि	54%
रैयती भूमि	29%	रैयती भूमि	29%
जंगल झाड़ी	24%	जंगल झाड़ी	13%
सरकारी भूमि	3%	सरकारी भूमि	4%

भूमि का विवरण (एकड़ में)					
	संरक्षित वन	**जीएमजेजे**	**सरकारी भूमि**	**रैयती भूमि**	**कुल**
हजारीबाग	98.12	54.06	6.13	63.46	221.77
चतरा	606.78	152.89	44.13	329.57	1133.37
कुल	704.90	206.95	50.26	393.03	1355.14
कुल योग					**1355.14 एकड़**

8. निर्माण कार्य की स्थिती

31 मार्च, 2026 तक विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के लिए कुल **₹1,280.96 करोड़** मूल्य के कार्यादेश जारी किए गए हैं। इनमें **अर्थवर्क, बड़े एवं छोटे पुलों का निर्माण, ट्रैक लिंकिंग, ब्लास्ट स्लीपर एवं रेल की आपूर्ति, OHE कार्य तथा S&T कार्य** शामिल हैं।

इनमें से कुल **₹1,124.96 करोड़** मूल्य के कार्य पहले ही पूर्ण किए जा चुके हैं।

भूमि का विवरण (एकड़ में)			
क्रम संख्या	**विवरण**	**कार्यादेश मूल्य (करोड़ रुपये में)**	**निष्पादित कार्य का मूल्य (करोड़ रुपये में)**
1	सिविल कार्यों की निविदा	1455.75	1058.72
2	विद्युत कार्यों की निविदा	129.82	44.95
3	सिग्नलिंग एवं दूरसंचार कार्यों की निविदा	44.82	21.29
कुल		1630.39	1124.96

निर्माण छायाचित्र

शाहपुर एवं दुआरी के बीच सीएच. 8+500

सीएच. 13+150 दुआरी व्हार्फ यार्ड

शाहपुर एवं दुआरी के बीच एमजेबी -17 (सीएच . 10+150)

शाहपुर यार्ड सीएच. 6+200

पथलगड़ा एवं इचक खुर्द के बीच एमजेबी -79 (सीएच. 29+523 किमी)

इचक खुर्द एवं सिमरिया के बीच एमजेबी -91 (सीएच. 35+635 किमी)

सिमरिया एवं खरिका के बीच आरओबी -95 (सीएच. 37+640 किमी)

माल शेड व्हार्फ सहित दुआरी यार्ड (सीएच. 13+150 किमी)

कठौतिया यार्ड (सीएच. 0+00 किमी)

शाहपुर यार्ड (सीएच. 6+30 किमी)

कठौतिया स्टेशन पर वीडीयू /पैनल कक्ष

कठौतिया स्टेशन पर वीडीयू /पैनल कक्ष

कठौतिया स्टेशन पर आईपीएस कक्ष

Jharkhand Central Railway Limited
JCRL
Ranchi

कठौतिया स्टेशन पर रिले कक्ष

Jharkhand Central Railway Limited
JCRL
Ranchi

कठौतिया स्टेशन पर आईपीएस कक्ष

सिमरिया टीएसएस भवन

B. वित्तीय स्थिति

9. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी की अधिकृत पूंजी ₹500.00 करोड़ थी।

शेयर धारकों का नाम	31 मार्च 2026 को		31 मार्च 2025 को	
	धारित शेयरों की संख्या(प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य ₹10,00,000)	कुल शेयरों का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य ₹10,00,000)	कुल शेयरों का प्रतिशत
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	64631232	64	64631232	64
इरकॉन इंटरनेश-नल लिमिटेड	26256438	26	26256438	26
झारखंड सरकार	10098630	10	10098630	10
कुल	100986300	100	100986300	100

Jharkhand Central Railway Limited JCRL Ranchi

➢ संक्षिप्त तुलन-पत्र:

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 की स्थिति (रु. लाख में)	31.03.2025 की स्थिति (रु. लाख में)
	संपत्तियाँ		
अ	गैर-चालू संपत्तियाँ		
क.	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	7.35	9.30
ख.	प्रगतिरत पूँजीगत कार्य	-	-
ग.	अमूर्त संपत्तियाँ	0.00	0.14
घ.	विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	1,79,488.77	1,36,919.36
ङ.	वित्तीय संपत्तियाँ		
	(1) निवेश	-	-
	(2) ऋण	-	-
	(3) अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	1.50	1.50
च.	आस्थगित कर संपत्तियाँ (शुद्ध)	0.41	0.23
छ.	गैर-चालू कर संपत्तियाँ (शुद्ध)	-	-
ज.	अन्य गैर-चालू संपत्तियाँ	3,561.57	14,827.08
कुल गैर-चालू संपत्तियाँ (ए)		**1,83,059.60**	**1,51,757.61**
ब	चालू संपत्तियाँ		
क.	माल-सूची (स्टॉक)	-	-
ख.	वित्तीय संपत्तियाँ		
	(1) निवेश	-	-
	(2) व्यापार प्राप्य	-	-
	(3) नकद एवं नकद समतुल्य	7,404.38	575.54
	(4) अन्य बैंक शेष	12,157.37	6,041.56
	(5) ऋण	-	-
	(6) अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	426.26	449.45
ग.	चालू कर संपत्तियाँ (शुद्ध)	26.16	59.43
घ	अन्य चालू संपत्तियाँ	17.24	22.84
कुल चालू संपत्तियाँ (बी)		**20,031.41**	**7,148.82**
कुल संपत्तियाँ (ए + बी)		**2,03,091.01**	**1,58,906.43**
इक्विटी एवं देयताएँ			
अ.	इक्विटी		

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 की स्थिति (रु. लाख में)	31.03.2025 की स्थिति (रु. लाख में)
क.	निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी	10,098.63	10,098.63
ख.	पूर्णतः इक्विटी प्रकृति के लिखत	64,498.20	43,851.36
ग.	अन्य इक्विटी	2,431.48	1,783.97
	कुल इक्विटी (ए)	**77,028.31**	**55,733.96**
ब.	देयताएँ		
	गैर-चालू देयताएँ		
क.	वित्तीय देयताएँ		
	1. उधारियाँ	1,25,827.74	1,02,916.97
	(2) पट्टा देयताएँ	-	-
	(3) अन्य वित्तीय देयताएँ	-	-
ख.	प्रावधान	-	-
ग.	आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)	-	-
घ.	अन्य गैर-चालू देयताएँ	-	-
कुल गैर-चालू देयताएँ		**1,25,827.74**	**1,02,916.97**
स	चालू देयताएँ		
क.	वित्तीय देयताएँ		
	(1) उधारियाँ	-	-
	(2) पट्टा देयताएँ	-	-
	(3) व्यापार देय	-	-
	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की कुल बकाया राशि।		
	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से इतर लेनदारों की कुल बकाया राशि	104.23	145.47
	(4) अन्य वित्तीय देयताएँ	25.84	32.41
ख.	अन्य चालू देयताएँ	104.89	77.62
ग.	प्रावधान	-	-
घ.	चालू कर देयताएँ (शुद्ध)	-	-
कुल चालू देयताएँ		**234.96**	**255.50**
कुल इक्विटी एवं देयताएँ (ए+बी+सी)		**2,03,091.01**	**1,58,906.43**

➢ **31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, पूँजी संरचना निम्नानुसार है:**

निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त शेयर पूँजी

शेयरधारक	शेयरों की संख्या	दर	राशि रु. में
सीसीएल	6,46,31,232	रु. 10/- प्रत्येक	64,63,12,320/-
इरकॉन	2,62,56,438	रु. 10/- प्रत्येक	26,25,64,380/-
जीओजे	1,00,98,630	रु. 10/- प्रत्येक	10,09,86,300/-
कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी			**1,00,98,63,000/-**

31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, जेसीआरएल ने ₹647.51 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जबकि 31.03.2025 को समाप्त वर्ष में ₹477.50 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित हुआ था।

10. अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन का स्पष्टीकरण:

A) वैधानिक अंकेक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन का स्पष्टीकरण:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी&एजी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार वर्ष 2025-26 हेतु मेसर्स आर. के. गारोडिया एंड कंपनी., सनदी लेखाकार को कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया। लेखों पर वैधानिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट, जो स्वयं-व्याख्यात्मक है, तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ स्पष्टीकरण, 'वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों' में सम्मिलित किए गए हैं। तथापि, अंकेक्षकों द्वारा कोई अर्हता (योग्यता-टिप्पणी) रिपोर्ट नहीं की गई है।

B) सीएजी द्वारा वित्तीय विवरण का अनुपूरक अंकेक्षण:

रिपोर्टिंग अवधि हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सी&एजी की कोई टिप्पणी नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी&एजी)/महालेखा परीक्षा निदेशक (खान एवं कोयला) के कार्यालय ने पत्र सं. सं.494588/CA/AMGV/जेसीआरएल/लेखा अंकेक्षण/2025-26/106 दिनांक 03.06.2026 के माध्यम से कंपनी को संसूचित किया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)() के अंतर्गत 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक अंकेक्षण न करने का निर्णय लिया गया है।

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष हेतु झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ अनुबंध-3 के रूप में संलग्न हैं।

C) सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कंपनी का सचिवीय अंकेक्षण कंपनी सचिवों की फर्म मेसर्स विध्या बैद एंड कंपनी, कोलकाता द्वारा किया गया है। सचिवीय अंकेक्षक की कोई टिप्पणी नहीं रही। सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध-2 के रूप में संलग्न है।

11. पूँजीगत व्यय:

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, परियोजना के निष्पादन हेतु रु. 42,569.41 लाख (जीएसटी सहित) का निवेश किया गया।

12. लाभांश:

चूँकि कंपनी की परियोजना क्रियान्वयन चरण में है, अतः वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया।

13. आरक्षित निधि में अंतरण:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान आरक्षित निधि में कोई राशि अंतरित नहीं की गई।

14. भौतिक परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएँ, यदि कोई हों, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हैं तथा जो वित्तीय विवरणों से संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति एवं रिपोर्ट की तिथि के बीच घटित हुई हैं:

वित्तीय विवरणों से संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति एवं रिपोर्ट की तिथि के बीच ऐसा कोई परिवर्तन एवं प्रतिबद्धता घटित नहीं हुई है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।

15. राजकोष में योगदान:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कॉर्पोरेट अग्रिम कर के रूप में राजकोष में कुल रु. 163.59 लाख का योगदान किया है।

16. असुरक्षित ऋण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई असुरक्षित ऋण नहीं लिया है।

17. सुरक्षित ऋण:

कंपनी ने 05.05.2022 को परियोजना हेतु वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया है। कंपनी ने 31 मार्च, 2026 तक कुल रु. 1,258.28 करोड़ का रुपया सावधि ऋण प्राप्त किया है।

दीर्घकालिक सुरक्षित ऋण (करोड़ में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	वित्तीय समापन हेतु प्रस्तावित सीमाएँ	31.03.2026 की स्थिति के अनुसार ऋण
1	**पंजाब नेशनल बैंक [अग्रणी बैंक]**	419.75	419.27
2	**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**	400.00	399.54
3	**बैंक ऑफ महाराष्ट्र**	240.00	239.72
4	**यूको बैंक**	200.00	199.75
कुल		**1259.75**	**1258.28**

18. जमाराशियाँ:

कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों तथा कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 अथवा अन्य प्रासंगिक प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है।

19. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत किए गए ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों का विवरण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक कोई ऋण, गारंटी अथवा निवेश नहीं किया गया।

20. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ किए गए संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं का विवरण:

कंपनी के प्रवर्तकों, निदेशकों, प्रबंधन अथवा उनके संबंधियों के साथ कोई भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित-पक्ष लेनदेन नहीं हुआ, जिसमें कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता हो। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ कोई ऐसा संविदा अथवा व्यवस्था नहीं की गई, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के दायरे में आती हो। तथापि, इस संबंध में प्रकटीकरण इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध-1 के रूप में संलग्न है।

21. शेयरधारकों को सूचना:

कंपनी के वार्षिक लेखे एवं संबंधित विस्तृत सूचना धारक कंपनी तथा जेसीआरएल के शेयरधारकों को उपलब्ध होगी। कोई भी शेयरधारक किसी भी समय ऐसी सूचना चाहने पर, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय सीसीएल, दरभंगा हाउस, रांची, झारखंड में किसी कार्य-दिवस के व्यावसायिक समय के दौरान उसका निरीक्षण कर सकता है।

22. सूचना का अधिकार:

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों से निपटने हेतु संगठन में एक विस्तृत तंत्र स्थापित किया है। वर्ष 2025-26 के दौरान आरटीआई के अंतर्गत माँगी गई सूचना एवं उसके निपटान के आँकड़े निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	नाम	संख्या
1	वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या	शून्य
2	वर्ष के दौरान निपटाए गए आवेदनों की संख्या	शून्य

23. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ट), धारा 143(3)(1), कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 8(5)(8) सहित पठित के अंतर्गत सूचना:

कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्यरत थे।

इसने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर लागू नियमों के समग्र ढाँचे के भीतर अपने कार्य-नियम एवं प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं।

24. कंपनी के भावी अस्तित्व (गोइंग कंसर्न) की स्थिति एवं कंपनी के भावी संचालन को प्रभावित करने वाले नियामकों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण एवं भौतिक आदेशों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ट), धारा 143(3)(1), कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 8(5)(7) सहित पठित के अंतर्गत सूचना:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, नियामकों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण एवं भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया, जो कंपनी के भावी अस्तित्व की स्थिति एवं भावी संचालन को प्रभावित करे।

26. स्वतंत्र इंजीनियर:

एम.आर. टेक्नोफिन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रारंभ में 12 माह की अवधि हेतु स्वतंत्र इंजीनियर नियुक्त किया गया है, जिसमें सीओडी तक विस्तार का प्रावधान है।

26. निदेशक मंडल:

जेसीआरएल के निदेशक मंडल में 7 (सात) निदेशक हैं, अर्थात्, अध्यक्ष एवं सीसीएल के नामिती के रूप में 2 (दो) निदेशक, इरकॉन के नामिती के रूप में 2 (दो) निदेशक, झारखंड सरकार के नामिती के रूप में 1 (एक) निदेशक तथा रेल मंत्रालय (एमओआर) के नामिती के रूप में 1 (एक) निदेशक।

26.1 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	प्रतिनिधित्व
1	श्री पवन कुमार मिश्रा, निदेशक (वित्त), सीसीएल	अध्यक्ष	19.12.2022	सीसीएल
2	श्री चंद्र शेखर तिवारी, निदेशक (प्रचालन), सीसीएल	निदेशक	29.03.2025	सीसीएल
3	श्री अजित कुमार मिश्रा, निदेशक (कार्य), इरकॉन	निदेशक	24.06.2025	इरकॉन
4	श्री प्रवीण कुमार प्रकाश (जेटीसी, परिवहन विभाग), जीओजे	निदेशक	18.03.2024	जीओजे
5	श्रीमती रागिनी अडवाणी, निदेशक (वित्त), इरकॉन	निदेशक	01.06.2022	इरकॉन
6	श्री शशांक शेखर झा * (आईसी, सिविल) सीसीएल,	निदेशक	15.06.2018	सीसीएल
7	श्री प्रिय रंजन परही,ईडी/यातायात/ पीपीपी, रेलवे बोर्ड, एमओआर	निदेशक	09.05.2022	एमओआर

*श्री शशांक शेखर झा (आईसी, सिविल) सीसीएल, 31.03.2026 से सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) से सेवानिवृत्ति पर कंपनी के नामिती निदेशक नहीं रह गए हैं।

26.2 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि / पदनाम में परिवर्तन की तिथि
1.	श्री अजीत कुमार मिश्रा, निदेशक (वर्क्स), इरकॉन	निदेशक	24.06.2025

27. प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक नहीं रहे।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	दिनांक निदेशक पद से पदत्याग	टिप्पणियाँ
1.	**श्री पराग वर्मा** निदेशक (वर्क्स) पी एंड पी, सीसीएल	निदेशक	01.05.2025	सेवानिवृत्ति
2.	श्री आनंद कुमार सिंह निदेशक (परियोजना), इरकॉन	निदेशक	24.06.2025	इरकॉन द्वारा नामित निदेशक में परिवर्तन
3.	श्री शशांक शेखर झा, सीएम, सीसीएल	निदेशक	31.03.2026	सेवानिवृत्ति

28. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

31.03.2026 को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की संरचना निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख
1.	डॉ शैलेश कुमार सिन्हा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	02.07.2024
2.	श्री प्रकाश कुमार सिंह	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	03.05.2025
3.	*श्रीमती श्रेया	कंपनी सचिव	24.09.2022

*श्रीमती श्रेया, जो कंपनी की कंपनी सचिव थीं, ने 18.03.2026 से प्रभावी रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

29. निदेशक मंडल की बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बोर्ड की कुल चार (04) बैठकें हुईं। दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतर 120 दिनों से अधिक नहीं था। उक्त अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

क्र. सं.	बैठक सं.	बैठक की तिथि	समय	बैठक का स्थान
1.	अट्ठावन	21.04.2025	03.00 अपराह्न	रांची
2.	उनसठ	14.07.2025	03.00 अपराह्न	रांची
3.	साठ	13.10.2025	11.00 पूर्वाह्न	रांची
4.	इकसठ	12.01.2026	03.00 अपराह्न	रांची

30. वार्षिक आम बैठक:

विगत 3 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठकों का विवरण:

वर्ष	बैठक की तिथि का नाम एवं समय	बैठक का स्थान	उपस्थिति	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2022-23	**8वीं एजीएम 21 जुलाई 2023 को 10:30 पूर्वाह्न**	सीसीएल, दरभंगा हाउस, रांची	1. श्री बी. साईराम: सदस्य एवं अध्यक्ष 2. पवन कुमार मिश्रा: सदस्य 3. श्री शशांक शेखर झा: सदस्य 4. श्री प्रणव कुमार: सदस्य (इरकॉन कार्यालय दिल्ली से वीसी) 5. श्री सुशील कुमार सिन्हा: सीसीएल के प्रतिनिधि 6. सुश्री ऋतु अरोड़ा: इरकॉन की प्रतिनिधि। (इरकॉन कार्यालय दिल्ली से वीसी) 7. श्री ब्रजेंद्र हेम्ब्रोम: झारखंड सरकार के प्रतिनिधि (परिवहन विभाग, जीओजे, रांची से वीसी)	**1**
2023-24	**9वीं एजीएम 25 जुलाई 2024 को 12:00 अपराह्न**	सीसीएल, दरभंगा हाउस, रांची	1. श्री पवन कु. मिश्रा: सदस्य एवं अध्यक्ष 2. श्री शशांक शेखर झा: सदस्य 3. श्री अमरेश प्रधान : सीसीएल के प्रतिनिधि 4. श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल: प्रतिनिधि इरकॉन। (इरकॉन कार्यालय दिल्ली से वीसी) 5. श्री मनोज कुमार: झारखंड सरकार के प्रतिनिधि	**शून्य**

वर्ष	बैठक की तिथि का नाम एवं समय	बैठक का स्थान	उपस्थिति	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2025-26	**तीसरी ईजीएम 30 अप्रैल 2025 को 11.30 पूर्वाह्न**	सीसीएल, दरभंगा हाउस, रांची	1. श्री पवन कु. मिश्रा: सदस्य एवं अध्यक्ष 2. श्री चंद्र शेखर तिवारी: सदस्य 3. श्री शशांक शेखर झा: सदस्य 4. श्री अमरेश प्रधान: सीसीएल के प्रतिनिधि 5. श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल: प्रतिनिधि इरकॉन। (इरकॉन कार्यालय दिल्ली से वीसी) 6. श्री मनोज कुमार: सरकार के प्रतिनिधि झारखंड	2
2025-26	**10वीं एजीएम 29 जुलाई 2025 को 12:00 अपराह्न**	सीसीएल, दरभंगा हाउस, रांची	1. श्री पवन कु. मिश्रा: सदस्य एवं अध्यक्ष 2. श्री शशांक शेखर झा: सदस्य 3. सुरेंद्र सिंह: सदस्य 4. श्री अमरेश प्रधान: सीसीएल के प्रतिनिधि 5. श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल: प्रतिनिधि इरकॉन। (इरकॉन कार्यालय दिल्ली से वीसी) 6. श्री मनोज कुमार: सरकार के प्रतिनिधि, झारखंड	**शून्य**

30. स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) तथा कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 सहित पठित के अंतर्गत दी गई छूट को देखते हुए, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति कंपनी पर लागू नहीं है।

31. अंकेक्षण समिति एवं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) तथा कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 सहित पठित के अनुसरण में, सार्वजनिक कंपनियों के कुछ वर्गों को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने आवश्यक हैं। तथापि, उक्त नियमों का नियम 4(2) एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी को, जो एक संयुक्त उद्यम है, स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता से छूट देता है।

कंपनी, एक संयुक्त उद्यम के रूप में संचालित असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के कारण, उक्त छूट के अंतर्गत आती है तथा तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान उस पर लागू नहीं होते।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं धारा 178 तथा कंपनी (बोर्ड एवं उसकी शक्तियों की बैठकें) नियम, 2014 के नियम 6 एवं 6 ए सहित पठित के अनुसार, अंकेक्षण समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन, अन्य बातों के साथ-साथ, स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित प्रावधानों की प्रयोज्यता से जुड़ा है। चूँकि कंपनी एक असूचीबद्ध संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में अपनी स्थिति के कारण स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता से मुक्त है, अतः अंकेक्षण समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित प्रावधान भी कंपनी पर लागू नहीं होते।

32. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के अंतर्गत सतर्कता तंत्र:

कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 149(4) तथा कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 सहित पठित के प्रावधानों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति कंपनी पर लागू नहीं है। चूँकि कंपनी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से मुक्त है, अतः अंकेक्षण समिति का गठन कंपनी पर लागू नहीं है।

कंपनी (बोर्ड एवं उसकी शक्तियों की बैठकें) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम 3 के अनुसरण में, बोर्ड सतर्कता तंत्र के प्रयोजन हेतु एक निदेशक को नामित करने की प्रक्रिया में है, जिसे अन्य निदेशक एवं कर्मचारी अपनी चिंताएँ रिपोर्ट कर सकें।

33. जोखिम प्रबंधन नीति [धारा 134(3)(एन)]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एन) के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी के पास अपने व्यावसायिक संचालन एवं उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले विभिन्न जोखिमों की पहचान, आकलन, निगरानी एवं शमन हेतु एक जोखिम प्रबंधन ढाँचा मौजूद है। यह संरचित ढाँचा जोखिमों के प्रबंधन तथा यह सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है कि उपयुक्त नियंत्रण एवं शमन उपाय निरंतर आधार पर क्रियान्वित किए जाएँ।

34. प्रदर्शन का वार्षिक मूल्यांकन [धारा 134(3)(पी)]

चूँकि आपकी कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधान लागू नहीं होंगे, क्योंकि निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन धारक कंपनी द्वारा किया जाता है।

37. नीतियों हेतु वेब पते का प्रकटीकरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के दूसरे परंतुक के अनुसार, कंपनी द्वारा अपनाई गई नीतियाँ, जहाँ भी लागू हों, कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इन नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती

है तथा विधि के लागू प्रावधानों एवं कंपनी की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार, जहाँ आवश्यक हो, अद्यतन किया जाता है।

38. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के प्रावधानों के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) प्रत्येक ऐसी कंपनी पर लागू होता है, जो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसी एक मानदंड को पूरा करती है:

(a) ₹500 करोड़ अथवा अधिक की निवल संपत्ति,

(b) ₹1,000 करोड़ अथवा अधिक का कारोबार, अथवा

(c) ₹5 करोड़ अथवा अधिक का शुद्ध लाभ।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, यद्यपि कंपनी का कर-पूर्व लाभ ₹661.18 लाख था (वित्तीय विवरणों के अनुसार), फिर भी इसकी निवल संपत्ति ₹557.34 करोड़ रही, जिससे अधिनियम के अंतर्गत सीएसआर प्रावधानों की प्रयोज्यता उत्पन्न हुई।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अंतर्गत निर्धारित पद्धति के अनुरूप, वित्तीय वर्ष हेतु सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली राशि की गणना ₹12.14 लाख की गई।

चूँकि यह राशि ₹50 लाख से कम है, अतः अधिनियम की धारा 135(9) के अंतर्गत सीएसआर समिति गठित करने की आवश्यकता लागू नहीं थी। तदनुसार, निदेशक मंडल ने सीएसआर गतिविधियों एवं नीति के निर्माण, क्रियान्वयन एवं निगरानी सहित सीएसआर समिति के उत्तरदायित्व ग्रहण किए हैं।

38.1 सीएसआर आवंटन एवं क्रियान्वयन:

- **आवंटन:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार सीएसआर हेतु शुद्ध लाभ की गणना के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति तक व्यय की जाने वाली कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु ₹12.14 लाख की राशि आवंटित की गई।
- **आवश्यकता आकलन सर्वेक्षण:** जेसीआरएल अधिकारियों ने जनवरी 2026 में निर्माण स्थल के निकट सरकारी विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने विद्यालय अवसंरचना के सुधार हेतु आवश्यक जरूरतों का आकलन करने के लिए विद्यालय प्रधानाचार्यों से परामर्श किया।
- **परियोजना का शीर्षक:** परियोजना का नाम "सक्षम-सशक्तीकरण एवं क्षमता निर्माण" रखा गया।

इस परियोजना के अंतर्गत, कंपनी ने प्रतिबद्धता व्यक्त की:

1. विद्यालय भवनों का जीर्णोद्धार, तथा
2. समग्र शिक्षण वातावरण में सुधार हेतु विद्यालय प्रतिनिधियों द्वारा माँगी गई वस्तुओं की खरीद एवं स्थापना।

- **वास्तविक व्यय राशि**: जेसीआरएल द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर वास्तविक व्यय राशि 12.30 लाख रही, जैसा कि 13.10.2025 को आयोजित 60वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

- **समझौता ज्ञापन (एमओयू):** सीएसआर गतिविधियों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने हेतु, कंपनी ने 10 नवंबर 2025 को क्रियान्वयन एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया:

उद्यमी आदिवासी विकास केंद्र (यूएवीके)

(सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी)

एमओयू की शर्तों के अंतर्गत:

1. आवंटित निधियाँ क्रियान्वयन एजेंसी को अंतरित की गईं।
2. एजेंसी ने बुनियादी अवसंरचना एवं समग्र शिक्षण वातावरण में सुधार हेतु विद्यालय भवनों का जीर्णोद्धार किया।
3. एजेंसी ने संबंधित विद्यालय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक वस्तुएँ एवं उपकरण भी खरीदे एवं स्थापित किए।
4. स्वास्थ्य शिविर एवं सुरक्षा मानदंड

38.2 क्रियान्वयन का स्थान:

1. उत्क्रमित मध्य विद्यालय, अंगड़ा कला (यूडीआईएसई कोड -20030700101)
2. उत्क्रमित उच्च विद्यालय, नवाडीह पथलगड़ा (यूडीआईएसई कोड -20030700501)
3. +2 जनता उच्च विद्यालय, पथलगड़ा (यूडीआईएसई कोड -20030701204)
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पथलगड़ा

38.3 सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत आपूर्ति की गई वस्तुएँ

क्र. सं.	आपूर्ति की गई वस्तुएँ	कुल
1.	छत का पंखा	48
2.	ट्यूबलाइट	30
3.	स्टील रैक	02
4.	डुअल बेंच डेस्क	4
5.	छत की मरम्मत	2000 वर्ग फुट
6.	तीन-सीट वाली धातु प्रतीक्षा कुर्सियाँ	3
7.	धातु शेड	2
8.	प्लास्टिक कुर्सी	10
9.	वाटर कूलर	3
10.	शौचालय	1
11.	स्वास्थ्य जाँच शिविर	1

सीएसआर गतिविधियाँ सफलतापूर्वक संपन्न की गईं, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि आवंटित निधियों का उपयोग परियोजना स्थल के आसपास के समुदाय के लाभ हेतु प्रभावी ढंग से किया गया।

38.4 सीएसआर प्रगति चित्र:

सीएसआर कार्यों पर विद्यालय प्रशासन के साथ चर्चा

पी एच सी अस्पताल, पथलगड़ा, चतरा में वाटर कूलर की स्थापना

उत्क्रमित मध्य विद्यालय, अंगड़ाकला, चतरा में छत की मरम्मत

उत्क्रमित मध्य विद्यालय, नवाडीह, चतरा में असेंबली शेड की स्थापना

+2 जनता उच्च विद्यालय, पथलगड़ा चतरा में असेंबली शेड की स्थापना

उत्क्रमित उच्च विद्यालय, नवाडीह, पथलगड़ा, चतरा में असेंबली की स्थापना

उत्क्रमित उच्च विद्यालय, नवाडीह, पथलगड़ा, चतरा में स्वास्थ्य जाँच शिविर

39. निदेशकों द्वारा वैधानिक प्रकटीकरण:

आपकी कंपनी का कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है।

40. बैंकर का नाम एवं पता:

क्र. सं.	नाम	शाखा का पता
1	**पंजाब नेशनल बैंक [अग्रणी बैंक]**	एसएन गांगुली रोड, रांची, झारखंड -834001
2	**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**	जीवन तारा बिल्डिंग, 5 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001
3	**बैंक ऑफ महाराष्ट्र**	एक्स्ट्रा लार्ज कॉर्पोरेट शाखा, टॉल्सटॉय हाउस, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001
4	**यूको बैंक**	एफसीसी, इंडिया एक्स. प्लेस (0002), इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 700001

41. कंपनी के अंकेक्षक:

i) **वैधानिक अंकेक्षक:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत, वर्ष 2025-26 हेतु आपकी कंपनी के वित्तीय लेखों के अंकेक्षण हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित सनदी लेखाकार फर्म नियुक्त की गई।

आर. के. गरोड़िया एंड कंपनी
202, साई अपार्टमेंट,

द्वितीय तल, कचहरी रोड,

रांची-834001

ii) **सचिवीय अंकेक्षक:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अंतर्गत, वर्ष 2025-26 हेतु अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सचिवीय अंकेक्षण के संचालन हेतु निदेशक मंडल द्वारा 17.04.2026 दिनांकित मद सं. 4(5) के माध्यम से अपनी 62वीं बोर्ड बैठक में निम्नलिखित कंपनी सचिव फर्म नियुक्त की गई। सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध-2 के रूप में संलग्न है।

मेसर्स विद्या बैद एंड कंपनी.
तृतीय तल, कक्ष सं. 39, 35
आर्मेनियन स्ट्रीट, कोलकाता-
700001, पश्चिम बंगाल।

iii) **आंतरिक अंकेक्षक:**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 तथा कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक आंतरिक अंकेक्षण के संचालन हेतु जेसीआरएल बोर्ड द्वारा अपनी 60वीं बैठक में निम्नलिखित आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त किया गया।

मेसर्स जासो एंड कम्पनी.
लागत लेखाकार, गंगा स्टोर,

एचबी रोड, कोकर रांची-834009

42. धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत अंकेक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के विवरण, उनको छोड़कर जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट योग्य हैं:

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा कोई धोखाधड़ी रिपोर्ट नहीं की गई।

43. सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी कंपनियाँ:

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी कंपनी नहीं है।

44. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के अंतर्गत प्रकटीकरण

बोर्ड कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसरण में एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करने की प्रक्रिया में है तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) नियम, 2013 के नियम 13(क) के अनुसरण में यौन-उत्पीड़न-रोधी नीति भी तैयार कर रहा है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदा, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत आते हैं।

सूचित किया जाता है कि बोर्ड को वर्ष 2025-26 के दौरान कोई यौन उत्पीड़न शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

45. निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) के अंतर्गत निदेशकों के उत्तरदायित्व कथन के संबंध में अपेक्षा के अनुसरण में, एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है:

1. कि 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण की तैयारी में, सीआईएल द्वारा अनुमोदित एकसमान लेखांकन नीति का पालन किया गया है। उक्त एकसमान लेखांकन नीति कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (भारत) के अनुसार तैयार की गई है।
2. वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं।
3. कि निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाए हैं, जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति तथा समीक्षाधीन वर्ष के कंपनी के लाभ-हानि का सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करने हेतु उचित एवं विवेकपूर्ण माने गए।
4. कि कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं

पहचान हेतु कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु उचित एवं पर्याप्त देखभाल की गई है।

5. कि निदेशकों ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण 'भावी अस्तित्व (गोइंग कंसर्न)' आधार पर तैयार किए हैं।

6. कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणाली पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्यरत है।

7. कि समस्त लागू विधियों के अनुपालन हेतु प्रणाली विकसित की गई है तथा ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त एवं प्रभावी रूप से कार्यरत थीं।

46. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ठ) तथा कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 8(3) सहित पठित के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण एवं विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय संबंधी सूचना इस रिपोर्ट के अनुबंध-6 में दी गई है।

47. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के अनुसार कर्मचारियों का विवरण:

कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 सहित पठित के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा था।

48. क्रेडिट रेटिंग:

कंपनी ने परियोजना के रुपया सावधि ऋण वित्तपोषण हेतु ऋणदाताओं के साथ निष्पादित महत्वपूर्ण वित्तपोषण दस्तावेजों में से एक सामान्य ऋण समझौते के अनुपालन में कंपनी की परियोजना का रेटिंग कार्य करने हेतु आईसीआरए लिमिटेड को नियुक्त किया है। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु बीबीबी+(स्थिर) रेटिंग प्रदान की गई है।

49. वार्षिक विवरणी की प्रति

कंपनी की वार्षिक विवरणी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वेब-लिंक नीचे दिया गया है: एचटीटीपी://jcrl.co.in

50. सी&एजी द्वारा जारी लंबित अंकेक्षण पैराओं की स्थिति:

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु सी&एजी द्वारा जारी कोई लंबित अंकेक्षण पैरा नहीं है।

51. सचिवीय मानकों का अनुपालन:

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

52. लागत अभिलेखों का अनुरक्षण:

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत अभिलेख अनुरक्षित करना आवश्यक नहीं है।

53. कॉर्पोरेट अभिशासन:

कंपनी का प्रबंधन यह मानता है कि दीर्घकालिक मूल्य सृजन तथा हमारे हितधारकों का विश्वास बनाए रखने हेतु प्रभावी अभिशासन आवश्यक है। तदनुसार, कंपनी ने अभिशासन संरचनाओं को सुदृढ़ करने, निर्णय-प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देने तथा सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयास किए हैं।

इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लोक उद्यम विभाग (डीपीई), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईएस) हेतु कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों का काफी हद तक पालन किया है। कंपनी कंपनी अधिनियम तथा सूचीयन समझौतों के अंतर्गत निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का भी अनुपालन करती है।

54. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

55. वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएँ:

वित्तीय वर्ष के दौरान तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन अथवा प्रतिबद्धताएँ नहीं हैं।

56. वर्ष के दौरान दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत किए गए आवेदन अथवा किसी लंबित कार्यवाही का विवरण, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उनकी स्थिति सहित:

नियामकों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरण द्वारा कंपनी के भावी अस्तित्व की स्थिति एवं भावी संचालन को प्रभावित करने वाला कोई महत्वपूर्ण एवं भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया तथा दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अंतर्गत लंबित कार्यवाहियों पर कोई आवेदन नहीं किया गया।

57. आभार:

आपके निदेशक कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, झारखंड सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, तथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, साथ ही स्थानीय प्रशासन एवं अन्य हितधारकों द्वारा प्रदान किए गए निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए अपना हार्दिक आभार अभिलिखित करते हैं, जो रेल गलियारा परियोजना की प्रगति एवं विकास में सहायक रहे हैं।

निदेशक वैधानिक अंकेक्षकों, सचिवीय अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षकों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य टिप्पणियों, व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रचनात्मक अनुशंसाओं के लिए भी अपनी सराहना व्यक्त करते हैं, जिन्होंने कंपनी के अभिशासन एवं अनुपालन ढाँचे को सुदृढ़ करने में योगदान दिया है।

बोर्ड बैंकों के संघ, शेयरधारकों, व्यावसायिक सहयोगियों एवं अन्य सभी हितधारकों के निरंतर विश्वास एवं समर्थन को भी स्वीकार करता है। उनका अटूट विश्वास एवं सहयोग कंपनी के सतत विकास एवं उसके उद्देश्यों की सफल प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण बना हुआ है।

58. परिशिष्ट:

निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:

- कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरण का प्रकटीकरण (एसओसी-2) इस रिपोर्ट के अनुबंध-1 में दिया गया है।
- कंपनी की "सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट" इस रिपोर्ट के अनुबंध-2 में दी गई है।
- 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ अनुबंध-3 में दी गई हैं।
- सीइओ एवं सीएफओ प्रमाणन अनुबंध-4।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट अनुबंध-5
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) तथा कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 8(3) सहित पठित के प्रावधानों के अनुसरण में, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण एवं विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय के संबंध में सूचना इस रिपोर्ट के अनुबंध-6 में दी गई है।
- कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध-7 के रूप में संलग्न है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त वैधानिक अंकेक्षक की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध-8 में दी गई है।

निदेशक मंडल के
लिए एवं की ओर से
ह/-
(पवन कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 09665365

दिनांक: 14-07-2026
स्थान: रांची

अनुलग्नक- 1

(अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ज) तथा कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में उल्लिखित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए संविदाओं/ व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण हेतु प्रपत्र, जिसमें उसके तीसरे परंतुक के अंतर्गत कुछ आर्म्स-लेंथ लेनदेन भी शामिल हैं

1. आर्म्स-लेंथ आधार पर न किए गए संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेनदेन का विवरण

(1)	संबंधित पक्ष का नाम एवं संबंध की प्रकृति	शून्य
(2)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन की प्रकृति	शून्य
(3)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि	शून्य
(4)	संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेनदेन की मुख्य शर्तें, मूल्य सहित, यदि कोई हो	शून्य
(5)	ऐसे संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेनदेन में प्रवेश का औचित्य	शून्य
(6)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(याँ)	शून्य
(7)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	शून्य
(8)	वह तिथि जिस पर धारा 188 के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अपेक्षित आम बैठक में विशेष संकल्प पारित किया गया	शून्य

2. आर्म्स-लेंथ आधार पर किए गए भौतिक संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेनदेन का विवरण

a) **संबंधित पक्ष का नाम एवं संबंध की प्रकृति:**

i. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड की धारक कंपनी)

ii. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (महत्वपूर्ण प्रभाव)

b) **संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन की प्रकृति:**

(1) निर्माण एवं परामर्श सेवाएँ - रु. 39,851.72 (लाख में)

(2) किराया - रु. 3.38 (लाख में)

c) **संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि: शून्य**

d) **संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेनदेन की मुख्य शर्तें, मूल्य सहित, यदि कोई हो: शून्य**

e) **ऐसे संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेनदेन में प्रवेश का औचित्य: शून्य**

f) **बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(याँ): शून्य**

g) **अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो: शून्य**

h) **वह तिथि जिस पर धारा 188 के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अपेक्षित आम बैठक में विशेष संकल्प पारित किया गया: लागू नहीं।**

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

ह/-
(पवन कु. मिश्रा) अध्यक्ष
डीआईएन:09665365

अनुबंध - 2

प्रपत्र सं. एमआर -3
सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन

(31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्यगण

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

दरभंगा हाउस, रांची झारखंड

हमने झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जिसे इसके पश्चात "कंपनी" कहा गया है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उत्तम कॉर्पोरेट व्यवहारों के पालन का सचिवीय अंकेक्षण किया है। सचिवीय अंकेक्षण इस प्रकार से किया गया, जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों के मूल्यांकन तथा उन पर अपनी राय व्यक्त करने का एक उचित आधार प्राप्त हुआ।

कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, दाखिल किए गए प्रपत्रों एवं विवरणियों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन, तथा सचिवीय अंकेक्षण के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं एवं अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष को समाविष्ट करने वाली अंकेक्षण अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का सामान्यतः अनुपालन किया है तथा यह भी कि कंपनी के पास इसके पश्चात की गई रिपोर्टिंग के अनुसार, उस सीमा तक एवं उस रीति से समुचित बोर्ड-प्रक्रियाएँ एवं अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं:

हमने निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, दाखिल किए गए प्रपत्रों एवं विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जाँच की है:

I. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

II. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (' एससीआरए') तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

III. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उप-नियम;

IV. *विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक उधारियों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम;

V. लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 के माध्यम से जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों हेतु कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देश;

VI. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (' एसईबीआइ अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश, कंपनी पर लागू सीमा तक: -

* क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अधिग्रहण एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011;

a. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;

* ग. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018;
* घ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ एवं स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021
* ङ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीयन) विनियम, 2021;
* च. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993, कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में;
* छ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की सूची से हटाना) विनियम, 2021;
* ज. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्क्रय) विनियम, 2018;

#झ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015

VII. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू खंड।

* ये खंड समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं थे।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों का कंपनी पर लागू सीमा तक अनुपालन किया गया, क्योंकि कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की उप-सहायक कंपनी है, जो एक सूचीबद्ध निकाय है।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड , इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। झारखंड सरकार, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बीच निष्पादित समझौता ज्ञापन (एमओयू) तथा अंतर्नियमों के अनुसार, कंपनी का शेयरधारिता प्रारूप निम्नानुसार है:

- सीसीएल : 64%
- इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड : 26%
- झारखंड सरकार : 10%

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि के प्रावधानों का सामान्यतः अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर विधियों जैसी लागू वित्तीय विधियों के कंपनी द्वारा अनुपालन तथा वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा-बहियों के अनुरक्षण की इस अंकेक्षण में समीक्षा नहीं की गई है, क्योंकि इनकी समीक्षा वैधानिक अंकेक्षक एवं अन्य निर्दिष्ट पेशेवरों द्वारा की जाती रही है।

कंपनी पर लागू विशिष्ट विधियों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए जाने पर एवं तत्संबंधी प्रासंगिक दस्तावेजों एवं अभिलेखों की जाँच पर, नमूना-जाँच आधार पर, कंपनी ने नीचे वर्णित विशेष रूप से कंपनी पर लागू विधियों का अनुपालन किया है: -

1. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981;
2. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

झारखंड सरकार, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ("सीसीएल") एवं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बीच निष्पादित समझौता ज्ञापन (एमओयू) तथा अंतर्नियमों के अनुसार, जेसीआरएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक निदेशक होंगे। बोर्ड में पक्षों के नामिती निम्नानुसार होंगे:

पक्ष	निदेशकों की संख्या
झारखंड सरकार (जीओजे)	1
रेल मंत्रालय (एमओआर)	1
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)	3
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	2

बोर्ड का अध्यक्ष सीसीएल का नामिती होगा। बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा। इसके अतिरिक्त, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार नियंत्रक मंत्रालय (एमओसी/सीआईएल/सीसीएल) द्वारा स्वतंत्र निदेशक नामित किए जा सकते हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

a) कंपनी के निदेशक मंडल का गठन उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए कुछ परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

b) वर्ष के दौरान निर्धारित बोर्ड बैठकों हेतु सभी निदेशकों को सूचना, कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ दी गईं। कुछ अवसर ऐसे रहे जब बोर्ड बैठकें अल्प सूचना पर आयोजित की गईं तथा हमें उपलब्ध सूचना के अनुसार, वे सभी निदेशकों की सहमति से आयोजित की गईं, और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर अतिरिक्त सूचना एवं स्पष्टीकरण माँगने एवं प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी हेतु एक प्रणाली मौजूद है।

c) अध्यक्ष द्वारा विधिवत अभिलिखित एवं हस्ताक्षरित बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त के अनुसार, बोर्ड का बहुमत निर्णय सर्वसम्मत रहा तथा कोई असहमति विचार अभिलिखित नहीं किया गया।

वर्ष 2024-25 हेतु वार्षिक आम बैठक सदस्यों/निदेशकों से विधिवत सहमति लेकर निर्धारित सूचना से कम अवधि की अल्प सूचना पर बुलाई गई।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में उसके आकार एवं संचालन के अनुरूप लागू विधियों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी एवं सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त प्रणालियाँ एवं प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि अंकेक्षण के दौरान उपर्युक्त संदर्भित विधियों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के कार्यकलापों पर बड़ा प्रभाव डालने वाली कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई।

इस रिपोर्ट को हमारे समान तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो "अनुबंध ए" के रूप में संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न हिस्सा है।

कृते विद्या बैद एंड कंपनी.
कंपनी सचिव
यूआईएन: S2014WB254300
ह/-
विद्या बैद (स्वामी)
एफसीएस सं. 8882
सीपी सं. 8686 पीआर सं. 6354/2025

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 1 जुलाई, 2026
यूडीआईएन: F008882H000722804

"अनुलग्नक क"

सेवा में,

सदस्यगण

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

दरभंगा हाउस, रांची झारखंड

हमारी समान तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

1. सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे अंकेक्षण के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु उपयुक्त अंकेक्षण व्यवहारों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सत्यापन नमूना आधार पर किया गया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ एवं व्यवहार हमारी राय हेतु एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा-बहियों की शुद्धता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहाँ भी आवश्यक हुआ, हमने विधियों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के घटित होने के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट एवं अन्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जाँच नमूना आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यकलापों का संचालन किया है।

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 1 जुलाई, 2026

कृते विद्या बैद एंड कंपनी.
कंपनी सचिव
यूडीआईएन: F008882H000722804
यूआईएन:S2014WB254300
ह/-
विद्या बैद (स्वामी)
एफसीएस सं. 8882
सीपी सं. 8686
पीआर सं. 6354/2025

कॉर्पोरेट अभिशासन पर प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्यगण

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

दरभंगा हाउस, रांची झारखंड

हमने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जिसे इसके पश्चात "कंपनी" कहा गया है) द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है। कंपनी असूचीबद्ध सरकारी कंपनी की श्रेणी में आती है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जाँच कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं एवं उनके क्रियान्वयन तक सीमित थी। यह न तो अंकेक्षण है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने बोर्ड की संरचना को छोड़कर, लोक उद्यम विभाग के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों हेतु कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है। बोर्ड का गठन प्रवर्तक समूह के बीच निष्पादित एमओयू के अनुसार किया गया है, जिसमें केवल नामिती निदेशक शामिल हैं, अतः दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की संरचना के सभी मानदंड पूरे नहीं किए जा सके।

हम आगे कहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यकलापों का संचालन किया है।

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 1 जुलाई, 2026

कृते विद्या बैद एंड कंपनी.
कंपनी सचिव
यूडीआईएन: F008882H000722804
यूआईएन:S2014WB254300
ह/-
विद्या बैद (स्वामी)
एफसीएस सं. 8882
सीपी सं. 8686
पीआर सं. 6354/2025

ANNEXURE - III

कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा
(खान और कोयला)
निजाम महल, कोलकाता-700 020
एवं
1, काउंसिल हाउस-स्ट्रीट,
कोलकाता-700 001

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
सत्यनिष्ठा सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE DIRECTOR
GENERAL OF AUDIT
(MINES & COAL)
NIZAM PALACE, KOLKATA-700 020
&
1, COUNCIL HOUSE STREET,
KOLKATA - 700 001

CONFIDENTIAL

No. 494588/CA/AMG V/JCRL/ Accounts Audit/2025-26/ 106

Dated : 03.06.2026

To
The Chairman,
Jharkhand Central Railway Limited,
Darbhanga House, Main Building,
Ranchi, Jharkhand-834029

Sub: Comments of the Comptroller & Auditor General of India under section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the financial statements of Jharkhand Central Railway Limited for the year ended 31 March 2026.

Sir,

I forward herewith the comments of the Comptroller & Auditor General of India under section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the financial statements of Jharkhand Central Railway Limited for the year ended 31 March 2026.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

Encl: As stated.

(Biren Dineshchandra Parmar)
Additional Deputy Comptroller & Auditor General

Phone: +033-22875380,
+033-22489674

E-mail: dgacoalkol@cag.gov.in,
pdamineskol@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF JHARKHAND CENTRAL RAILWAY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

The preparation of financial statements of Jharkhand Central Railway Limited for the year ended 31 March 2026 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the Management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 17 April 2026.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of Jharkhand Central Railway Limited for the year ended 31 March 2026 under Section 143(6) (a) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(Biren Dineshchandra Parmar)
Additional Deputy Comptroller & Auditor General

Place : Kolkata,
Dated : 03.06.2026

अनुलग्नक- 4

दिनांक: 28.07.2026

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

हम, डॉ. शैलेश कुनार सिन्हा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीइओ), झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल), रांची तथा प्रकाश कुमार सिंह, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल), रांची, वित्त कार्य हेतु उत्तरदायी, प्रमाणित करते हैं कि:

a. हमने 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह विवरण की, लेखांकन नीतियों एवं उन पर अतिरिक्त टिप्पणियों सहित, तथा सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:

   i. इन विवरणों में कोई भौतिक रूप से असत्य कथन नहीं है, न ही कोई भौतिक तथ्य छोड़ा गया है, न ही ऐसे कथन हैं जो भ्रामक हों:

   ii. ये विवरण मिलकर कंपनी के कार्यकलापों का सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं तथा किसी भौतिक विचलन के बिना विद्यमान लेखांकन मानकों अर्थात् भारत के, लागू विधियों एवं विनियमों के अनुपालन में हैं।

b. हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया कोई भी लेनदेन कपटपूर्ण, अवैध अथवा कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला नहीं है।

c. हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं अनुरक्षित करने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है, और हमने अंकेक्षकों एवं अंकेक्षण समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की अभिकल्पना अथवा संचालन में कमियाँ, यदि कोई हों, जिनके बारे में वे अवगत हैं, तथा इन कमियों को दूर करने हेतु उठाए गए या प्रस्तावित कदमों का प्रकटीकरण किया है।

d. हमने अंकेक्षकों एवं अंकेक्षण समिति को संकेत दिया है कि:

   i. संदर्भाधीन अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है;

   ii. अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

   iii. हमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता वाली किसी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की कोई जानकारी नहीं है।

ह/-
(डॉ. शैलेश कुनार सिन्हा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जेसीआरएल

ह/-
(प्रकाश कुमार सिंह)
मुख्य वित्तीय अधिकारी, जेसीआरएल

अनुलग्नक-5

सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ड) तथा कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम 2022 के नियम 8(1) के अनुसरण में)

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति तैयार की है। सीएसआर नीति उन समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में योगदान करने की कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिनमें यह कार्य करती है।

सीएसआर नीति के प्राथमिक फोकस क्षेत्रों में परियोजना स्थल के आसपास अवसंरचना का विकास तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य को बढ़ावा देना शामिल है। कंपनी सामुदायिक अवसंरचना के निर्माण एवं संवर्धन, शिक्षा तक पहुँच में सुधार तथा पर्यावरणीय सततता को बढ़ावा देने वाली पहलों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार का प्रयास करती है।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/ निदेशकता की प्रकृति	वर्ष के दौरान योजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान भाग ली गई सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
-	-	-	-	-

कंपनी को समिति की संरचना की आवश्यकता से छूट प्राप्त है।

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा प्रस्तुत अधिनियम की धारा 135(9) के अनुसार, जहाँ अधिनियम की धारा 135(5) के अंतर्गत कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली राशि किसी वित्तीय वर्ष में ₹50 लाख से अधिक नहीं होती, वहाँ सीएसआर समिति गठित करने की आवश्यकता से छूट का प्रावधान है।

4. वह वेब-लिंक प्रदान करें जहाँ सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएँ कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हैं: jcrl.co.in

5. निम्न में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का कार्यकारी सारांश वेब-लिंक सहित प्रदान करें: वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु लागू नहीं

6. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट-ऑफ हेतु उपलब्ध राशि तथा वित्तीय वर्ष हेतु सेट-ऑफ के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो, का विवरण

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ हेतु उपलब्ध राशि (रु. में)	वित्तीय वर्ष हेतु सेट-ऑफ की जाने वाली अपेक्षित राशि, यदि कोई हो (रु. में)
1	-	-	-
2	-	-	-
कुल		-	-

8. (क) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

वित्तीय वर्ष	कर-पूर्व शुद्ध लाभ (राशि लाख में)
2022-23	812.53
2023-24	347.65
2024-25	661.18
तीन वित्तीय वर्षों का औसत शुद्ध लाभ	607.12

विगत तीन वित्तीय वर्षों हेतु कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: रु. 607.12 लाख

9. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: रु. 12,14,000.00**

(b) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य

(c) वित्तीय वर्ष हेतु सेट-ऑफ की जाने वाली अपेक्षित राशि, यदि कोई हो: रु. 0.00

(d) वित्तीय वर्ष हेतु कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग): रु. 12,14,000.00

10. (क) वित्तीय वर्ष हेतु व्यय अथवा अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष हेतु व्यय की गई कुल राशि (रु. में)	अव्ययित राशि (रु. में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि।		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची 7 के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि।		
	राशि।	अंतरण की तिथि।	निधि का नाम	राशि।	अंतरण की तिथि।
12,29,865.00	0	-	-	-	-

(b) वित्तीय वर्ष हेतु चालू परियोजनाओं के विरुद्ध व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परि-योजना का नाम।	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधियों की सूची से मद।	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)।	परियोजना का स्थान।		परियोजना अवधि।	परियोजना हेतु आवंटित राशि (रु. में)।	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय राशि (रु. में)।	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना हेतु अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रु.में)।	क्रियान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	क्रियान्वयन का तरीका - क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.												
कुल												

(c) वित्तीय वर्ष हेतु चालू परियोजनाओं से इतर के विरुद्ध व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधियों की सूची से मद।	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)।	परियोजना का स्थान।		परियोजना हेतु व्यय राशि (रु. में)।	क्रियान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)।	क्रियान्वयन का तरीका - क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से।	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या।
1.	**सक्षम-** सशक्तीकरण एवं क्षमता निर्माण	शिक्षा को बढ़ावा	हाँ	झारखंड, चतरा		12,29,865.00	नहीं	उद्यमी आदिवासी विकास केंद्र (यूएवीके)	सीएसआर00001345
2.									
3.									
कुल									

(d) प्रशासनिक उपरिव्यय में व्यय राशि: शून्य

(e) प्रभाव आकलन पर व्यय राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं

(f) वित्तीय वर्ष हेतु व्यय की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ): 12,29,865.00

(g) सेट-ऑफ हेतु अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र. सं.	विवरण	राशि (रु. में)
(1)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	12,14,000.00
(2)	वित्तीय वर्ष हेतु व्यय की गई कुल राशि	12,29,865.00
(3)	वित्तीय वर्ष हेतु व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(2)-(1)]	15,865.00
(4)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	0.00
(5)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट-ऑफ हेतु उपलब्ध राशि [(3)-(4)]	0.00

11. क्या वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूँजीगत संपत्ति सृजित अथवा अर्जित की गई है: नहीं

यदि हाँ, तो सृजित/अर्जित पूँजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें: शून्य

12. यदि कंपनी धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही हो, तो कारण(णों) को निर्दिष्ट करें।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कोई अव्ययित राशि नहीं है

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

ह/-
एस के सिन्हा
सीइओ

ह/-
(पवन कु. मिश्रा)
अध्यक्ष डीआईएन:09665365

अनुलग्नक– 6

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 तथा कंपनी (लेखे) नियम, 2014 सहित पठित के अंतर्गत प्रकट की जाने वाली ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय संबंधी सूचना नीचे दी गई है:

1. ऊर्जा संरक्षण

(a) **ऊर्जा संरक्षण हेतु उठाए गए कदम अथवा उसका प्रभाव:**

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी ने अपना वाणिज्यिक संचालन आरंभ नहीं किया है।

(b) **वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के उपयोग हेतु कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:**

लागू नहीं

ग) **ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूँजीगत निवेश:**

कार्यालय भवन में विद्युत बचत उपकरण स्थापित किए गए हैं।

2. प्रौद्योगिकी अवशोषण

(a) प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास:

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी ने अपना वाणिज्यिक संचालन आरंभ नहीं किया है।

(b) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास अथवा आयात प्रतिस्थापन जैसे प्राप्त लाभ:

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी ने अपना वाणिज्यिक संचालन आरंभ नहीं किया है।

(c) आयातित प्रौद्योगिकी की स्थिति में (वित्तीय वर्ष के आरंभ से गणना किए गए विगत तीन वर्षों के दौरान आयातित)

(a) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण: शून्य
(b) आयात का वर्ष: शून्य
(c) क्या प्रौद्योगिकी पूर्णतः अवशोषित की गई: शून्य
(d) यदि पूर्णतः अवशोषित नहीं, तो वे क्षेत्र जहाँ अवशोषण नहीं हुआ है, तथा उसके कारण; एवं: शून्य
(e) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय: शून्य

अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
1	पूँजीगत	शून्य	शून्य
2	आवर्ती	शून्य	शून्य
3	कुल	शून्य	शून्य
4	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय	शून्य	शून्य

3. विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय:

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा व्यय एवं अर्जित विदेशी मुद्रा शून्य है।

अनुलग्नक– 7

कॉर्पोरेट अभिशासन प्रतिवेदन

1. कॉर्पोरेट अभिशासन पर कंपनी का दर्शन:

कॉर्पोरेट अभिशासन का अर्थ है अपने हितधारकों के प्रति जवाबदेह रहते हुए अपने रणनीतिक लक्ष्यों को उत्तरदायी एवं पारदर्शी ढंग से प्राप्त करना। कंपनी अपने व्यवसाय को इस रीति से संचालित करने हेतु प्रतिबद्ध है, जो शेयरधारकों, कर्मचारियों, भागीदारों एवं नियामक निकायों सहित अपने सभी हितधारकों के विश्वास एवं भरोसे को बनाए रखे। हमारा दृढ़ विश्वास है कि सतत विकास केवल सुदृढ़ अभिशासन व्यवहारों, नैतिक आचरण एवं सिद्धांतनिष्ठ निर्णय-प्रक्रिया को अपनाकर ही प्राप्त किया जा सकता है।

हमारा अभिशासन ढाँचा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं गोपनीयता के स्तंभों पर आधारित है।

कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि सभी नीतियाँ हितधारकों के हितों को समुचित ध्यान में रखते हुए तथा लागू विधियों एवं सर्वोत्तम व्यवहारों के पूर्ण अनुपालन में तैयार की जाएँ। हमारा लक्ष्य कॉर्पोरेट नैतिकता एवं उत्तरदायित्व के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करना है।

2. निदेशक मंडल:

2.1 बोर्ड का आकार:

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड, एक सरकारी कंपनी तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की सहायक कंपनी, कोयला मंत्रालय के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करती है। अंतर्नियमों के अनुसार, बोर्ड की संख्या 3 (तीन) निदेशकों से कम तथा 15 (पंद्रह) से अधिक नहीं होगी।

2.2 बोर्ड की संरचना:

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के निदेशक मंडल में संबंधित हितधारक निकायों द्वारा नामित सात (7) निदेशक शामिल हैं, जो निम्नानुसार हैं:

- **सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) द्वारा नामित अध्यक्ष एवं दो (2) निदेशक**
- **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा नामित दो (2) निदेशक**
- **झारखंड सरकार (जीओजे) द्वारा नामित एक (1) निदेशक**
- **रेल मंत्रालय (एमओआर) द्वारा नामित एक (1) निदेशक**

बोर्ड की संरचना हितधारकों के बीच निष्पादित समझौता ज्ञापन (एमओयू) दिनांक 20.05.2015 के खंड 5 के अनुसार निम्नानुसार है:

पक्ष	निदेशकों की संख्या
सीसीएल	3
इरकॉन	2
जीओजे	1
एमओआर	1

a. **31.03.2026 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:**

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	प्रतिनिधित्व
1	श्री पवन कुमार मिश्रा, निदेशक (वित्त), सीसीएल	अध्यक्ष	19.12.2022	सीसीएल (सीसीएल)
2	श्री चंद्र शेखर तिवारी, निदेशक (प्रचालन), सीसीएल	निदेशक	29.03.2025	सीसीएल (सीसीएल)
3	श्री अजित कुमार मिश्रा, निदेशक (कार्य), इरकॉन	निदेशक	24.06.2025	इरकॉन (इरकॉन)
4	श्री प्रवीण कुमार प्रकाश (जेटीसी, परिवहन विभाग), जीओजे	निदेशक	18.03.2024	झारखंड सरकार (जीओजे)
5	श्रीमती रागिनी अडवाणी, निदेशक (वित्त), इरकॉन	निदेशक	01.06.2022	इरकॉन (इरकॉन)
6	श्री शशांक शेखर झा * (आईसी, सिविल) सीसीएल,	निदेशक	15.06.2018	सीसीएल (सीसीएल)
7	श्री प्रिय रंजन परही, ईडी/यातायात/ पीपीपी, रेलवे बोर्ड, एमओआर	निदेशक	09.05.2022	रेल मंत्रालय (एमओआर)

*श्री शशांक शेखर झा (आईसी, सिविल) सीसीएल, 31.03.2026 से सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) से सेवानिवृत्ति पर कंपनी के नामिती निदेशक नहीं रह गए हैं।

b. **रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक नियुक्त किए गए:**

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति/पदनाम में परिवर्तन की तिथि
1.	श्री अजित कुमार मिश्रा, निदेशक (कार्य), इरकॉन	निदेशक	24.06.2025

c. **रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक नहीं रह गए**

क्र. सं.	नाम	पदनाम	पद-मुक्ति की तिथि	टिप्पणी
1	श्री पराग वर्मा, निदेशक (कार्य) इरकॉन	निदेशक	01.05.2025	इरकॉन से सेवानिवृत्ति
2.	श्री आनंद कुमार सिंह, निदेशक (परियोजना), रकॉन	निदेशक	24.06.2025	इरकॉन द्वारा नामिती निदेशक में परिवर्तन
3.	श्री शशांक शेखर झा (आईसी, सिविल) सीसीएल,	निदेशक	31.03.2026	सीसीएल से सेवानिवृत्ति

2.3 निदेशकों की आयु सीमा एवं कार्यकाल:

अध्यक्ष एवं अन्य निदेशकों की आयु सीमा 60 (साठ) वर्ष है (जो उनकी मूल कंपनी/संगठन के समान है, जहाँ से वे नामित किए गए हैं)। अध्यक्ष एवं अन्य निदेशक सेवानिवृत्ति की तिथि तक अथवा प्रवर्तक कंपनियों/एमओआर/जीओजे द्वारा निर्णीत अवधि हेतु नियुक्त किए जाते हैं।

2.4 वित्तीय वर्ष के दौरान नियुक्त निदेशक:

श्री अजित कुमार मिश्रा, निदेशक (कार्य), इरकॉन को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया गया है।

3. बोर्ड बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान बोर्ड की चार (04) बार बैठक हुई। दो बैठकों के बीच अधिकतम समयांतराल 120 दिनों से अधिक नहीं रहा। अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बैठक सं.	बैठक की तिथि	समय	बैठक का स्थान
1.	अट्ठावन	21.04.2025	03.00 अपराह्न	रांची
2.	उनसठ	14.07.2025	03.00 अपराह्न	रांची
3.	साठ	13.10.2025	11.00 पूर्वाह्न	रांची
4.	इकसठ	12.01.2026	03.00 अपराह्न	रांची

3.1 निदेशक मंडल की भूमिका:

निदेशक मंडल ("बोर्ड"), अभिशासन हेतु सर्वोच्च प्राधिकारी एवं संरक्षक है, जो हमारी गतिविधियों को सही दिशा में आगे बढ़ाता है तथा कंपनी की सतत एवं जवाबदेह वृद्धि की स्थापना हेतु उत्तरदायी है। बोर्ड अपने न्यासिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को रणनीतिक मार्गदर्शन एवं स्वतंत्र विचार प्रदान करता है।

बोर्ड को हितधारकों के हित की रक्षा की दृष्टि से कंपनी के प्रबंधन, दिशा एवं प्रदर्शन की देखरेख का दायित्व एवं अधिकार सौंपा गया है। बोर्ड कंपनी की रणनीतिक दिशा की निगरानी करता है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान बोर्ड की चार (04) बार बैठक हुई। बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 एवं डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर रहा।

3.2 निदेशकों द्वारा भाग ली गई बैठकों का विवरण:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	बोर्ड बैठकें		उपस्थिति (%)	कंपनी की पिछली एजीएम एवं ईजीएम में उपस्थिति
			कार्यकाल के दौरान योजित	उपस्थित		
1	श्री पवन कुमार मिश्रा, निदेशक (वित्त), सीसीएल	अध्यक्ष	04	04	100	हाँ
2	श्री चंद्र शेखर तिवारी, निदेशक (प्रचालन), सीसीएल	निदेशक	04	03	75	एजीएम-नहीं ईजीएम-हाँ
3	*श्री आनंद कुमार सिंह, निदेशक (परियोजना), इरकॉन	निदेशक	04	0	0	नहीं
4	श्री अजित कुमार मिश्रा, निदेशक (कार्य), इरकॉन	निदेशक	04	02	50	नहीं
5	*श्री पराग वर्मा, निदेशक (कार्य) होती हैं पी & पी , सीसीएल	निदेशक	04	01	25	नहीं
6	श्री प्रवीण कुमार प्रकाश (जेटीसी, परिवहन विभाग), जीओजे	निदेशक	04	01	25	नहीं
7	श्रीमती रागिनी अडवाणी, निदेशक (वित्त), इरकॉन	निदेशक	04	04	100	नहीं
8	*श्री शशांक शेखर झा (आईसी, सिविल) सीसीएल,	निदेशक	04	04	100	हाँ
9	श्री प्रिय रंजन परही, ईडी/ यातायात/ पीपीपी, रेलवे बोर्ड, एमओआर	निदेशक	04	01	25	नहीं

बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 (दस) से अधिक सार्वजनिक कंपनियों में निदेशकता धारण नहीं करता। इसके अतिरिक्त, उनमें से कोई भी उन सभी सार्वजनिक कंपनियों में, जिनमें वह निदेशक है, 10 (दस) से अधिक समितियों का सदस्य अथवा 5 (पाँच) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है। 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों में समिति पदों के संबंध में आवश्यक प्रकटीकरण सभी निदेशकों द्वारा किए गए हैं। कोई भी निदेशक एक-दूसरे से संबंधित नहीं है।

***श्री पराग वर्मा ने 01.05.2025 को निदेशक, जेसीआरएल के रूप में कार्यभार छोड़ा।**

***श्री आनंद कुमार सिंह ने 24.06.2025 को निदेशक, जेसीआरएल के रूप में कार्यभार छोड़ा।**

***श्री शशांक शेखर झा ने 31.03.2026 को निदेशक, जेसीआरएल के रूप में कार्यभार छोड़ा**

4. बोर्ड की कार्यवाही:

4.1 निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई सूचना:

बोर्ड की कंपनी के भीतर समस्त प्रासंगिक सूचना, वरिष्ठ प्रबंधन तथा कंपनी के सभी अंकेक्षकों तक पूर्ण एवं निर्बाध पहुँच है। बोर्ड को नियमित रूप से दी जाने वाली सूचना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

a) कंपनी के त्रैमासिक एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम।

b) कंपनी के प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा।

c) वार्षिक रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट आदि।

d) बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त,

e) बड़े संविदाओं/समझौतों का आवंटन।

f) अन्य कंपनियों में निदेशकता एवं पद के बारे में निदेशकों द्वारा हित का प्रकटीकरण।

g) बैठक(कों) में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट बोर्ड द्वारा संज्ञान हेतु बोर्ड की तत्काल अगली बैठक में रखी जाती है।

h) अन्य भौतिक रूप से महत्वपूर्ण सूचना, जिसमें किसी नियामक अथवा वैधानिक अपेक्षा का कोई अननुपालन शामिल है।

i) डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित अन्य सभी मामले।

4.2 बोर्ड बैठक आयोजित होने के बाद की प्रक्रिया:

कंपनी सचिव बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त अभिलिखित करता है। कार्यवृत्त के मसौदे सुझावों एवं टिप्पणियों हेतु बोर्ड सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं। कार्यवृत्त बैठक के समापन से 30 दिनों के भीतर कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए जाते हैं।

5. निदेशकों का पारिश्रमिक:

सभी निदेशक संबंधित प्रवर्तक कंपनियों से अंशकालिक निदेशक होने के कारण, कोई पारिश्रमिक देय नहीं है।

5.1 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों एवं अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक का विवरण:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सकल वेतन	अनुलाभ	निवल वेतन
1.	श्री पवन कुमार मिश्रा	अध्यक्ष	शून्य	शून्य	शून्य
2.	श्री चंद्र शेखर तिवारी	निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सकल वेतन	अनुलाभ	निवल वेतन
3.	श्री पराग वर्मा	निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य
4.	श्री आनंद कुमार सिंह	निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य
5.	श्री अजित कुमार मिश्रा	निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य
6.	श्री प्रवीण कु. प्रकाश	निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सकल वेतन	अनुलाभ	निवल वेतन
7.	श्रीमती रागिनी अडवाणी	निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य
8.	श्री शशांक शेखर झा	निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य
9.	श्री प्रिय रंजन परही	निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य
10.	डॉ. शैलेश कुमार सिन्हा	सीइओ	22.64 लाख	-	22.64 लाख
11.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	सीएफओ	शून्य	शून्य	शून्य
12.	श्री प्रकाश कुमार सिंह	सीएफओ	शून्य	शून्य	शून्य
11.	श्रेया	सीएस	5.69 लाख	-	5.69 लाख

5.2 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान:

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 के अंतर्गत जारी 5 जून 2015 दिनांकित एमसीए अधिसूचना सहित पठित के अंतर्गत प्रदान की गई छूट को देखते हुए, धारा 149(4) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

5.3 अंशकालिक शासकीय निदेशक/सरकारी नामिती निदेशक:

कंपनी के बोर्ड के सभी निदेशक संबंधित प्रवर्तकों से नामित गैर-कार्यकारी निदेशक हैं।

5.4 बोर्ड सदस्यों को सूचना की उपलब्धता:

बोर्ड की कंपनी के भीतर समस्त प्रासंगिक सूचना, वरिष्ठ प्रबंधन तथा कंपनी के सभी अंकेक्षकों तक पूर्ण एवं निर्बाध पहुँच है। बोर्ड बैठकें एक संरचित कार्यसूची द्वारा संचालित होती हैं। सभी प्रमुख कार्यसूची मदों को व्यापक पृष्ठभूमि सूचना का समर्थन प्राप्त होता है, ताकि बोर्ड सूचित निर्णय ले सके। कंपनी सचिव वरिष्ठ प्रबंधन के परामर्श से बैठकों हेतु विस्तृत कार्यसूची तैयार करता है।

5.5 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

31.03.2026 की स्थिति के अनुसार प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की संरचना निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1.	डॉ. शैलेश कुमार सिन्हा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीइओ)	02.07.2024
2.	श्री प्रकाश कु. सिंह	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)	03.05.2025
3.	श्रीमती श्रेया	कंपनी सचिव (सीएस)	29.04.2022

6. बोर्ड की समितियाँ:

कंपनी ने बोर्ड स्तर पर कोई समिति स्थापित नहीं की है।

7. कंपनी के अंकेक्षक:

7.1 वैधानिक अंकेक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत, वर्ष 2025-26 हेतु आपकी कंपनी के वित्तीय लेखों के अंकेक्षण हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित सनदी लेखाकार फर्म नियुक्त की गई।

आर. के. गारोडिया एंड कंपनी.

202, रामकिशन स्क्वायर,

द्वितीय तल, टेलीफोन एक्सचेंज के निकट, लेक रोड, रांची-834001

8. अंकेक्षकों का पारिश्रमिक:

अंकेक्षण का प्रकार	पारिश्रमिक
वर्ष 2025-26 हेतु वैधानिक अंकेक्षण	रु. 1,00,000/- का समेकित शुल्क
जून-2025, सितंबर-2025, दिसंबर-2025 एवं मार्च-2026 को समाप्त तिमाहियों हेतु अंतरिम वित्तीय विवरणों की समीक्षा	वार्षिक शुल्क का 25% अर्थात् रु. 25,000/- का समेकित शुल्क

9. वार्षिक आम बैठकें (एजीएम):

विगत 3 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक/असाधारण आम बैठकों का विवरण:

वर्ष	बैठक का नाम	तिथि एवं समय	स्थान	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2023-24	8वीं एजीएम	21 जुलाई 2023 अपराह्न 10:30 बजे	सीसीएल, दरभंगा हाउस, रांची	1 अंतर्नियमों में परिवर्तन
2024-25	9वीं एजीएम	25 जुलाई 2024 अपराह्न 12:00 बजे	सीसीएल, दरभंगा हाउस, रांची	शून्य

वर्ष	बैठक का नाम	तिथि एवं समय	स्थान	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2025-26	तीसरी इजीएम	30 अप्रैल 2025 पूर्वाह्न 11.30 बजे	सीसीएल, दरभंगा हाउस, रांची	2 धन का उधार लेना एवं प्रभार का सृजन
2025-26	10वीं एजीएम	29 जुलाई 2025 अपराह्न 12:00 बजे	सीसीएल, दरभंगा हाउस, रांची	शून्य

10. प्रकटीकरण:

10.1 भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित-पक्ष लेनदेन:

कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु निदेशकों अथवा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों अथवा उनके संबंधियों के साथ ऐसा कोई भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित-पक्ष लेनदेन नहीं किया है, जिसमें कंपनी के हित के साथ संभावित टकराव हो।

10.2 विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी दिशानिर्देश से संबंधित किसी मामले पर किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर आरोपित अननुपालन, दंड, प्रतिबंधों का विवरण: शून्य

11. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के अंतर्गत सतर्कता तंत्र:

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 के अंतर्गत जारी 5 जून 2015 दिनांकित एमसीए अधिसूचना सहित पठित के अंतर्गत प्रदान की गई छूट को देखते हुए, धारा 149(4) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते। चूँकि कंपनी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से मुक्त है, अतः अंकेक्षण समिति का गठन कंपनी पर लागू नहीं है।

कंपनी (बोर्ड एवं उसकी शक्तियों की बैठकें) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम 3 के अनुसरण में, बोर्ड सतर्कता तंत्र के प्रयोजन हेतु एक निदेशक को नामित करने की प्रक्रिया में है, जिसे अन्य निदेशक एवं कर्मचारी अपनी चिंताएँ रिपोर्ट कर सकें।

कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित "कोल इंडिया व्हिसल ब्लोअर नीति 2011" को जेसीआरएल ने अपनी उप-सहायक कंपनी के रूप में क्रियान्वित किया है। यह नीति कर्मचारियों को अनैतिक आचरण, वास्तविक अथवा संदिग्ध, धोखाधड़ी अथवा कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन की घटनाओं की प्रबंधन को रिपोर्ट करने का अवसर प्रदान करने हेतु तैयार की गई है।

12. वैधानिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं सी&एजी टिप्पणियाँ:

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष हेतु झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

13. कंपनी की सहायक कंपनियों का विवरण एवं उनका स्थान: शून्य

14. संप्रेषण के साधन:

14.1 वेबसाइट:

कंपनी ने समस्त महत्वपूर्ण सूचना होस्ट करने हेतु एक वेबसाइट www.जेसीआरएल.co.in विकसित की है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम इसकी धारक कंपनी की वेबसाइट पर भी उपयोगकर्ता-अनुकूल एवं डाउनलोड-योग्य रूप में उपलब्ध हैं।

14.2 आरटीआई:

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों से निपटने हेतु संगठन में एक तंत्र स्थापित किया है। वर्ष 2025-26 के दौरान आरटीआई के अंतर्गत माँगी गई सूचना एवं उसके निपटान के आँकड़े निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	नाम	संख्या
1	वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या	शून्य
2	वर्ष के दौरान निपटाए गए आवेदनों की संख्या	शून्य

14.3 वार्षिक रिपोर्ट:

अन्य बातों के साथ-साथ अंकेक्षित वार्षिक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, इन स्टैंडअलोन पर अंकेक्षक की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचना युक्त वार्षिक रिपोर्ट लागू विधियों एवं विनियमों के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों एवं अन्य पात्र व्यक्तियों को परिचालित की जाती है। कंपनी की वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट पर उपयोगकर्ता-अनुकूल एवं डाउनलोड-योग्य रूप में उपलब्ध है।

15. कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीए दिशानिर्देशों की अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन:

कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन में, एक त्रैमासिक एवं वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है।

निदेशक की प्रोफ़ाइल

श्री पवन कुमार मिश्रा, अध्यक्ष, जेसीआरएल

श्री पवन कुमार मिश्रा (डीआईएन–09665365) ने 19 दिसंबर 2022 को झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वाणिज्य स्नातक तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के सदस्य, वे वर्तमान में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत हैं।

जेसीआरएल में शामिल होने से पूर्व उन्होंने एक विद्युत वितरण कंपनी डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएनएचपीडीसीएल) तथा एक विद्युत उत्पादन कंपनी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीआईएल) में सीएफओ (मुख्य वित्तीय अधिकारी) के रूप में कार्य किया। उन्हें लेखांकन, वित्त एवं कराधान के क्षेत्रों में 20 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्हें कॉर्पोरेट लेखांकन एवं कराधान, पुनर्गठन सहित कॉर्पोरेट वित्तपोषण, वार्ता एवं दस्तावेज़ीकरण सहित वाणिज्यिक/परियोजना मूल्यांकन, बजट एवं बजटीय नियंत्रण, अंकेक्षकों के साथ कार्य, टैरिफ निर्धारण एवं अंतिम रूप देने सहित वाणिज्यिक अनुपालन, विद्युत क्रय समझौते को अंतिम रूप देने तथा विद्युत क्षेत्र में अन्य नियामक अनुपालनों का समृद्ध एवं व्यापक अनुभव है।

अपने पूर्व व्यावसायिक कार्यकाल में, उन्होंने प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से विद्युत वितरण कंपनी के निजीकरण—जो अपनी तरह का पहला था—में दस्तावेज़ीकरण सहित महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे उक्त निजीकरण के अंतरण एवं मार्गदर्शन की प्रक्रिया, नियामक सुधारों के माध्यम से वितरण उपयोगिता कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार, एकीकृत व्यावसायिक समाधान एवं स्वचालित व्यावसायिक प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन, वित्त नियमावली एवं आंतरिक अंकेक्षण नियमावली की तैयारी, तथा नई लेखांकन नीतियों एवं रिपोर्टिंग संरचना को अंतिम रूप देने सहित नए लेखांकन मानकों (भारतीय लेखा मानक) के क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण रहे।

**श्री प्रिय रंजन परही,
निदेशक, जेसीआरएल**

श्री प्रिय रंजन परही, ईडी (इंफ्रा)-1, 09.05.2022 को जेसीआरएल के बोर्ड में शामिल हुए। श्री प्रिय रंजन परही 1996 बैच की भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) से संबंधित हैं तथा उन्हें रेलवे मुख्यालयों एवं रेलवे बोर्ड में मंडल परिचालन प्रमुखों के रूप में विभिन्न क्षमताओं में, माल परिचालन एवं नियोजन के क्षेत्रों में, रेलवे परिचालन में 25 वर्ष का अनुभव है। वे कॉनकोर के उत्तर मध्य क्षेत्र के प्रमुख रहे। वर्तमान में, श्री परही रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक (इंफ्रा)-1 का पद धारण करते हैं।

**श्रीमती रागिनी अडवाणी,
निदेशक, जेसीआरएल**

श्रीमती रागिनी अडवाणी 01.06.2022 को जेसीआरएल के बोर्ड में शामिल हुईं। वे योग्यता से एक सनदी लेखाकार एवं लागत लेखाकार हैं तथा उन्हें वित्त में लगभग 25 वर्ष का योग्यता-पश्चात अनुभव है। वे सनदी लेखाकारिता एवं लागत लेखाकारिता दोनों परीक्षाओं में रैंक धारक रही हैं।

इरकॉन में शामिल होने से पूर्व, श्रीमती अडवाणी ने तेल एवं गैस क्षेत्र की एक तकनीकी परामर्श सीपीएसई, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) में महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) के रूप में कार्य किया तथा लेखांकन की प्रभारी रहीं एवं सी&एजी /वैधानिक अंकेक्षकों के साथ कार्य, सभी विपणन प्रस्तावों की सहमति एवं विपणन वित्त, बिलिंग एवं संबंधित मामले, बजटीकरण एवं एमआईएस तथा व्यवसाय विकास प्रस्तावों को संभाला। वे 2 वर्ष तक अध्यक्ष कार्यालय का भी हिस्सा रहीं और ईआईएल में लगभग एक वर्ष तक कंपनी सचिवालय विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला।

उनका पूर्व अनुभव एनटीपीसी सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनएसपीसीएल) तथा केपीएमजी के साथ रहा। उन्हें कॉर्पोरेट वित्त में समृद्ध एवं विविध अनुभव है, जिसमें मूल्यांकन, विलय/विभाजन एवं अधिग्रहण, वित्तीय पुनर्गठन, कोषागार प्रबंधन, ऋण वित्तपोषण की व्यवस्था, कॉर्पोरेट नियोजन एवं बजटीकरण, वाणिज्यिक बिलिंग एवं ई-नीलामी के माध्यम से कोयले की खरीद, नियमित एमआईएस, सीएजी के साथ कार्य, टैरिफ आदेशों को अंतिम रूप देने हेतु सीईआरसी के साथ कार्य तथा दीर्घकालिक पीपीएल पर हस्ताक्षर शामिल हैं।

श्रीमती अडवाणी ईआईएल के 'आंतरिक' वरिष्ठ प्रबंधन कार्यक्रमों हेतु वित्त मामलों के संबंध में विषय-वस्तु विशेषज्ञ/मार्गदर्शक भी रही हैं।

श्री चंद्र शेखर तिवारी,
निदेशक, जेसीआरएल

श्री चंद्र शेखर तिवारी (डीआईएन–10977782) ने 29-03-2025 से झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) में निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्हें खनन उद्योग में तीन दशक से अधिक का अनुभव है तथा निदेशक के रूप में शामिल होने से पूर्व उन्होंने सीसीएल मुख्यालय में महाप्रबंधक (वन) के रूप में सेवा दी।

श्री चंद्र शेखर तिवारी ने वर्ष 1989 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खनि विद्यापीठ) (आईआईटी-आईएसएम), धनबाद से प्रौद्योगिकी स्नातक (खनन इंजीनियरिंग) की उपाधि प्राप्त की तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), धनबाद से प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक प्रमाणपत्र भी धारण करते हैं।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान (मेसरा) से विपणन प्रबंधन में व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (एमबीए) की उपाधि धारण की है। उनकी शैक्षणिक उपलब्धियाँ खनन उद्योग में उनकी गहन समझ एवं नेतृत्व क्षमताओं को दर्शाती हैं।

उन्होंने अपना करियर वर्ष 1989 में बीसीसीएल से कोल इंडिया लिमिटेड में आरंभ किया, जहाँ उन्होंने एसडीएल वाली यंत्रीकृत भूमिगत खदानों में कार्य का अनुभव प्राप्त किया। अपने करियर के दौरान, श्री तिवारी ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) तथा नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्होंने सीएमपीडीआई में भी सेवा दी, जिसने खनन के विभिन्न पहलुओं पर उनके खान नियोजन कौशल को आकार दिया। खनन परिचालन, नियोजन एवं नियामक भूमिकाओं में विभिन्न क्षमताओं में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें स्तर -1, स्तर -2, इसी, एफसी, वन भूमि के डायवर्जन जैसी स्वीकृतियाँ प्राप्त करने, अनुपालनों सहित समयबद्ध सिटीई/सिटीओ सुरक्षित करने का सिद्ध रिकॉर्ड है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने उत्पादन एवं उत्पादकता सुधार, सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुधार हेतु भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

श्री अजित कुमार मिश्रा

श्री अजित कुमार मिश्रा भारतीय रेलवे इंजीनियर सेवा (आईआरएसई) के अधिकारी हैं; वे रेलवे एवं परिवहन क्षेत्रों में वृहद एवं जटिल अवसंरचना परियोजनाओं के नियोजन, निष्पादन, अभिशासन एवं वितरण में पच्चीस वर्ष से अधिक का विशिष्ट अनुभव रखते हैं।

निदेशक (कार्य) के रूप में, वे भारत एवं विदेशों में इरकॉन की विविध रेलवे, हाई-स्पीड रेल, मेट्रो, पुल, सुरंग, ट्रैक एवं संबद्ध अवसंरचना परियोजनाओं के लिए रणनीतिक नेतृत्व प्रदान करते हैं। वे परियोजना निष्पादन, इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, संविदा अभिशासन, डिजिटल परियोजना नियंत्रण, हितधारक समन्वय एवं गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी हैं। वे वर्तमान में कई रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं की देखरेख करते हैं, जिनमें मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल ट्रैक पैकेज, बैलास्ट-रहित ट्रैक कार्य, गंगा नदी पर महत्वपूर्ण पुल, सुरंग परियोजनाएँ, तथा भारत के लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक विकास एवं आर्थिक विकास को सहारा देने वाली महत्वपूर्ण रेल संपर्क पहलें शामिल हैं। वे बांग्लादेश, मलेशिया एवं नेपाल में इरकॉन द्वारा क्रियान्वित अवसंरचना परियोजनाओं के भी प्रभारी हैं।

इरकॉन के बोर्ड में शामिल होने से पूर्व, श्री मिश्रा ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) में वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर कार्य किया, जहाँ उन्होंने प्रमुख रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन का नेतृत्व किया तथा बाद में संविदा प्रबंधन विभाग का नेतृत्व किया, जिसमें बहुपक्षीय-वित्तपोषित परियोजनाओं हेतु खरीद, संविदा प्रशासन एवं विवाद समाधान की देखरेख शामिल थी।

आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र, श्री मिश्रा अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय में एमबीए तथा अंतरराष्ट्रीय विवाद समाधान में एलएल.एम. धारण करते हैं। वे चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स (एफसीआईआर्ब) के फेलो, फिडिक पीआरप्रेसिडेंट्स लिस्ट अधिनिर्णायक तथा फिडिक प्रमाणित प्रशिक्षक भी हैं। वे व्यावसायिक संस्थानों एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों के माध्यम से परियोजना प्रबंधन, संविदा प्रशासन एवं विवाद निवारण के विकास में सक्रिय रूप से योगदान करते हैं।

श्री मिश्रा 24.06.2025 से इरकॉन के नामिती के रूप में जेसीआरएल बोर्ड में शामिल हुए।

श्री शशांक शेखर झा, निदेशक, जेसीआरएल

एस.एस. झा झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) में निदेशक हैं, जहाँ वे जून 2018 से सेवारत हैं। तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना (अब एनआईटी पटना) से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक। उन्हें सीएमपीडीआई तथा सीआईएल के विभिन्न कोलफील्ड्स में विभिन्न क्षमताओं में कार्य करने का 32 वर्ष का अनुभव है। वे वर्तमान में सीसीएल में जीएम (सिविल)/आईसी/रेल इंफ्रा के रूप में कार्यरत हैं। वे टाउनशिप के नियोजन एवं भवन कार्य, जल आपूर्ति एवं सीवरेज नेटवर्क सहित इसके निर्माण में शामिल रहे हैं। वे पिपरवार OC खदान में सड़क निर्माण तथा बेल्ट कन्वेयर के माध्यम से मोबाइल इन-पिट कन्वेइंग सिस्टम हेतु आवश्यक निर्माण/स्थापना कार्य तथा हॉल पैक/डंपरों के परिवहन हेतु चालू कन्वेयर पर पुल के निर्माण में भी शामिल रहे हैं।

उन्होंने सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट (सीएमपीडीआई) तथा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) की विभिन्न खदानों में कार्य किया। उन्हें नई रेल लाइन के निर्माण/ट्रैकों के नवीनीकरण/विभिन्न रेल अवसंरचना कार्यों के अनुरक्षण में अत्यंत समृद्ध एवं व्यापक अनुभव है, जिसमें टोरी-शिवपुर बीजी रेल लाइन (44 किमी) का निर्माण तथा विभिन्न अन्य रेल अवसंरचना कार्य जैसे कोनार रेलवे साइडिंग, कारो रेलवे साइडिंग का विस्तार कार्य, नॉर्थ उरीमारी रेलवे साइडिंग आदि शामिल हैं।

श्री प्रवीण कुमार प्रकाश, निदेशक, जेसीआरएल

श्री प्रवीण कुमार प्रकाश 18.03.2024 को जेसीआरएल बोर्ड में शामिल हुए। वे जनवरी 2024 से संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखंड के रूप में कार्यरत हैं। इससे पूर्व, उन्होंने साढ़े तीन वर्ष तक जिला परिवहन अधिकारी, रांची के रूप में कार्य किया। वे तीन वर्ष तक जिला आपूर्ति अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भी रहे। उन्होंने चार वर्ष तक कार्यपालक दंडाधिकारी तथा तीन वर्ष तक अंचल अधिकारी/प्रखंड विकास अधिकारी के रूप में भी कार्य किया। वे दूसरे बैच के झारखंड प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं तथा 2008 से सेवा में हैं। झारखंड प्रशासनिक सेवा में शामिल होने से पूर्व उन्होंने एक निजी फर्म में दो वर्ष तक विधि सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। वे दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (एलएलबी) हैं। वे इतिहास (ऑनर्स) में स्नातक हैं।

स्वतंत्र अंकेक्षक की रिपोर्ट

अनुलग्नक 8

आर. के. गरोदिया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
202, साई अपार्टमेंट, कचहरी रोड,
रांची - 834001 (झारखंड)
आर.ए.ए. :0651-2203343,668475
iii : 9835168852,9939687867

: rkgco@icai.org

स्वतंत्र अंकेक्षक की प्रतिवेदन

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड के सदस्यों को

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण पर रिपोर्ट

राय

हमने झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है, जिनमें 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ शामिल हैं।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित सूचना अपेक्षित रीति से देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ एवं नकदी प्रवाह का सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों (लेखापरीक्षा मानकों) के अनुसार अपना अंकेक्षण किया। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का आगे हमारी रिपोर्ट के 'स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक के उत्तरदायित्व' अनुभाग में वर्णन किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता तथा अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, तथा हमने इन अपेक्षाओं एवं आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य हमारी राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों हेतु उत्तरदायी है, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन एवं नकदी प्रवाह का सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पहचान हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान लगाना; तथा अभिकल्पना,

वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखे - 2025-202680पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण भी शामिल है, जो लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से कार्यरत थे, जो स्टैंडअलोन वित्तीय

विवरण की तैयारी एवं प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं, जो सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी भौतिक असत्य कथन से मुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की भावी अस्तित्व (गोइंग कंसर्न) के रूप में बने रहने की क्षमता का आकलन करने, यथालागू भावी अस्तित्व से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करने तथा लेखांकन के भावी अस्तित्व आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी का परिसमापन करने अथवा संचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, अथवा ऐसा करने के अतिरिक्त उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक के उत्तरदायित्व — हमारे उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र रूप से धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी भौतिक असत्य कथन से मुक्त हैं, तथा एक अंकेक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, किंतु यह गारंटी नहीं है

कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया अंकेक्षण किसी भौतिक असत्य कथन के विद्यमान होने पर उसका पता सदैव लगा ही लेगा। असत्य कथन धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं तथा उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से अथवा समग्र रूप से, उनसे इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सके।

लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अंकेक्षण के भाग के रूप में, हम अंकेक्षण के दौरान व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं तथा व्यावसायिक संशयवाद बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के भौतिक असत्य कथन के जोखिमों की पहचान एवं आकलन करते हैं, उन जोखिमों के अनुरूप अंकेक्षण प्रक्रियाएँ अभिकल्पित एवं निष्पादित करते हैं, तथा ऐसे अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न भौतिक असत्य कथन का पता न लगने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, कूटरचना, जानबूझकर की गई चूक, मिथ्या-प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण का अतिक्रमण शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त अंकेक्षण प्रक्रियाएँ अभिकल्पित करने हेतु अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत, हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है तथा ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के भावी अस्तित्व आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं तथा, प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर, यह कि क्या ऐसी घटनाओं अथवा स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी की भावी अस्तित्व के रूप में बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी अंकेक्षक रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है अथवा, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारी अंकेक्षक रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएँ अथवा स्थितियाँ कंपनी को भावी अस्तित्व के रूप में बने रहने से रोक सकती हैं।

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषय-वस्तु, प्रकटीकरणों सहित, तथा यह कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों एवं घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जिससे उचित प्रस्तुति प्राप्त हो, का मूल्यांकन करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभारी लोगों से अन्य बातों के साथ-साथ अंकेक्षण के नियोजित दायरे एवं समय तथा महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्षों, जिनमें अंकेक्षण के दौरान हमारे द्वारा पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण की कोई महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं, के संबंध में संवाद करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभारी लोगों को एक कथन भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, तथा उन सभी संबंधों एवं अन्य मामलों के बारे में उनसे संवाद करते हैं जिनके बारे में उचित रूप से यह समझा जा सकता है कि वे हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालते हैं, तथा जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा-उपाय।

अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (अंकेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित अनुसार, हम "अनुबंध-क" में आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, यथालागू सीमा तक, एक कथन देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (a) हमने वे सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण माँगे एवं प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे अंकेक्षण के प्रयोजनों हेतु आवश्यक थे;

   (b) हमारी राय में, विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा-बहियाँ कंपनी द्वारा रखी गई हैं, जहाँ तक कि यह उन बहियों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है;

   (c) इस रिपोर्ट में निपटाए गए तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा-बहियों के अनुरूप हैं;

   (d) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 तथा कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 7 सहित पठित के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;

   (e) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 5 जून 2015 दिनांकित अधिसूचना सं. 463(ङ) के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 164 की उप-धारा (2) के प्रावधान कंपनी पर, एक सरकारी कंपनी होने के कारण, लागू नहीं हैं;

   (f) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, हमारी पृथक रिपोर्ट "अनुबंध-B" देखें;

   (g) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 5 जून 2015 दिनांकित अधिसूचना सं. 463(ङ) के अनुसरण में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर, एक सरकारी कंपनी होने के कारण, लागू नहीं हैं;

   (h) कंपनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. कंपनी के विरुद्ध, टिप्पणी सं. 16क में आकस्मिक देयताओं के रूप में उल्लिखित को छोड़कर, ऐसी कोई लंबित मुकदमेबाजी नहीं है, जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे;

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालिक संविदा नहीं थी, जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वानुमेय हानि हो;

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना आवश्यक हो;

iv. (क) प्रबंधन ने अभ्यावेदित किया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) अथवा निकाय(यों), जिनमें विदेशी निकाय ("मध्यस्थ") शामिल हैं, को अथवा उनमें कोई निधि (चाहे उधार ली गई निधि अथवा शेयर प्रीमियम अथवा किसी अन्य स्रोत अथवा प्रकार की निधि से) इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में अभिलिखित हो अथवा अन्यथा, अग्रिम अथवा ऋण अथवा निवेशित नहीं की गई है कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी भी रीति से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों अथवा निकायों ("अंतिम लाभार्थी") में ऋण अथवा निवेश करेगा अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति आदि प्रदान करेगा;

(b) प्रबंधन ने अभ्यावेदित किया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति(यों) अथवा निकाय(यों), जिनमें विदेशी निकाय ("वित्तपोषक पक्ष") शामिल हैं, से कोई निधि इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में अभिलिखित हो अथवा अन्यथा, प्राप्त नहीं की गई है कि कंपनी, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तपोषक पक्ष द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी भी रीति से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों अथवा निकायों ("अंतिम लाभार्थी") में ऋण अथवा निवेश करेगी अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति आदि प्रदान करेगी; तथा

(c) परिस्थितियों में उचित एवं उपयुक्त मानी गई ऐसी अंकेक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (क) एवं (ख) के अंतर्गत अभ्यावेदनों में कोई भौतिक असत्य कथन है।

v. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लाभांश भुगतान नहीं किया गया है।

vi. हमारी जाँच, जिसमें नमूना-जाँच शामिल थी, के आधार पर, कंपनी ने अपनी लेखा-बहियों के अनुरक्षण हेतु एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा की विशेषता है तथा वही सॉफ्टवेयर में अभिलिखित सभी प्रासंगिक लेनदेनों हेतु वर्ष भर संचालित रहा। इसके अतिरिक्त, अपने अंकेक्षण के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा से छेड़छाड़ का कोई उदाहरण नहीं मिला।

कृते आर. के. गरोदिया एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

202, साई अपार्टमेंट, कचहरी रोड, रांची (फर्म पंजीकरण सं.: 002004C)

सीए दीपक गरोदिया

साझेदार (सदस्यता सं.: 409246) UDIN: 26409246ZCGEVU2903

स्थान: रांची
दिनांक: 17.04.2026

स्वतंत्र अंकेक्षक की प्रतिवेदन का अनुलग्नक- 'A'

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को हमारी समान तिथि की प्रतिवेदन के 'अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर प्रतिवेदन अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में उल्लिखित।

i (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मात्रात्मक विवरण एवं स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख अनुरक्षित किए हैं।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों के पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख अनुरक्षित किए हैं।

(b) समस्त संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है तथा ऐसे सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई।

(c) अभिलेखों की हमारी जाँच तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार कंपनी के नाम पर कोई अचल संपत्ति धारित नहीं है। अतः आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड 3(1)(ग) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(d) कंपनी ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (यथालागू उपयोग-अधिकार संपत्तियों अथवा अमूर्त संपत्तियों सहित) का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(e) बेनामी संपत्ति लेनदेन (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी बेनामी संपत्ति को धारण करने हेतु कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरंभ अथवा लंबित नहीं है।

ii (क) कंपनी के पास कोई माल-सूची नहीं है, अतः आदेश के खंड 3(2)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(b) कंपनी को वर्ष के दौरान चालू संपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूँजी सीमाएँ स्वीकृत नहीं की गई हैं। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (2)(ख) पर रिपोर्ट करने की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं है।

iii हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारियों अथवा किसी अन्य पक्ष को निवेश नहीं किया, कोई गारंटी अथवा प्रतिभूति प्रदान नहीं की अथवा ऋण की प्रकृति के कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण अथवा अग्रिम प्रदान नहीं किए। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (3) पर रिपोर्ट करने की अपेक्षा वर्ष हेतु लागू नहीं है।

iv हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कोई ऐसा ऋण नहीं दिया, निवेश नहीं किया अथवा दूसरों द्वारा लिए गए ऋणों हेतु गारंटी नहीं दी, जिन पर अधिनियम की धारा 185 के प्रावधान लागू हों। अतः आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (4) के प्रावधान वर्ष हेतु लागू नहीं हैं।

v हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने इस अंकेक्षण के अंतर्गत समाविष्ट अवधि के दौरान जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (5) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

vi प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर, इस श्रेणी की कंपनी हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नहीं है। अतः आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (6) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

vii (क) कंपनी सामान्यतः वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा-शुल्क, उपकर तथा उस पर लागू अन्य वैधानिक देयताओं सहित अविवादित वैधानिक देयताओं को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा करने में नियमित है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा निष्पादित अंकेक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर, इन वैधानिक देयताओं के संबंध में कोई अविवादित राशि, जो देय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि हेतु वर्ष के अंत में बकाया हो, देय नहीं थी।

(a) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, इस खंड के खंड (क) में उल्लिखित विवादित वैधानिक देयताएँ तथा अन्य भौतिक वैधानिक देयताएँ हैं, जो 31.03.26 की स्थिति के अनुसार जमा नहीं की गई हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	देयता का नाम	जिस अवधि से संबंधित है	राशि (रु. लाख में)	विरोध के अंतर्गत जमा राशि (रु. लाख में)	वह मंच जहाँ विवाद लंबित है
1	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	निर्धारण वर्ष 2018-19	77.72	-	सीआईटी(ए)

viii कंपनी ने वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारणों में लेखा-बहियों में पूर्व-अनभिलिखित किसी लेनदेन को आय के रूप में समर्पित अथवा प्रकट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (8) पर रिपोर्ट करने की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं है।

ix (क) कंपनी ने किसी ऋणदाता को ऋणों अथवा अन्य उधारियों की चुकौती अथवा उन पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(a) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा सरकार अथवा सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(b) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, सावधि ऋण उसी प्रयोजन हेतु लगाए गए जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

(c) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जाँच के आधार पर, कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई कोई निधि दीर्घकालिक प्रयोजनों हेतु उपयोग नहीं की गई है।

(d) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जाँच पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों अथवा संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए अथवा उनके निमित्त किसी निकाय अथवा व्यक्ति से कोई निधि नहीं ली है।

(e) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों अथवा सहयोगी कंपनियों में धारित प्रतिभूतियों की गिरवी पर कोई ऋण नहीं जुटाया है। अतः आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (9)(च) पर रिपोर्ट करने की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं है।

x (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम/ अग्रिम सार्वजनिक निर्गम (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। अतः आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (10)(क) पर रिपोर्ट करने की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं है।

(a) कंपनी ने अंकेक्षणाधीन वर्ष के दौरान शेयरों/पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अथवा वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमानी आवंटन अथवा निजी नियोजन नहीं किया है। अतः आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (10)(ख) पर रिपोर्ट करने की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं है।

xi (क) कंपनी की लेखा-बहियों एवं अभिलेखों की जाँच तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, अंकेक्षण मानकों में उल्लिखित भौतिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि अंकेक्षण के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी संज्ञान में नहीं आई अथवा रिपोर्ट नहीं की गई।

(a) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत अंकेक्षकों द्वारा केंद्र सरकार को कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

(b) प्रबंधन द्वारा हमें अभ्यावेदित किए जाने के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल-ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। अतः आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (12)(क), (ख), (ग) पर रिपोर्ट करने की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं है।

xiii हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 [अधिनियम की धारा 177 लागू नहीं है] के प्रावधानों के अनुपालन में हैं तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू लेखांकन मानक द्वारा अपेक्षित अनुसार आवश्यक विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं।

xiv (क) प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर, कंपनी के पास इसके व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप एक पर्याप्त आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली है।

(a) हमने अपनी अंकेक्षण प्रक्रियाओं के प्रकार, समय एवं विस्तार का निर्धारण करने में, इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर की तिथि तक वर्ष के दौरान कंपनी को जारी अंकेक्षणाधीन वर्ष हेतु आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्टों पर विचार किया है।

xv हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों अथवा निदेशकों से संबद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192(1) में परिकल्पित है। अतः आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (15) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

xvi (क) हमारी राय में तथा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (16)(क) लागू नहीं है।

(a) हमारी राय में तथा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (16)(ख) लागू नहीं है।

(b) कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (16)(ग) लागू नहीं है।

(d) अंकेक्षण के दौरान हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, समूह के पास कोई सीआईसी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (16)(घ) की अपेक्षाएँ लागू नहीं हैं।

xvii कंपनी ने चालू तथा तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं उठाई है।

xviii वर्ष के दौरान वैधानिक अंकेक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं हुआ है तथा तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (18) पर रिपोर्ट करने की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं है।

xix हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा वित्तीय अनुपातों, वित्तीय संपत्तियों की प्राप्ति एवं वित्तीय देयताओं के भुगतान की एजिंग एवं अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य सूचना, निदेशक मंडल एवं प्रबंधन योजनाओं के हमारे ज्ञान तथा अनुमानों का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जाँच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि अंकेक्षण रिपोर्ट की तिथि पर ऐसी कोई भौतिक अनिश्चितता विद्यमान है कि कंपनी तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर अपनी विद्यमान देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तथापि, हम यह कहते हैं कि यह कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन नहीं है। हम आगे यह कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग अंकेक्षण रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है तथा हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देयताएँ कंपनी द्वारा देय होने पर निर्वहित की जाएँगी।

xx (क) कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की दिशा में अपेक्षित राशि पूर्णतः व्यय की है तथा वर्ष हेतु कोई अव्ययित सीएसआर राशि नहीं है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 7 में निर्दिष्ट किसी निधि में अथवा उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में विशेष खाते में अंतरित करना आवश्यक हो। तदनुसार, आदेश के खंड (20) के अंतर्गत रिपोर्टिंग वर्ष हेतु लागू नहीं है।

(a) चालू परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी के पास पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में तथा चालू वित्तीय वर्ष के अंत में भी कोई अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) राशि नहीं है। अतः इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग वर्ष हेतु लागू नहीं है।

xxi स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण होने के कारण, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (21) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते आर. के. गरोदिया एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

202, साई अपार्टमेंट, कचहरी रोड, रांची (फर्म पंजीकरण सं.: 002004C)

सीए दीपक गरोदिया

साझेदार (सदस्यता सं.: 409246) UDIN: 26409246ZCGEVU2903

स्थान: रांची
दिनांक: 17.04.2026

स्वतंत्र अंकेक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक - 'बी'

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को हमारी समान तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 2(च) में उल्लिखित।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड ("कंपनी") के 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का, उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के साथ, अंकेक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित एवं अनुरक्षित करने हेतु उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण शामिल है, जो कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं पहचान, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता, तथा अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समयबद्ध तैयारी सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से कार्यरत थे।

अंकेक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारे अंकेक्षण के आधार पर कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणी ("मार्गदर्शन टिप्पणी") तथा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अंकेक्षण मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर लागू सीमा तक, अपना अंकेक्षण किया। उन मानकों एवं मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा अंकेक्षण का नियोजन एवं निष्पादन इस प्रकार करें कि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित एवं अनुरक्षित किए गए थे तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक दृष्टियों से प्रभावी रूप से संचालित हुए।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाएँ निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई भौतिक कमजोरी विद्यमान है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की अभिकल्पना एवं परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएँ अंकेक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के भौतिक असत्य कथन के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी अंकेक्षण राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए अभिकल्पित है। इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो:

(1) ऐसे अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो, उचित विस्तार से, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेनों एवं व्ययनों को शुद्धता एवं निष्पक्षता से प्रतिबिंबित करते हैं;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने हेतु आवश्यकतानुसार लेनदेन अभिलिखित किए जाते हैं, तथा यह कि कंपनी की प्राप्तियाँ एवं व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; तथा

(3) कंपनी की संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा व्ययन, जिसका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है, की रोकथाम अथवा समयबद्ध पहचान के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं।

इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत अथवा नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अतिक्रमण की संभावना शामिल है, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण भौतिक असत्य कथन हो सकते हैं तथा उनका पता नहीं चल सकता। साथ ही, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के भावी अवधियों हेतु प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन हैं कि इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास, सभी भौतिक दृष्टियों से, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर, ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से कार्यरत थे।

कृते आर. के. गरोदिया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
202, साई अपार्टमेंट, कचहरी रोड, रांची (फर्म पंजीकरण सं.: 002004C)

सीए दीपक गरोदिया
साझेदार (सदस्यता सं.: 409246) UDIN: 26409246ZCGEVU2903

स्थान: रांची
दिनांक: 17.04.2026

CA INDIA
✉ : rkgco@icai.org

R. K. GARODIA & CO.
Chartered Accountants
202, SAI APARTMENT, KUTCHERY ROAD,
RANCHI - 834001 (JHARKHAND)
☎ : 0651 - 2203343 , 4668475
: 9835168852 , 9334439690

COMPLIANCE CERTIFICATE

We have conducted the audit of accounts of **JHARKHAND CENTRAL RAILWAY LIMITED (a JV BETWEEN CCL, IRCON INTL. LTD & GOVT. OF JHARKHAND)** for the year ended March 31, 2026 in accordance with the directions / sub-directions issued by the C & AG of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 and certify that we have complied with all the directions / sub-directions issued to us.

For R. K. GARODIA & CO.
Chartered Accountants
202, Sai Apartment, Kutchery Road, Ranchi
(Firm's Registration No.: 002004C)

Deepak Garodia
(CA. DEEPAK GARODIA)
Partner
(Membership No.: 409246)
UDIN : 26409246ZCGEVU2903

Place : RANCHI
Date : 17.04.2026

R. K. GARODIA & CO. Ranchi Chartered Accountants

स्टैंडअलोन तुलन-पत्र

(₹ लाख में)

संपत्तियाँ	टिप्पणी सं.	31-03-2026	31-03-2025
(1) गैर-चालू संपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3.1	7.35	9.30
(ख) प्रगतिरत पूँजीगत कार्य	3.2	-	-
(ग) अन्वेषण एवं मूल्यांकन संपत्तियाँ	3.3	-	-
(घ) अमूर्त संपत्तियाँ	3.4	-	0.14
(ङ) विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	3.5	1,79,488.77	1,36,919.36
(च) वित्तीय संपत्तियाँ (1) निवेश	4.1	-	-
(2) ऋण	4.2	-	-
(3) अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	4.6	1.50	1.50
(छ) आस्थगित कर संपत्तियाँ (शुद्ध)	11.2	0.41	0.23
(ज) अन्य गैर-चालू संपत्तियाँ	6.1	3,561.57	14,827.08
कुल गैर-चालू संपत्तियाँ		**1,83,059.60**	**1,51,757.61**
(2) चालू संपत्तियाँ			
(क) माल-सूची	5.1	-	-
(ख) वित्तीय संपत्तियाँ (1) निवेश	4.1	-	-
(2) व्यापार प्राप्य	4.3	-	-
(3) नकद एवं नकद समतुल्य	4.4	7,404.38	575.54
(4) अन्य बैंक शेष	4.5	12,157.37	6,041.56
(5) ऋण	4.2	-	-
(6) अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	4.6	426.26	449.45
(ग) चालू कर संपत्तियाँ (शुद्ध)	11.1	26.16	59.43
(घ) अन्य चालू संपत्तियाँ	6.2	17.24	22.84
कुल चालू संपत्तियाँ		**20,031.41**	**7,148.82**
कुल संपत्तियाँ		**2,03,091.01**	**1,58,906.43**
इक्विटी एवं देयताएँ			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूँजी	7.1	10,098.63	10,098.63
पूर्णतः इक्विटी प्रकृति के लिखत	7.4	64,498.20	43,851.36
अन्य इक्विटी	7.2	2,431.48	1,783.97
कंपनी के इक्विटीधारकों को प्रदेय इक्विटी		**77,028.31**	**55,733.96**
गैर-नियंत्रक हित	7.3	-	-
कुल इक्विटी		**77,028.31**	**55,733.96**
देयताएँ			
(1) गैर-चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ (1) उधारियाँ	8.1	1,25,827.74	1,02,916.97
(1क) पट्टा देयताएँ	8.2	-	-
(2) अन्य वित्तीय देयताएँ	8.4	-	-
(ख) प्रावधान	9.1	-	-
(ग) आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)	11.2	-	-
(घ) अन्य गैर-चालू देयताएँ	10.1	-	-
कुल गैर-चालू देयताएँ		**1,25,827.74**	**1,02,916.97**
(2) चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ (1) उधारियाँ	8.1	-	-
(1क) पट्टा देयताएँ	8.2	-	-
(2) व्यापार देय	8.3		-
(क) की कुल बकाया राशि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम; तथा			-
(ख) की कुल बकाया राशि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से इतर लेनदार		104.23	145.47
(3) अन्य वित्तीय देयताएँ	8.4	25.84	32.41
(ख) अन्य चालू देयताएँ	10.2	104.89	77.62
(ग) प्रावधान	9.1	-	-
(घ) चालू कर देयताएँ (शुद्ध)	11.1	-	-
कुल चालू देयताएँ		**234.96**	**255.50**
कुल इक्विटी एवं देयताएँ		**2,03,091.01**	**1,58,906.43**

संलग्न टिप्पणी सं. 1 से 16 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार कृते आर. के. गरोदिया एंड कंपनी

निदेशक मंडल की ओर से सनदी लेखाकार

ह/- (सीए दीपक गरोदिया) साझेदार सदस्यता सं. 409246	ह/- पवन कुमार मिश्रा अध्यक्ष डीआईएन- 09665365	ह/- चंद्र शेखर तिवारी निदेशक डीआईएन-10977782
ह/- डॉ. एस. के. सिन्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी	ह/- प्रकाश कु. सिंह मुख्य वित्तीय अधिकारी	ह/- अमरेश प्रधान कंपनी सचिव सद. सं. एफ-11264

दिनांक: 17.04.2026

स्थान: रांची

स्टैंडअलोन लाभ-हानि विवरण

(₹ लाख में)

	टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष हेतु 31-03-2026	समाप्त वर्ष हेतु 31-03-2025
1 परिचालन से राजस्व	12.1	-	-
2 अन्य आय	12.2	954.40	695.93
3 कुल आय (1+2)		**954.40**	**695.93**
4 व्यय			
उपभुक्त सामग्री की लागत	13.1	-	-
तैयार माल, स्टॉक-इन-ट्रेड एवं प्रगतिरत कार्य की माल-सूची में परिवर्तन	13.2	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	13.3	-	-
वित्त लागत	13.4	-	-
मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि व्यय	13.5	2.09	2.90
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	13.6	-	-
संविदात्मक व्यय	13.7	-	-
अन्य व्यय	13.8	31.35	31.85
कुल व्यय (4)		**33.44**	**34.75**
5 संयुक्त उद्यम लाभ/(हानि) के अंश से पूर्व लाभ (3-4)		**920.96**	**661.18**
6 संयुक्त उद्यम लाभ/(हानि) का अंश		-	-
7 कर-पूर्व लाभ (5+6)		**920.96**	**661.18**
8 कर व्यय	14.1		
(1) चालू कर		273.63	183.94
(2) आस्थगित कर		(0.18)	(0.26)
कुल कर व्यय		**273.45**	**183.68**
9 वर्ष का लाभ (7-8)		**647.51**	**477.50**
10 अन्य व्यापक आय	15.1		
अ. (1) वे मदें जो लाभ-हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएँगी		-	-
(2) उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ-हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएँगी		-	-
ब. (1) वे मदें जो लाभ-हानि में पुनर्वर्गीकृत की जाएँगी		-	-
(2) उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ-हानि में पुनर्वर्गीकृत की जाएँगी		-	-
कुल अन्य व्यापक आय		-	-
अन्य व्यापक आय सहित)		**647.51**	**477.50**
12 को प्रदेय लाभ:			
कंपनी के स्वामी		647.51	477.50
गैर-नियंत्रक हित		-	-
		647.51	477.50
13 को प्रदेय अन्य व्यापक आय:			
कंपनी के स्वामी		-	-
गैर-नियंत्रक हित		-	-
		-	-
14 को प्रदेय कुल व्यापक आय:			
कंपनी के स्वामी		647.51	477.50
गैर-नियंत्रक हित		-	-
		647.51	477.50
15 प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (अंकित मूल्य ₹10 प्रत्येक):*			
(1) मूल		0.64	0.47
(2) तनूकृत		0.64	0.47

संलग्न टिप्पणी सं. 1 से 16 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार कृते आर. के. गरोदिया एंड कंपनी

निदेशक मंडल की ओर से सनदी लेखाकार

ह/- (सीए दीपक गरोदिया) साझेदार सदस्यता सं. 409246	ह/- पवन कुमार मिश्रा अध्यक्ष डीआईएन- 09665365	ह/- चंद्र शेखर तिवारी निदेशक डीआईएन-10977782
ह/- डॉ. एस. के. सिन्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी	ह/- प्रकाश कु. सिंह मुख्य वित्तीय अधिकारी	ह/- अमरेश प्रधान कंपनी सचिव सद. सं. एफ-11264

दिनांक: 17.04.2026

स्थान: रांची

स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

	समाप्त वर्ष हेतु	C वर्ष हेतु
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर-पूर्व लाभ	920.96	661.18
के लिए समायोजन:		
संयुक्त उद्यम का अंश	- 2.09	- 2.90
मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि व्यय; निवेश से ब्याज एवं अन्य आय	(954.40)	(695.93)
वित्त लागत	-	-
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री पर (लाभ)/हानि; अपलिखित देयता एवं प्रावधान	-	-
भत्ते एवं प्रावधान अपलेखन	-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान का प्रत्यावर्तन	-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन; विदेशी विनिमय दर विचरण	-	-
निम्नलिखित संपत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन से पूर्व परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	-	-
	(31.35)	**(31.85)**
व्यापार प्राप्य; माल-सूची	-	-
ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य वित्तीय संपत्तियाँ; अन्य चालू एवं गैर-चालू संपत्तियाँ	-	-
व्यापार देय	- 5.60	- 8,564.36
अन्य वित्तीय देयताएँ	(41.24)	10.83
अन्य चालू एवं गैर-चालू देयताएँ; प्रावधान	(2.55)	41.40
परिचालन से सृजित नकदी	27.27	10.19
आयकर (भुगतान)	-	-
	(42.27)	**8,594.93**
परिचालन गतिविधियों से सृजित शुद्ध नकदी प्रवाह (क); निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(240.36)	(173.55)
	(282.63)	**8,421.38**
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, प्रगतिरत पूँजीगत कार्य एवं अमूर्त संपत्तियों हेतु भुगतान		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री से प्राप्तियाँ; अन्वेषण एवं मूल्यांकन संपत्ति हेतु भुगतान; बैंकों के पास जमा की वसूली/(जमा)	(20,215.34)	(63,162.57)
म्यूचुअल फंड, शेयर आदि से प्राप्तियाँ/(में निवेश); संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश हेतु	-	-
भुगतान; निवेश पर प्राप्त ब्याज	- (6,115.81)	- (11.25)
	-	-
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी (ख); वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह	- 977.59	- 311.81
	(25,353.56)	**(62,862.01)**
गैर-चालू उधारियों से प्राप्तियाँ/(चुकौती); चालू उधारियों से प्राप्तियाँ/(चुकौती); पट्टा देयताओं की चुकौती (ब्याज सहित); भुगतान किया गया ब्याज		
इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया गया/निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में जमा लाभांश	22,910.77	55,078.53
इक्विटी शेयर पूँजी का पुनर्क्रय; पूर्णतः इक्विटी प्रकृति के लिखित; इक्विटी शेयर पूँजी के	-	-
पुनर्क्रय पर कर	- (11,092.58)	- (7,075.81)
वित्तपोषण गतिविधियों से (प्रयुक्त)/सृजित शुद्ध नकदी	-	-
गतिविधियाँ	- 20,646.84	-
(स)	-	-
		-
		-
	32,465.03	**48,002.72**
नकद एवं नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (A+B+C); वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद समतुल्य		
	6,828.84	**(6,437.91)**
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य; नकद एवं नकद समतुल्य का समाधान (टिप्पणी	**575.54**	**7,013.45**
4.4 देखें); नकद एवं नकद समतुल्य (बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध)	**7,404.38**	**575.54**

स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

	समाप्त वर्ष हेतु	समाप्त वर्ष हेतु
नकद एवं नकद समतुल्य के घटक		
(क) बैंकों के पास शेष		
- जमा खातों में	6,845.51	435.00
- चालू खातों में	558.36	140.34
(ख) भारत के बाहर बैंक शेष	-	-
(ग) प्राथमिक डीलरों के पास आईसीडी	-	-
(घ) हस्तगत चेक, ड्राफ्ट एवं स्टाम्प	-	-
(ङ) हस्तगत नकदी	-	-
(च) बैंक ओवरड्राफ्ट (टिप्पणी 8.1 देखें)	-	-
(छ) अन्य ई-प्रोक्योरमेंट खाता/जीईएम खाता/अग्रदाय शेष	0.51	0.20
कुल (नकद एवं नकद समतुल्य के घटकों हेतु टिप्पणी 4.4 एवं टिप्पणी 8.1 देखें)	**7,404.38**	**575.54**
समतुल्य)		

वित्तिपोषण गतविधियों से उत्पन्न देयताओं हेतु तुलन-पत्र में आरंभकि एवं अंतमि शेष के बीच समाधान:
31-03-2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	गैर-चालू उधारियाँ*	वित्त पट्टा देयताएँ	चालू उधारियाँ
01-04-2025 की स्थिति के अनुसार आरंभिक शेष; वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	1,02,916.97 22,910.77		- -
निम्न के कारण गैर-नकद परिवर्तन: वित्त पट्टे के अंतर्गत अधिग्रहण एवं अनवाइंडिंग वित्त लागत; उधारियों पर उपचित ब्याज			
31-03-2026 की स्थिति के अनुसार अंतिम शेष	**1,25,827.74**	-	-

31-03-2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	गैर-चालू उधारियाँ*	वित्त पट्टा देयताएँ	चालू उधारियाँ
01-04-2024 की स्थिति के अनुसार आरंभिक शेष; वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	47,838.44 55,078.53		- -
निम्न के कारण गैर-नकद परिवर्तन: वित्त पट्टे के अंतर्गत अधिग्रहण एवं अनवाइंडिंग वित्त लागत; उधारियों पर उपचित ब्याज	-		-
31-03-2025 की स्थिति के अनुसार अंतिम शेष	**1,02,916.97**	-	-

संलग्न टिप्पणी सं. 1 से 16 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार कृते आर. के. गरोदिया एंड कंपनी
निदेशक मंडल की ओर से सनदी लेखाकार

ह/-
(सीए दीपक गरोदिया)
साझेदार
सदस्यता सं. 409246

ह/-
पवन कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएन- 09665365

ह/-
चंद्र शेखर तिवारी
निदेशक
डीआईएन-10977782

ह/-
डॉ. एस. के. सिन्हा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
प्रकाश कु. सिंह
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/- अमरेश प्रधान
कंपनी सचिव
सद. सं. एफ-11264

दिनांक: 17.04.2026
स्थान: रांची

31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(₹ लाख में)

A. इक्विटी शेयर पूँजी

विवरण	01.04.2025 की स्थिति के अनुसार शेष	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03- की स्थिति के अनुसार शेष 2026
10,09,86,300 ₹10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर	10,098.63	-	10,098.63

विवरण	की स्थिति के अनुसार शेष 01.04.2024	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार शेष
10,09,86,300 ₹10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर	10,098.63	-	10,098.63

B. पूर्णतः इक्विटी प्रकृति के लिखत

विवरण	की स्थिति के अनुसार शेष 01.04.2025	चालू वर्ष के दौरान पूर्णतः इक्विटी प्रकृति के लिखत में परिवर्तन	31.03-2026 की स्थिति के अनुसार शेष
पूर्णतः इक्विटी प्रकृति के लिखत	43,851.36	20,646.84	64,498.20

विवरण	की स्थिति के अनुसार शेष 01.04.2024	चालू वर्ष के दौरान पूर्णतः इक्विटी प्रकृति के लिखत में परिवर्तन	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार शेष
पूर्णतः इक्विटी प्रकृति के लिखत	43,851.36	-	43,851.36

C. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष					ओसीआई - विनिमय किसी विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में अंतर	कुल
	पूँजी मोचन आरक्षित	पूँजी आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित अर्जन	ओसीआई - परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (कर का शुद्ध)		
01-04-2025 की स्थिति के अनुसार शेष	-	-	-	**1,783.97**	-	-	**1,783.97**
लेखांकन नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व-अवधि त्रुटियाँ							
01-04-2025 की स्थिति के अनुसार शेष	-			**1,783.97**	-	-	**1,783.97**
कुल व्यापक आय				647.51	-	-	647.51
अंतरण एवं अन्य समायोजन	-			-	-	-	-
अंतरिम लाभांश				-			-
अंतिम लाभांश			-	-			-
कॉर्पोरेट लाभांश कर							-
शेयरों का पुनर्क्रय							-
पुनर्क्रय पर कर							-
बोनस शेयरों का निर्गम							-
31-03-2026 की स्थिति के अनुसार शेष	-	-	-	**2,431.48**	-	-	**2,431.48**

01-04-2024 की स्थिति के अनुसार शेष	-	-	-	1,306.47	-	-	1,306.47
लेखांकन नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व-अवधि त्रुटियाँ				-	-	-	-
01-04-2024 की स्थिति के अनुसार शेष	-	-	-	**1,306.47**	-	-	**1,306.47**
कुल व्यापक आय	-	-	-	477.50	-	-	477.50
अंतरण एवं अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश				-			-
अंतिम लाभांश				-			-
कॉर्पोरेट लाभांश कर							-
शेयरों का पुनर्क्रय							-
पुनर्क्रय पर कर							-
बोनस शेयरों का निर्गम		-					-
31-03-2025 की स्थिति के अनुसार शेष	-	-	-	**1,783.97**	-	-	**1,783.97**

संलग्न टिप्पणी सं. 1 से 16 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार कृते आर. के. गरोदिया एंड कंपनी
निदेशक मंडल की ओर से सनदी लेखाकार

ह/- (सीए दीपक गरोदिया) साझेदार सदस्यता सं. 409246	ह/- पवन कुमार मिश्रा अध्यक्ष डीआईएन- 09665365	ह/- चंद्र शेखर तिवारी निदेशक डीआईएन-10977782
ह/- डॉ. एस. के. सिन्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी	ह/- प्रकाश कु. सिंह मुख्य वित्तीय अधिकारी	ह/- अमरेश प्रधान कंपनी सचिव सद. सं. एफ-11264

दिनांक: 17.04.2026
स्थान: रांची

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ टिप्पणी 1 (क): कॉर्पोरेट सूचना

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) (सीआईएन: U45201JH2015GOI003139), सीसीएल कैंपस, दरभंगा हाउस, रांची का गठन 31.08.2015 को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में हुआ है। कंपनी की शेयरधारिता संरचना निम्नानुसार है (एमओयू के अनुसार)।

प्रवर्तक निकायों का नाम	शेयरधारिता संरचना
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	64%
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	26%
झारखंड सरकार	10%

कंपनी का मूल उद्देश्य ऐसी चिह्नित रेल गलियारा परियोजनाओं का निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण करना है, जो झारखंड राज्य की खदानों से कोयला निकासी हेतु महत्वपूर्ण हैं तथा जिनका उपयोग माल एवं यात्री दोनों सेवाओं हेतु किया जाएगा, तथा सभी संबंधित सुविधाओं सहित रेलवे लाइनों के निर्माण सहित आवश्यक रेल अवसंरचना का विकास करना है।

B. अनुपालन कथन एवं हाल के लेखांकन उद्घोषणा

i) अनुपालन कथन

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 सहित पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथासंशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इसके बाद "इंड एएस" के रूप में संदर्भित) के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणों को अनुमोदित किए जाने की तिथि तक जारी, अधिसूचित एवं प्रभावी किए गए इंड एएस को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के प्रयोजन हेतु ध्यान में रखा गया है।

लेखांकन नीतियाँ सुसंगत रूप से लागू की जाती हैं, सिवाय जहाँ कोई नवीन जारी लेखांकन मानक प्रारंभ में अपनाया जाता है अथवा किसी विद्यमान लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अद्यतन उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीति में परिवर्तन आवश्यक हो।

ii) नए एवं संशोधित मानकों का अनुप्रयोग: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) समय-समय पर कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों के अंतर्गत नए मानक अथवा विद्यमान मानकों में संशोधन अधिसूचित करता है। एमसीए ने 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी कोई नया मानक अथवा विद्यमान मानकों में संशोधन अधिसूचित नहीं किया है।

टिप्पणी 2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना

1.1 वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर प्रोद्भवन (उपचय) आधार पर तैयार किए गए

हैं, सिवाय कुछ वित्तीय लिखतों के जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रासंगिक इंड एएस के अंतर्गत परिशोधित लागत अथवा उचित मूल्य पर मापे जाते हैं।

ऐतिहासिक लागत परिपाटी सामान्यतः वस्तुओं एवं सेवाओं के बदले दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

वित्तीय विवरणों में सम्मिलित मदों को उस प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा (कार्यात्मक मुद्रा) का उपयोग करके मापा जाता है जिसमें कंपनी संचालित होती है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक एवं प्रस्तुति मुद्रा है तथा सभी मान दो दशमलव बिंदुओं तक '₹ लाख में' पूर्णांकित किए जाते हैं।

1.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

कंपनी के वित्तीय विवरण मापन के ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय संपत्तियों एवं देयताओं के जो उचित मूल्य पर मापी जाती हैं।

1.3 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी तुलन-पत्र में संपत्तियों एवं देयताओं को चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है। किसी संपत्ति को कंपनी द्वारा चालू माना जाता है जब:

(a) कंपनी अपने सामान्य परिचालन चक्र में संपत्ति का वसूली करने की अपेक्षा रखती है, अथवा उसे बेचने या उपभोग करने का इरादा रखती है;

(b) वह संपत्ति को मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन हेतु धारण करती है;

(c) वह रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर संपत्ति की वसूली की अपेक्षा रखती है; अथवा

(d) संपत्ति नकद अथवा नकद समतुल्य है (जैसा कि इंड एएस 7 में परिभाषित है) जब तक कि संपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह तक किसी देयता के निपटान हेतु विनिमय अथवा उपयोग से प्रतिबंधित न किया गया हो। अन्य सभी संपत्तियाँ गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

किसी देयता को कंपनी द्वारा चालू माना जाता है जब:

(a) वह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता का निपटान करने की अपेक्षा रखती है;

(b) वह देयता को मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन हेतु धारण करती है;

(c) देयता रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर निपटाई जानी है; अथवा

(d) उसके पास रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह तक देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई गैर-शर्त अधिकार नहीं है। किसी देयता की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर, इक्विटी लिखतों के निर्गम द्वारा उसके निपटान का परिणाम दे सकती हैं, उसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करतीं।

अन्य सभी देयताएँ गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

कंपनी द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने संपत्तियों एवं देयताओं के चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण के प्रयोजन हेतु अपने परिचालन चक्र को बारह माह निर्धारित किया है।

1.4 राजस्व मान्यता ब्याज

किसी वित्तीय संपत्ति से ब्याज आय तब मान्यता प्राप्त होती है जब यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा आय की राशि विश्वसनीय रूप से मापी जा सके। ब्याज आय समय-आधार पर, बकाया मूलधन के संदर्भ में तथा लागू प्रभावी ब्याज दर पर उपचित की जाती है, जो वह दर है जो वित्तीय संपत्ति के प्रारंभिक मान्यता पर उसके शुद्ध वहन मूल्य तक संपत्ति के अपेक्षित जीवन के दौरान अनुमानित भावी नकद प्राप्तियों को ठीक-ठीक छूट देती है।

लाभांश

लाभांश आय तब मान्यता प्राप्त होती है जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, जो सामान्यतः तब होता है जब शेयरधारक लाभांश को अनुमोदित करते हैं।

अन्य दावे

अन्य दावों (ग्राहकों से विलंबित वसूली पर ब्याज सहित) के संबंध में राजस्व तभी मान्यता प्राप्त होता है जब अंतिम वसूली के बारे में उचित निश्चितता हो तथा राशि विश्वसनीय रूप से मापी जा सके।

सेवाओं का प्रदान

जब सेवाओं के प्रदान से जुड़े लेनदेन का परिणाम विश्वसनीय रूप से अनुमानित किया जा सकता है, तब लेनदेन से जुड़ा राजस्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेनदेन की पूर्णता के चरण के संदर्भ में मान्यता प्राप्त होता है। किसी लेनदेन का परिणाम तभी विश्वसनीय रूप से अनुमानित किया जा सकता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हों:

1.5 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदान तब तक मान्यता प्राप्त नहीं होते जब तक यह उचित आश्वासन न हो कि कंपनी अनुदानों से जुड़ी शर्तों का अनुपालन करेगी तथा यह उचित निश्चितता हो कि अनुदान प्राप्त होंगे।

सरकारी अनुदान लाभ-हानि विवरण में उन अवधियों में व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त होते हैं जिनमें कंपनी उन संबंधित व्ययों अथवा लागतों को मान्यता देती है जिनकी भरपाई हेतु अनुदान अभिप्रेत हैं।

संपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान तुलन-पत्र में अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके प्रस्तुत किए जाते हैं तथा संपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त होते हैं।

आय से संबंधित अनुदान (अर्थात् संपत्तियों से इतर अनुदान) लाभ-हानि विवरण में 'अन्य आय' शीर्षक के अंतर्गत भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

पहले से खर्च किए गए व्ययों अथवा हानियों की क्षतिपूर्ति हेतु अथवा भावी संबंधित लागतों के बिना कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रयोजन हेतु प्राप्य होने वाली कोई सरकारी अनुदान/

सहायता, उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त होती है जिसमें वह प्राप्य हो जाती है।

प्रवर्तक के अंशदान की प्रकृति वाले सरकारी अनुदान अथवा अनुदान सीधे "पूँजी आरक्षित" में मान्यता प्राप्त होते हैं, जो "शेयरधारक निधि" का हिस्सा बनते हैं।

1.6 पट्टे

कोई संविदा एक पट्टा है, अथवा एक पट्टा समाहित करती है, यदि संविदा प्रतिफल के बदले किसी निश्चित अवधि हेतु किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करती है।

1.6.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी संविदा के प्रारंभ में यह आकलन करती है कि क्या कोई संविदा पट्टा समाहित करती है। कोई संविदा एक पट्टा है, अथवा एक पट्टा समाहित करती है, यदि संविदा प्रतिफल के बदले किसी निश्चित अवधि हेतु किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करती है। यह आकलन करने हेतु कि क्या कोई संविदा किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करती है, कंपनी यह आकलन करती है कि: (1) संविदा में किसी पहचानी गई संपत्ति का उपयोग शामिल है (2) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान संपत्ति के उपयोग से मूलतः सभी आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं तथा (3) कंपनी को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

प्रारंभ तिथि पर, एक पट्टेदार लागत पर एक उपयोग-अधिकार संपत्ति तथा उस तिथि पर अवैतनिक पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को सभी पट्टों हेतु मान्यता देगा, सिवाय जब पट्टे की अवधि 12 माह अथवा उससे कम हो अथवा अंतर्निहित संपत्ति निम्न-मूल्य की हो।

तत्पश्चात, उपयोग-अधिकार संपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को पट्टा देयता पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने हेतु वहन राशि बढ़ाकर, किए गए पट्टा भुगतानों को प्रतिबिंबित करने हेतु वहन राशि घटाकर तथा किसी पुनर्मूल्यांकन अथवा पट्टा संशोधनों को प्रतिबिंबित करने हेतु वहन राशि का पुनर्मापन करके मापा जाता है।

पट्टा देयता प्रारंभ में भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापी जाती है। पट्टा भुगतानों को पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का उपयोग करके, अथवा यदि आसानी से निर्धारण योग्य न हो, तो इन पट्टों की वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि कंपनी अपने आकलन को बदलती है कि क्या वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी, तो पट्टा देयताओं को संबंधित उपयोग-अधिकार संपत्ति में संगत समायोजन के साथ पुनः मापा जाता है। पट्टा देयता तथा आरओयू संपत्ति तुलन-पत्र में पृथक रूप से प्रस्तुत की जाती हैं तथा पट्टा भुगतान वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। पट्टा देयता दायित्व "वित्तीय देयताएँ" शीर्षक के अंतर्गत पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त प्रभार लाभ-हानि विवरण में वित्त लागत में मान्यता प्राप्त होते हैं, सिवाय जब लागतें अन्य लागू मानकों को लागू करते हुए किसी अन्य संपत्ति के वहन मूल्य में सम्मिलित हों।

उपयोग-अधिकार संपत्ति का मूल्यह्रास संपत्ति के उपयोगी जीवन पर किया जाता है, यदि पट्टा पट्टा अवधि की समाप्ति तक संपत्ति का स्वामित्व पट्टेदार को हस्तांतरित करता है अथवा यदि उपयोग-अधिकार संपत्ति

की लागत यह दर्शाती है कि पट्टेदार क्रय विकल्प का प्रयोग करेगा। अन्यथा, पट्टेदार उपयोग-अधिकार संपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से उपयोग-अधिकार संपत्ति के उपयोगी जीवन की समाप्ति अथवा पट्टा अवधि की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक करेगा।

1.6.2 पट्टाकर्ता के रूप में कंपनी

संपत्तियाँ या तो वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे पर दी जाती हैं।

वित्त पट्टा: कोई पट्टा वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह किसी अंतर्निहित संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े मूलतः सभी जोखिमों एवं लाभों का हस्तांतरण करता है। प्रारंभ में, वित्त पट्टे के अंतर्गत धारित संपत्ति तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त होती है तथा पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है। वित्त आय पट्टा अवधि पर मान्यता प्राप्त होती है, जो पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश पर निरंतर आवधिक प्रतिफल दर को प्रतिबिंबित करने वाले प्रतिरूप पर आधारित होती है। परिचालन पट्टा: कोई पट्टा जो वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत नहीं है, वह परिचालन पट्टा है। कंपनी परिचालन पट्टों पर दी गई संपत्तियों के मामले में पट्टा भुगतानों को सरल-रेखा आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है।

1.7 बिक्री हेतु धारित गैर-चालू संपत्तियाँ

कंपनी गैर-चालू संपत्तियों (और/या व्ययन समूहों) को बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत करती है यदि उनकी वहन राशि मुख्यतः निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से वसूल की जाएगी। बिक्री पूरी करने हेतु आवश्यक कार्रवाइयाँ यह इंगित करती हैं कि बिक्री में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने अथवा बेचने के निर्णय को वापस लिए जाने की संभावना नहीं है। प्रबंधन को वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण होने की अपेक्षित बिक्री हेतु प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन प्रयोजनों हेतु, बिक्री लेनदेनों में गैर-चालू संपत्तियों का अन्य गैर-चालू संपत्तियों के लिए विनिमय शामिल है जब विनिमय का वाणिज्यिक सार हो। बिक्री हेतु धारित वर्गीकरण के मानदंड तभी पूरे माने जाते हैं जब संपत्ति अथवा व्ययन समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री हेतु उपलब्ध हो, केवल उन शर्तों के अधीन जो ऐसी संपत्तियों (अथवा व्ययन समूहों) की बिक्री हेतु सामान्य एवं रूढ़िगत हैं, इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित हो; तथा यह वास्तव में बेची जाएगी, त्यागी नहीं जाएगी। कंपनी संपत्ति अथवा व्ययन समूह की बिक्री को अत्यधिक संभावित मानती है जब:

- प्रबंधन का उपयुक्त स्तर संपत्ति (अथवा व्ययन समूह) को बेचने की योजना हेतु प्रतिबद्ध हो,
- खरीदार की तलाश करने तथा योजना को पूरा करने हेतु एक सक्रिय कार्यक्रम आरंभ किया गया हो
- संपत्ति (अथवा व्ययन समूह) को उसके वर्तमान उचित मूल्य के संबंध में उचित मूल्य पर सक्रिय रूप से बिक्री हेतु विपणित किया जा रहा हो,
- बिक्री के वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता हेतु योग्य होने की अपेक्षा हो, तथा

- योजना को पूरा करने हेतु आवश्यक कार्रवाइयाँ यह इंगित करती हों कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने अथवा योजना को वापस लिए जाने की संभावना नहीं है।

बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू संपत्ति अथवा व्ययन समूह, वहन राशि तथा बिक्री लागत घटाकर उचित मूल्य में से जो कम हो, उस पर मापे जाते हैं।

1.8 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) तथा मूल्यह्रास

पीपीई की किसी मद को संपत्ति के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब यह संभावित हो कि उस मद से संबंधित भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा मद की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सके।

पीपीई प्रारंभ में अर्जन/निर्माण की लागत पर मापे जाते हैं, जिसमें जहाँ आवश्यक हो वहाँ विनियोजन (विखंडन) अथवा पुनर्स्थापन लागत भी शामिल है। भूमि की लागत में वे व्यय शामिल हैं जो भूमि के अर्जन से सीधे संबद्ध हैं, जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्स्थापन लागत तथा संबंधित विस्थापित व्यक्तियों हेतु किए गए रोजगार के बदले प्रतिकर आदि।

मान्यता के पश्चात, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की किसी मद को लागत मॉडल के अंतर्गत उसकी लागत घटा किसी संचित मूल्यह्रास एवं किसी संचित हानि हानियों पर वहन किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद की लागत में शामिल हैं:

(a) इसका क्रय मूल्य, आयात शुल्क एवं गैर-वापसीय क्रय करों सहित, व्यापार छूट एवं रिबेट घटाकर।

(b) संपत्ति को उसके स्थान एवं प्रबंधन द्वारा अभिप्रेत रीति से संचालन हेतु सक्षम स्थिति में लाने से सीधे संबद्ध कोई लागत।

(c) मद को विसंहत करने एवं हटाने तथा उस स्थल को पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, जिस पर वह स्थित है, जिसका दायित्व कंपनी को या तो मद के अर्जन के समय अथवा उस अवधि के दौरान माल-सूची के उत्पादन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु मद के उपयोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है।

(d) योग्य संपत्तियों के निर्माण हेतु उपयोग की गई उधारियों पर ब्याज को संपत्ति की लागत के भाग के रूप में तब तक पूँजीकृत किया जाता है जब तक संपत्ति अपने अभिप्रेत उपयोग हेतु तैयार न हो जाए।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद का प्रत्येक भाग, जिसकी लागत मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, पृथक रूप से मूल्यह्रासित किया जाता है। तथापि, समान उपयोगी जीवन एवं मूल्यह्रास पद्धति वाले पीपीई की किसी मद के महत्वपूर्ण भाग(गों) को मूल्यह्रास प्रभार निर्धारित करने में एक साथ समूहीकृत किया जाता है।

'मरम्मत एवं अनुरक्षण' के रूप में वर्णित दैनिक सेवा की लागतें उस अवधि के लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त होती हैं जिसमें वे खर्च की जाती हैं।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण भागों को बदलने की अनुवर्ती लागत मद की वहन राशि में मान्यता प्राप्त होती है, यदि यह संभावित हो कि मद से संबंधित भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे; तथा मद की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सके। जिन भागों को बदला गया है उनकी वहन राशि नीचे उल्लिखित मान्यता-समाप्ति नीति के अनुसार मान्यता-समाप्त की जाती है।

जब कोई प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो उसकी लागत को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मद की वहन राशि में प्रतिस्थापन के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभावित हो कि मद से संबंधित भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे; तथा मद की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सके। पूर्व निरीक्षण की लागत की कोई शेष वहन राशि (भौतिक भागों से भिन्न) मान्यता-समाप्त की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र अथवा उपकरण की कोई मद व्ययन पर अथवा जब संपत्तियों के निरंतर उपयोग से कोई भावी आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं है, तब मान्यता-समाप्त की जाती है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद की ऐसी मान्यता-समाप्ति पर उत्पन्न कोई लाभ अथवा हानि लाभ-हानि में मान्यता प्राप्त होती है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास, फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर, लागत मॉडल के अनुसार संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सरल-रेखा आधार पर निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

अन्य भूमि

(पट्टा भूमि सहित)	:	परियोजना अथवा पट्टा अवधि का जीवन, जो भी कम हो
भवन (सड़कों सहित)	:	3-60 वर्ष
दूरसंचार	:	3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	:	1-30 वर्ष (रेल गलियारा, अन्य सहित)
कंप्यूटर एवं लैपटॉप	:	3 वर्ष कार्यालय
उपकरण	:	2-5 वर्ष
फर्नीचर एवं फिक्सचर	:	10 वर्ष
वाहन	:	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का विश्वास है कि उपर्युक्त उपयोगी जीवन उस अवधि का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें प्रबंधन संपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा रखता है। अतः संपत्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग C के अंतर्गत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकता है।

संपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अवशिष्ट मूल्य संपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है, सिवाय कुछ संपत्तियों जैसे मोबाइल फोन 1%, अन्य भूमि, स्थल पुनर्स्थापन संपत्ति, अन्य खनन अवसंरचना, सर्वेक्षण-रहित संपत्तियाँ, कोयला टब, वाइंडिंग रोप, हालेज रोप, स्टोइंग पाइप एवं सुरक्षा लैंप आदि, जिन्हें कोई अवशिष्ट मूल्य न होने के रूप में माना जाता है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निस्तारित संपत्तियों पर मूल्यह्रास जोड़ने/निस्तारण के माह के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

"अन्य भूमि" के मूल्य में कोयला वहन क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) (सीबीए) अधिनियम, 1957, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में अधिकार (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम, 2013, सरकारी भूमि के दीर्घकालिक अंतरण आदि के अंतर्गत अर्जित भूमि शामिल है, जिसे परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित किया जाता है; तथा पट्टा भूमि के मामले में ऐसा परिशोधन पट्टा अवधि अथवा परियोजना के शेष जीवन, जो भी कम हो, पर आधारित होता है।

जो संपत्तियाँ पूर्णतः मूल्यह्रासित हैं तथा सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त हैं, उन्हें संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अंतर्गत सर्वेक्षण-रहित संपत्तियों के रूप में उनके अवशिष्ट मूल्य पर पृथक रूप से प्रकट किया जाता है तथा हानि हेतु परीक्षण किया जाता है।

इंड एएस में संक्रमण

कंपनी ने इंड एएस में संक्रमण की तिथि पर वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण हेतु, पूर्व जीएएपी के अनुसार मापी गई लागत मॉडल के अनुसार वहन मूल्य के साथ जारी रखने का चुनाव किया है।

1.9 अमूर्त संपत्तियाँ एवं परिशोधन

पृथक रूप से अर्जित अमूर्त संपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर लागत पर मापा जाता है। लागत में संपत्तियों को उनके अभिप्रेत उपयोग हेतु तैयार करने के लिए आवश्यक कोई सीधे संबद्ध व्यय शामिल हैं। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, अमूर्त संपत्तियों को लागत घटा किसी संचित परिशोधन एवं संचित हानि हानियों पर वहन किया जाता है।

अनुवर्ती व्यय को संपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है जब यह संभावित हो कि खर्च की गई लागत से प्राप्त भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा मद की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सके।

अमूर्त संपत्ति की कोई मद व्ययन पर अथवा जब उसके उपयोग अथवा व्ययन से कोई भावी आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं है, तब मान्यता-समाप्त की जाती है। किसी अमूर्त संपत्ति की मान्यता-समाप्ति से उत्पन्न लाभ अथवा हानि शुद्ध व्ययन प्राप्तियों एवं संपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापी जाती है तथा संपत्ति के मान्यता-समाप्त होने पर लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त होती है।

आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त संपत्तियाँ, पूँजीकृत विकास लागतों को छोड़कर, पूँजीकृत नहीं की जातीं। इसके बजाय, संबंधित व्यय उस अवधि के लाभ-हानि विवरण तथा अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त होता है जिसमें व्यय किया जाता है।

अमूर्त संपत्तियों के उपयोगी जीवन को या तो सीमित अथवा अनिश्चित के रूप में आकलित किया जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियाँ अपने उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित की जाती हैं तथा जब भी कोई संकेत हो कि अमूर्त संपत्ति में हानि हो सकती है, तब हानि हेतु आकलित की जाती हैं। परिशोधन

अवधि तथा सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त संपत्ति हेतु परिशोधन पद्धति की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है। संपत्ति में अंतर्निहित अपेक्षित उपयोगी जीवन अथवा भावी

आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित प्रतिरूप में परिवर्तन को परिशोधन अवधि अथवा पद्धति को यथोचित रूप से संशोधित करने हेतु माना जाता है, तथा लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों पर परिशोधन व्यय लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त होता है। अमूर्त संपत्ति का परिशोधन अमूर्त संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सरल-रेखा आधार पर निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

अमूर्त संपत्ति उपयोगी जीवन

एसएपी/ईआरपी: 6 वर्ष

अन्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर : लाइसेंस अवधि रेल गलियारा: एमओयू संविदा अवधि के अनुसार जीवन

अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त संपत्ति परिशोधित नहीं की जाती किंतु प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर हानि हेतु परीक्षण की जाती है।

1.10 संपत्तियों की हानि (वित्तीय संपत्तियों को छोड़कर)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यह आकलन करती है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि किसी संपत्ति में हानि हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी संपत्ति की वसूली योग्य राशि, संपत्ति अथवा नकद-सृजक इकाई के उपयोग मूल्य तथा व्ययन लागत घटाकर उसके उचित मूल्य में से जो अधिक हो, वह है, तथा एकल संपत्ति हेतु निर्धारित की जाती है, सिवाय जब संपत्ति ऐसे नकद अंतर्वाह उत्पन्न नहीं करती जो अन्य संपत्तियों अथवा संपत्तियों के समूहों से मूलतः स्वतंत्र हों, ऐसी स्थिति में वसूली योग्य राशि उस नकद-सृजक इकाई हेतु निर्धारित की जाती है जिससे संपत्ति संबंधित है। कंपनी हानि परीक्षण के प्रयोजन हेतु व्यक्तिगत खदानों को पृथक नकद-सृजक इकाइयों के रूप में मानती है।

यदि किसी संपत्ति की वसूली योग्य राशि उसकी वहन राशि से कम आकलित होती है, तो संपत्ति की वहन राशि घटाकर उसकी वसूली योग्य राशि की जाती है तथा हानि हानि लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त होती है।

1.11 निवेश संपत्ति

वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा आपूर्ति में उपयोग हेतु, अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों हेतु, अथवा व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में बिक्री हेतु, के बजाय किराया अर्जित करने अथवा पूँजी वृद्धि, अथवा दोनों हेतु धारित संपत्ति (भूमि अथवा भवन अथवा भवन का भाग अथवा दोनों) को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति प्रारंभ में उसकी लागत पर, संबंधित लेनदेन लागतों एवं जहाँ लागू हो उधार लागतों सहित, मापी जाती है।

निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सरल-रेखा पद्धति का उपयोग करके किया जाता है।

1.12 वित्तीय लिखत

कोई वित्तीय लिखत कोई भी संविदा है जो एक निकाय की वित्तीय संपत्ति तथा किसी अन्य निकाय की वित्तीय देयता अथवा इक्विटी लिखत को जन्म देती है।

1.12.1 वित्तीय संपत्तियाँ

1.12.1.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

सभी वित्तीय संपत्तियाँ प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त होती हैं, उन वित्तीय संपत्तियों के मामले में जो लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं हैं, वित्तीय संपत्ति के अर्जन से संबद्ध लेनदेन लागतों को जोड़कर। वित्तीय संपत्तियों की खरीद अथवा बिक्री जिसके लिए बाजार में विनियमन अथवा परंपरा द्वारा स्थापित समय-सीमा के भीतर संपत्तियों की डिलीवरी आवश्यक है (नियमित तरीके के व्यापार), व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त होती है, अर्थात् वह तिथि जिस पर कंपनी संपत्ति की खरीद अथवा बिक्री हेतु प्रतिबद्ध होती है। तथापि, व्यापार प्राप्य जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है, लेनदेन मूल्य पर मापे जाते हैं।

1.1.1.2 अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के प्रयोजनों हेतु, वित्तीय संपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- परिशोधित लागत पर ऋण लिखत
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर ऋण लिखत
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण लिखत, व्युत्पन्न एवं इक्विटी लिखत
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर मापे गए इक्विटी लिखत

1.1.1.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण लिखत

कोई 'ऋण लिखत' परिशोधित लागत पर तब मापा जाता है जब निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

a) संपत्ति एक व्यावसायिक मॉडल के अंतर्गत धारित है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह एकत्रित करने हेतु संपत्तियाँ धारण करना है, तथा

b) संपत्ति की संविदागत शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसे नकदी प्रवाहों को जन्म देती हैं जो बकाया मूलधन राशि पर मूलधन एवं ब्याज (एसपीपीआई) के मात्र भुगतान हैं।

प्रारंभिक मापन के पश्चात, ऐसी वित्तीय संपत्तियाँ प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर अनुवर्ती रूप से मापी जाती हैं। परिशोधित लागत की गणना अर्जन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम तथा ईआईआर का अभिन्न भाग होने वाले शुल्क अथवा लागतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआईआर परिशोधन लाभ-हानि में वित्त आय में शामिल किया जाता है। हानि से उत्पन्न हानियाँ लाभ-हानि में मान्यता प्राप्त होती हैं।

1.1.1.2.2 एफवीटीओसीआई पर ऋण लिखत

कोई 'ऋण लिखत' एफवीटीओसीआई के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे हों:

a) व्यावसायिक मॉडल का उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह एकत्रित करने तथा वित्तीय संपत्तियों को बेचने दोनों से प्राप्त होता है, तथा

b) संपत्ति के संविदागत नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित ऋण लिखत प्रारंभ में तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापे जाते हैं। उचित मूल्य में परिवर्तन अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त होते हैं। तथापि, कंपनी लाभ-हानि में ब्याज आय, हानि हानि एवं प्रत्यावर्तन तथा विदेशी विनिमय लाभ अथवा हानि को मान्यता देती है। संपत्ति की मान्यता-समाप्ति पर, ओसीआई में पहले मान्यता प्राप्त संचित लाभ अथवा हानि इक्विटी से लाभ-हानि में पुनर्वर्गीकृत की जाती है। एफवीटीओसीआई ऋण लिखत धारण करते हुए अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

1.1.1.2.3 एफवीटीपीएल पर ऋण लिखत

एफवीटीपीएल ऋण लिखतों हेतु एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण लिखत, जो परिशोधित लागत अथवा एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण हेतु मानदंडों को पूरा नहीं करता, एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी किसी ऋण लिखत को, जो अन्यथा परिशोधित लागत अथवा एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करता है, एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट करने का चुनाव कर सकती है। तथापि, ऐसा चुनाव केवल तभी अनुमत है जब ऐसा करने से मापन अथवा मान्यता असंगति (जिसे 'लेखांकन बेमेल' कहा जाता है) कम होती है अथवा समाप्त होती है। कंपनी ने किसी ऋण लिखत को एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित ऋण लिखत उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, सभी परिवर्तन लाभ-हानि में मान्यता प्राप्त करते हुए।

1.1.1.2.4 अन्य इक्विटी निवेश

इंड एएस 109 के दायरे में सभी अन्य इक्विटी निवेश लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे जाते हैं। कंपनी उचित मूल्य में अनुवर्ती परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का एक अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी ऐसा चुनाव लिखत-दर-लिखत आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है तथा अपरिवर्तनीय है।

एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किसी इक्विटी लिखत के सभी उचित मूल्य परिवर्तन ओसीआई में मान्यता प्राप्त होते हैं। उचित मूल्य लाभ एवं हानियों का लाभ-हानि विवरण में कोई अनुवर्ती पुनर्वर्गीकरण नहीं होता। तथापि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचित लाभ अथवा हानि को अंतरित कर सकती है। ऐसे

निवेशों से लाभांश लाभ-हानि विवरण में "अन्य आय" के रूप में मान्यता प्राप्त होते हैं जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित इक्विटी लिखत उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, सभी परिवर्तन लाभ-हानि में मान्यता प्राप्त करते हुए।

2.12.1.2.5 मान्यता-समाप्ति

कोई वित्तीय संपत्ति (अथवा, जहाँ लागू हो, किसी वित्तीय संपत्ति का भाग अथवा समान वित्तीय संपत्तियों के समूह का भाग) मुख्यतः तब मान्यता-समाप्त की जाती है (अर्थात् तुलन-पत्र से हटाई जाती है) जब:

- संपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हों, अथवा
- कंपनी ने संपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार अंतरित कर दिए हों अथवा किसी तीसरे पक्ष को 'पास-थ्रू' व्यवस्था के अंतर्गत भौतिक विलंब के बिना पूर्ण रूप से प्राप्त नकद प्रवाह का भुगतान करने का दायित्व मान लिया हो; तथा या तो

(a) कंपनी ने संपत्ति के मूलतः सभी जोखिम एवं लाभ अंतरित कर दिए हों, अथवा

(b) कंपनी ने न तो संपत्ति के मूलतः सभी जोखिम एवं लाभ अंतरित किए हों और न ही बनाए रखे हों, किंतु संपत्ति का नियंत्रण अंतरित कर दिया हो।

जब कंपनी ने किसी संपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार अंतरित किए हों अथवा किसी पास-थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया हो, तो वह यह आकलन करती है कि उसने स्वामित्व के जोखिम एवं लाभ किस सीमा तक बनाए रखे हैं। जब उसने न तो संपत्ति के मूलतः सभी जोखिम एवं लाभ अंतरित किए हों और न ही बनाए रखे हों, न ही संपत्ति का नियंत्रण अंतरित किया हो, तो कंपनी कंपनी की निरंतर संलग्नता की सीमा तक अंतरित संपत्ति को मान्यता देना जारी रखती है। ऐसी स्थिति में, कंपनी एक संबद्ध देयता को भी मान्यता देती है। अंतरित संपत्ति एवं बद्ध देयता उस आधार पर मापी जाती हैं जो उन अधिकारों एवं दायित्वों को प्रतिबिंबित करता है जो कंपनी ने बनाए रखे हैं। अंतरित संपत्ति पर गारंटी का रूप लेने वाली निरंतर संलग्नता संपत्ति की मूल वहन राशि तथा प्रतिफल की अधिकतम राशि में से जो कम हो, उस पर मापी जाती है, जिसे कंपनी को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है।

1.15.1.4 वित्तीय संपत्तियों की हानि (उचित मूल्य को छोड़कर)

इंड एएस 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय संपत्तियों एवं ऋण जोखिम एक्सपोज़र पर हानि हानि के मापन एवं मान्यता हेतु अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

a) वित्तीय संपत्तियाँ जो ऋण लिखत हैं, तथा परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं, जैसे ऋण, ऋण प्रतिभूतियाँ, जमाराशियाँ, व्यापार प्राप्य एवं बैंक शेष

b) वित्तीय संपत्तियाँ जो ऋण लिखत हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापी जाती हैं

c) इंड एएस 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य

d) व्यापार प्राप्य अथवा नकद अथवा किसी अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का कोई संविदागत अधिकार जो इंड एएस 115 के दायरे में आने वाले लेनदेनों से उत्पन्न होता है।

कंपनी निम्नलिखित पर हानि हानि भत्ते की मान्यता हेतु 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करती है:

- व्यापार प्राप्य अथवा संविदा राजस्व प्राप्य; तथा
- इंड एएस 116 के दायरे में आने वाले लेनदेनों से उत्पन्न सभी पट्टा प्राप्य

सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग हेतु कंपनी को ऋण जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करना आवश्यक नहीं है। बल्कि, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, अपनी प्रारंभिक मान्यता से ही, आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि हानि भत्ते को मान्यता देती है।

1.1.2वित्तीय देयताएँ

1.1.2.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार एवं अन्य देय, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण एवं उधारियाँ शामिल हैं।

सभी वित्तीय देयताएँ प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त होती हैं तथा, ऋण एवं उधारियों एवं देयों के मामले में, सीधे संबद्ध लेनदेन लागतों का शुद्ध।

1.1.2.2 अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

1.1.2.2.1 लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ

लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में व्यापार हेतु धारित वित्तीय देयताएँ तथा प्रारंभिक मान्यता पर लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय देयताएँ शामिल हैं। वित्तीय देयताओं को व्यापार हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन हेतु उत्पन्न की गई हों। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा किए गए व्युत्पन्न वित्तीय लिखत भी शामिल हैं जो इंड एएस 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग लिखत के रूप में निर्दिष्ट नहीं हैं। पृथक अंतःस्थापित व्युत्पन्न भी व्यापार हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं जब तक वे प्रभावी हेजिंग लिखतों के रूप में निर्दिष्ट न हों।

व्यापार हेतु धारित देयताओं पर लाभ अथवा हानि लाभ-हानि में मान्यता प्राप्त होते हैं।

2.15.2.2.2 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, इन्हें अनुवर्ती रूप से प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब देयताएँ मान्यता-समाप्त की जाती हैं तथा प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी लाभ एवं हानियाँ लाभ-हानि में मान्यता प्राप्त होती हैं। परिशोधित लागत की गणना अर्जन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम तथा प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न भाग होने वाले शुल्क

अथवा लागतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन लाभ-हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

1.1.1.3 मान्यता-समाप्ति

कोई वित्तीय देयता तब मान्यता-समाप्त की जाती है जब देयता के अंतर्गत दायित्व निर्वहित अथवा रद्द किया जाता है अथवा समाप्त होता है। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता उसी ऋणदाता से किसी अन्य द्वारा मूलतः भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित की जाती है, अथवा किसी विद्यमान देयता की शर्तों में मूलतः संशोधन किया जाता है, तो ऐसा विनिमय अथवा संशोधन मूल देयता की मान्यता-समाप्ति तथा नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। किसी वित्तीय देयता (अथवा वित्तीय देयता के भाग) की वहन राशि, जो बुझाई अथवा किसी अन्य पक्ष को अंतरित की गई है, तथा

1.1.1.4 वित्तीय संपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

भुगतान किए गए प्रतिफल, किसी गैर-नकद संपत्तियों के अंतरण अथवा ग्रहण की गई देयताओं सहित, के बीच अंतर लाभ-हानि में मान्यता प्राप्त होगा।

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों एवं देयताओं का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, इक्विटी लिखत होने वाली वित्तीय संपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं हेतु कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता। ऋण लिखत होने वाली वित्तीय संपत्तियों हेतु, पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन संपत्तियों के प्रबंधन हेतु व्यावसायिक मॉडल में परिवर्तन हो। व्यावसायिक मॉडल में परिवर्तन विरल होने की अपेक्षा है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन बाह्य अथवा आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यावसायिक मॉडल में परिवर्तन निर्धारित करता है जो कंपनी के परिचालनों हेतु महत्वपूर्ण हैं। ऐसे परिवर्तन बाह्य पक्षों को स्पष्ट होते हैं। व्यावसायिक मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी या तो कोई गतिविधि आरंभ करती है अथवा बंद करती है जो उसके परिचालनों हेतु महत्वपूर्ण है। यदि कंपनी वित्तीय संपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण करती है, तो वह पुनर्वर्गीकरण तिथि से पूर्वप्रभावी रूप से पुनर्वर्गीकरण लागू करती है, जो व्यावसायिक मॉडल में परिवर्तन के पश्चात तत्काल अगली रिपोर्टिंग अवधि का प्रथम दिन है। कंपनी पहले मान्यता प्राप्त किसी लाभ, हानि (हानि लाभ अथवा हानि सहित) अथवा ब्याज को पुनः विवरणित नहीं करती।

निम्नलिखित तालिका विभिन्न पुनर्वर्गीकरण एवं उनके लेखांकन के तरीके को दर्शाती है

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन उपचार
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा जाता है। पूर्व परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य के बीच अंतर लाभ-हानि में मान्यता प्राप्त होता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई सकल वहन राशि बन जाता है। ईआईआर की गणना नई सकल वहन राशि के आधार पर की जाती है।

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन उपचार
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा जाता है। पूर्व परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य के बीच अंतर ओसीआई में मान्यता प्राप्त होता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन नहीं।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई परिशोधित लागत वहन राशि बन जाता है। तथापि, ओसीआई में संचित लाभ अथवा हानि उचित मूल्य के विरुद्ध समायोजित की जाती है। परिणामस्वरूप, संपत्ति को इस प्रकार मापा जाता है जैसे यह हमेशा परिशोधित लागत पर मापी गई हो।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई वहन राशि बन जाता है। किसी अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	संपत्तियाँ उचित मूल्य पर मापी जाती रहती हैं। पहले ओसीआई में मान्यता प्राप्त संचित लाभ अथवा हानि पुनर्वर्गीकरण तिथि पर लाभ-हानि में पुनर्वर्गीकृत की जाती है।

1.1.1.5 वित्तीय लिखतों की ऑफसेटिंग

वित्तीय संपत्तियाँ एवं वित्तीय देयताएँ ऑफसेट की जाती हैं तथा स्टैंडअलोन तुलन-पत्र में शुद्ध राशि रिपोर्ट की जाती है यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का वर्तमान में प्रवर्तनीय विधिक अधिकार हो तथा संपत्तियों को वसूल करने एवं देयताओं को एक साथ निपटाने हेतु शुद्ध आधार पर निपटान का इरादा हो।

1.1.1.6 वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो वर्तमान बाजार स्थितियों के अंतर्गत मापन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में किसी संपत्ति को बेचने हेतु प्राप्त होगा अथवा किसी देयता को अंतरित करने हेतु भुगतान किया जाएगा।

कंपनी उचित मूल्य पर मापी गई संपत्तियों एवं देयताओं को ऐसे मापन हेतु उपयोग किए गए इनपुट को देखने की क्षमता के आधार पर तीन स्तरों में से एक में वर्गीकृत करती है:

(a) स्तर 1: इनपुट समान संपत्तियों अथवा देयताओं हेतु सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं।

(b) स्तर 2: स्तर 1 के भीतर सम्मिलित उद्धृत मूल्यों से इतर इनपुट जो संपत्ति अथवा देयता हेतु सीधे अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य हैं।

(c) स्तर 3: संपत्ति अथवा देयता हेतु इनपुट जो देखने योग्य बाजार आँकड़ों (अदेखने योग्य इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

कंपनी के पास उचित मूल्यों के मापन के संबंध में एक स्थापित नियंत्रण ढाँचा है। इसमें एक वित्त टीम शामिल है जो सभी महत्वपूर्ण उचित मूल्य मापनों की देखरेख की समग्र जिम्मेदारी रखती है तथा नियमित रूप से महत्वपूर्ण अदेखने योग्य इनपुट, मूल्यांकन समायोजन एवं उचित मूल्य पदानुक्रम की समीक्षा करती है जिसके अंतर्गत मूल्यांकन वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

1.15.3 नकद एवं नकद समतुल्य

तुलन-पत्र में नकद एवं नकद समतुल्य में बैंकों तथा हाथ में नकद तथा तीन माह अथवा उससे कम की मूल परिपक्वता वाली अल्पकालिक जमाराशियाँ शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तनों के ण्य जोखिम के अधीन हैं। स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन हेतु, नकद एवं नकद समतुल्य में उपर्युक्त परिभाषित नकद एवं अल्पकालिक जमाराशियाँ शामिल हैं, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का अभिन्न भाग माना जाता है।

2.16.उधार लागत

उधार लागतें व्यय के रूप में तब खर्च की जाती हैं जब वे उत्पन्न होती हैं, सिवाय जहाँ वे किसी योग्य संपत्ति के अर्जन, निर्माण अथवा उत्पादन से सीधे संबद्ध हों, अर्थात् ऐसी संपत्तियाँ जिन्हें अपने अभिप्रेत उपयोग हेतु तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लगता है, ऐसी स्थिति में उन्हें संबंधित संपत्ति की लागत के भाग के रूप में उस तिथि तक पूँजीकृत किया जाता है जब योग्य संपत्ति अपने अभिप्रेत उपयोग हेतु तैयार हो जाती है।

1.17 कराधान

आयकर व्यय में चालू देय कर तथा आस्थगित कर का योग शामिल है।

चालू कर किसी अवधि हेतु कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि है। कर योग्य लाभ "आयकर-पूर्व लाभ" से भिन्न है जैसा कि लाभ-हानि विवरण एवं अन्य व्यापक आय में रिपोर्ट किया गया है, क्योंकि यह आय अथवा व्यय की उन मदों को छोड़ता है जो अन्य वर्षों में कर योग्य अथवा कटौती योग्य हैं तथा यह उन मदों को भी छोड़ता है जो कभी कर योग्य अथवा कटौती योग्य नहीं होतीं। कंपनी की चालू कर हेतु देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित अथवा मूलतः अधिनियमित की गई हैं।

आस्थगित कर देयताएँ सामान्यतः सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों हेतु मान्यता प्राप्त होती हैं। आस्थगित कर संपत्तियाँ सामान्यतः सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों हेतु उस सीमा तक मान्यता प्राप्त होती हैं जहाँ तक यह संभावित हो कि ऐसे कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सके। ऐसी संपत्तियाँ एवं देयताएँ मान्यता प्राप्त नहीं होतीं यदि अस्थायी अंतर गुडविल से अथवा किसी लेनदेन में अन्य संपत्तियों एवं देयताओं की प्रारंभिक मान्यता (व्यावसायिक संयोजन को छोड़कर) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ को और न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है।

आस्थगित कर देयताएँ सहायक कंपनियों एवं सहयोगियों में निवेशों से संबद्ध कर योग्य अस्थायी अंतरों हेतु मान्यता प्राप्त होती हैं, सिवाय जहाँ कंपनी अस्थायी अंतर के प्रत्यावर्तन को नियंत्रित करने में सक्षम है तथा यह संभावित है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में प्रत्यावर्तित नहीं होगा। ऐसे निवेशों एवं हितों से संबद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्तियाँ केवल उस सीमा तक मान्यता प्राप्त होती हैं जहाँ तक यह संभावित हो कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके विरुद्ध अस्थायी अंतरों के लाभ का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा उस सीमा तक घटाई जाती है जहाँ तक यह अब संभावित नहीं रहा कि संपत्ति के सभी अथवा भाग की वसूली की अनुमति देने हेतु पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे। अमान्यताप्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का पुनर्आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में किया जाता है तथा उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ तक यह संभावित हो गया हो कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी अथवा भाग की वसूली की अनुमति देने हेतु पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर संपत्तियाँ एवं देयताएँ उन कर दरों पर मापी जाती हैं जो उस अवधि में लागू होने की अपेक्षा है जिसमें देयता का निपटान किया जाता है अथवा संपत्ति की वसूली की जाती है, रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित अथवा मूलतः अधिनियमित कर दर (एवं कर विधियों) के आधार पर।

आस्थगित कर देयताओं एवं संपत्तियों का मापन उन कर परिणामों को प्रतिबिंबित करता है जो उस रीति से अनुसरण करेंगे जिसमें कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी संपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशि की वसूली अथवा निपटान करने की अपेक्षा रखती है।

चालू एवं आस्थगित कर लाभ-हानि में मान्यता प्राप्त होते हैं, सिवाय जब वे उन मदों से संबंधित हों जो अन्य व्यापक आय में अथवा सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त हैं, ऐसी स्थिति में, चालू एवं आस्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी में भी मान्यता प्राप्त होते हैं। जहाँ चालू कर अथवा आस्थगित कर किसी व्यावसायिक संयोजन हेतु प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, कर प्रभाव व्यावसायिक संयोजन हेतु लेखांकन में शामिल किया जाता है।

आस्थगित आयकर संपत्तियाँ एवं देयताएँ ऑफसेट की जाती हैं जब चालू कर संपत्तियों को चालू कर देयताओं के विरुद्ध ऑफसेट करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो, तथा जब आस्थगित आयकर संपत्तियाँ एवं देयताएँ समान कर प्राधिकरण द्वारा या तो कर योग्य निकाय अथवा विभिन्न कर योग्य निकायों पर लगाए गए आयकरों से संबंधित हों जहाँ शेषों को शुद्ध आधार पर निपटाने का इरादा हो।

1.18 कर्मचारी लाभ

1.18.1 अल्पकालिक लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ वे कर्मचारी लाभ (सेवा-समाप्ति लाभों को छोड़कर) हैं जो वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, बारह माह से पहले पूर्णतः निपटाए जाने की अपेक्षा है।

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिसमें कर्मचारियों द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

1.18.2 सेवा-पश्चात लाभ एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

1.18.2.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ

परिभाषित अंशदान योजना एक सेवा-पश्चात लाभ योजना है जिसके अंतर्गत कंपनी किसी पृथक निकाय द्वारा अनुरक्षित निधि में एक निश्चित अंशदान का भुगतान करती है तथा कंपनी को आगे कोई राशि भुगतान करने का कोई विधिक अथवा रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित अंशदान योजनाओं में अंशदान हेतु दायित्व उन अवधियों में लाभ-हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त होते हैं जिनके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

1.18.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजना, परिभाषित अंशदान योजना से इतर एक सेवा-पश्चात लाभ योजना है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के शुद्ध दायित्व की गणना उस भावी लाभ की राशि का अनुमान लगाकर की जाती है जो कर्मचारियों ने चालू एवं पूर्व अवधियों में अपनी सेवा के बदले अर्जित किया है। लाभ को उसके वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने हेतु छूट दी जाती है तथा योजना संपत्तियों के उचित मूल्य से, यदि कोई हो, घटाई जाती है। छूट दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार प्रतिफल दरों पर आधारित है, जिनकी परिपक्वता तिथियाँ कंपनी के दायित्वों की शर्तों के निकट हों तथा जो उसी मुद्रा में अंकित हों जिसमें लाभों का भुगतान अपेक्षित है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुप्रयोग में छूट दर, संपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल दरों, भावी वेतन वृद्धियों, मृत्यु दरों आदि के बारे में मान्यताएँ बनाना शामिल है। इन योजनाओं की दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, ऐसे अनुमान अनिश्चितताओं के अधीन हैं।

प्रत्येक तुलन-पत्र पर एक बीमांकक द्वारा प्रक्षेपित इकाई प्रतिफल पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है। जब गणना का परिणाम कंपनी के लाभ में हो, तो मान्यता प्राप्त संपत्ति योजना से भावी वापसी अथवा योजना में भावी अंशदान में कमी के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित है। कंपनी को कोई आर्थिक लाभ उपलब्ध होता है यदि यह योजना के जीवन के दौरान अथवा योजना देयताओं के निपटान पर वसूली योग्य हो।

निवल परिभाषित लाभ देयता का पुनर्मापन, जिसमें योजना संपत्तियों पर प्रतिफल (ब्याज को छोड़कर) तथा संपत्ति सीमा (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए बीमांकिक लाभ एवं हानियाँ शामिल हैं, अन्य व्यापक आय में तत्काल मान्यता प्राप्त होते हैं। कंपनी उस अवधि हेतु निवल परिभाषित लाभ देयता (संपत्ति) पर निवल ब्याज व्यय (आय) का निर्धारण उस छूट दर को लागू करके करती है जिसका उपयोग वार्षिक अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने हेतु किया गया था, तत्कालीन निवल परिभाषित लाभ देयता (संपत्ति) पर, अंशदान एवं लाभ भुगतानों के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान निवल परिभाषित लाभ देयता (संपत्ति) में किसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए। निवल ब्याज व्यय एवं परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य व्यय लाभ-हानि में मान्यता प्राप्त होते हैं।

जब योजना के लाभों में सुधार किया जाता है, तो कर्मचारियों की पूर्व सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ का भाग लाभ-हानि विवरण में तत्काल व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त होता है।

1.18.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, सेवा-पश्चात लाभ एवं सेवा-समाप्ति लाभों से इतर सभी कर्मचारी लाभ हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में वे मदें शामिल हैं जो वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, बारह माह से पहले पूर्णतः निपटाए जाने की अपेक्षा नहीं है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों हेतु, निम्नलिखित राशियों का शुद्ध योग लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त होता है:

(a) सेवा लागत

(b) निवल परिभाषित लाभ देयता (संपत्ति) पर निवल ब्याज

(c) निवल परिभाषित लाभ देयता (संपत्ति) के पुनर्मापन

1.19 विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन प्रारंभ में लेनदेन तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके मान्यता प्राप्त होते हैं। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्तियाँ एवं देयताएँ रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर अनुवादित की जाती हैं। मौद्रिक संपत्तियों एवं देयताओं के निपटान पर अथवा उन्हें उन दरों पर अनुवाद करने पर उत्पन्न विनिमय अंतर, जो अवधि के दौरान अथवा पूर्व वित्तीय विवरणों में उनके प्रारंभिक मान्यता पर अनुवादित की गई दरों से भिन्न हैं, उस अवधि के लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त होते हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

विदेशी मुद्रा में अंकित गैर-मौद्रिक मदें लेनदेनों की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर मूल्यित की जाती हैं।

1.20 स्टोर, स्पेयर एवं अन्य माल-सूची

स्टोर एवं स्पेयर सहित अन्य माल-सूची का स्टॉक भारित औसत पद्धति के आधार पर गणना की गई लागत पर मूल्यित किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त एवं अप्रचलित स्टोर एवं स्पेयर हेतु 100% की दर पर तथा 5 वर्ष तक न चले स्टोर एवं स्पेयर हेतु 50% की दर पर प्रावधान बनाए जाते हैं।

1.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक संपत्तियाँ

प्रावधान तब मान्यता प्राप्त होते हैं जब कंपनी के पास किसी विगत घटना के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा रचनात्मक) है, तथा यह संभावित है कि दायित्व को निपटाने हेतु आर्थिक लाभों का बहिर्वाह आवश्यक होगा तथा दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जहाँ धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है, वहाँ प्रावधान दायित्व को निपटाने हेतु अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य पर बताए जाते हैं।

सभी प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को प्रतिबिंबित करने हेतु समायोजित किया जाता है।

जहाँ यह संभावित नहीं है कि आर्थिक लाभों का बहिर्वाह आवश्यक होगा, अथवा राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता, वहाँ दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, सिवाय जब आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ हो। संभावित दायित्व, जिनका अस्तित्व केवल एक अथवा अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं के घटित होने अथवा न घटित होने से पुष्ट होगा जो पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, को भी आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है सिवाय जब आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ हो।

आकस्मिक संपत्तियाँ संभावित संपत्तियाँ हैं जो विगत घटनाओं से उत्पन्न होती हैं तथा जिनका अस्तित्व केवल एक अथवा अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के घटित होने अथवा न घटित होने से पुष्ट होगा जो पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक संपत्तियाँ वित्तीय विवरणों में तब प्रकट की जाती हैं जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभों का अंतर्वाह संभावित हो। इन्हें निरंतर आकलित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो कि विकास वित्तीय विवरणों में उपयुक्त रूप से प्रतिबिंबित हों।

1.22 प्रति शेयर अर्जन

मूल प्रति शेयर अर्जन की गणना मूल निकाय के साधारण इक्विटीधारकों को प्रदेय लाभ अथवा हानि (अंश) को अवधि के दौरान बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या (हर) से विभाजित करके की जाती है। तनूकृत प्रति शेयर अर्जन की गणना मूल निकाय के साधारण इक्विटीधारकों को प्रदेय समायोजित लाभ अथवा हानि (अंश) को मूल प्रति शेयर अर्जन प्राप्त करने हेतु माने गए साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या तथा उन इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भी विभाजित करके की जाती है जो सभी तनूकारी संभावित साधारण शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे (हर)।

1.23 निर्णय, अनुमान एवं मान्यताएँ

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन को ऐसे अनुमान, निर्णय एवं मान्यताएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग तथा वित्तीय विवरणों की तिथि पर संपत्तियों एवं देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक संपत्तियों एवं देयताओं के प्रकटीकरणों तथा रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व एवं व्ययों की राशि को प्रभावित करते हैं। जटिल एवं विषयगत निर्णयों को शामिल करने वाली लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग तथा इन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं के उपयोग को प्रकट किया गया है। लेखांकन अनुमान अवधि-दर-अवधि परिवर्तित हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमान एवं अंतर्निहित मान्यताओं की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं तथा, यदि भौतिक हो, तो उनके प्रभाव वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किए जाते हैं।

1.1.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव है:

1.1.1.1 लेखांकन नीतियों का निरूपण

लेखांकन नीतियाँ इस प्रकार निरूपित की जाती हैं जिससे वित्तीय विवरण उन लेनदेनों, अन्य घटनाओं एवं परिस्थितियों के बारे में प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना समाहित करें जिन पर वे लागू होते हैं। उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब उन्हें लागू करने का प्रभाव अमहत्वपूर्ण हो।

किसी लेनदेन, अन्य घटना अथवा स्थिति पर विशेष रूप से लागू होने वाले किसी इंड एएस की अनुपस्थिति में, प्रबंधन ने ऐसी लेखांकन नीति विकसित करने एवं लागू करने में अपने निर्णय का उपयोग किया है जो ऐसी सूचना का परिणाम देती है जो है:

a) उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय-प्रक्रिया की आवश्यकताओं हेतु प्रासंगिक तथा

b) विश्वसनीय, इसमें वित्तीय विवरण: तथा

(i) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन एवं नकदी प्रवाह का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करते हैं;

(ii) लेनदेनों, अन्य घटनाओं एवं परिस्थितियों के आर्थिक सार को प्रतिबिंबित करते हैं, न कि मात्र विधिक स्वरूप को;

(iii) निष्पक्ष हैं, अर्थात् पूर्वाग्रह से मुक्त;

(iv) विवेकपूर्ण हैं; तथा

(v) संगत आधार पर सभी भौतिक पहलुओं में पूर्ण हैं

निर्णय करने में प्रबंधन निम्नलिखित स्रोतों को, अवरोही क्रम में, संदर्भित करता है तथा उनकी प्रयोज्यता पर विचार करता है:

(क) (ख) समान एवं संबंधित मुद्दों से निपटने वाले इंड एएस में अपेक्षाएँ; तथा

(ग) ढाँचे में संपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों हेतु परिभाषाएँ, मान्यता मानदंड एवं मापन अवधारणाएँ।

निर्णय करने में, प्रबंधन अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सर्वाधिक हाल की उद्घोषणाओं तथा उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक-निर्धारण निकायों की उद्घोषणाओं पर विचार करता है जो लेखांकन मानक विकसित करने हेतु समान वैचारिक ढाँचे का उपयोग करते हैं, अन्य लेखांकन साहित्य, तथा स्वीकृत उद्योग प्रथाएँ, उस सीमा तक जहाँ तक ये उपर्युक्त पैराग्राफ में उल्लिखित भारतीय लेखांकन मानक एवं लेखांकन नीतियों एवं प्रथाओं के साथ विरोध न करें।

कंपनी खनन क्षेत्र में (एक ऐसा क्षेत्र जहाँ अन्वेषण, मूल्यांकन एवं विकास उत्पादन चरण दशकों तक चलने वाली पट्टा अवधि पर फैले विविध स्थलाकृतिक एवं भू-खनन क्षेत्र पर आधारित हैं तथा निरंतर परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील हैं) संचालित होती है, जिनकी लेखांकन नीतियाँ पिछले कई दशकों के अनुसंगत अनुप्रयोग के कारण अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित तथा विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदित विशिष्ट उद्योग प्रथाओं के आधार पर विकसित हुई हैं। विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन एवं मानकों की अनुपस्थिति में जो कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया में हैं, कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के अनुरूप लेखांकन नीतियाँ विकसित करने का प्रयास करना जारी रखती है तथा उसमें कोई भी विकास उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, विशेष रूप से इंड एएस 8 में, भावी रूप से लेखांकित किया जाएगा।

1.1.1.2 भौतिकता

इंड एएस उन मदों पर लागू होते हैं जो भौतिक हैं। प्रबंधन यह निर्णय करने में विवेक का उपयोग करता है कि क्या वित्तीय विवरणों में व्यक्तिगत मदें अथवा मदों के समूह भौतिक हैं। भौतिकता का निर्णय मदों की प्रकृति अथवा परिमाण, अथवा दोनों के संदर्भ में किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि क्या किसी सूचना को छोड़ना अथवा गलत बताना अथवा अस्पष्ट करना, अकेले अथवा अन्य सूचना के साथ मिलकर, उन निर्णयों को प्रभावित कर सकता है जो प्राथमिक उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर लेते हैं। प्रबंधन इंड एएस की अनुपालन आवश्यकता निर्धारित करने हेतु भौतिकता के निर्णय का भी उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को विधि द्वारा अपेक्षित होने पर अमहत्वपूर्ण मदों को पृथक रूप से प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो सकता है।

01.04.2019 से प्रभावी, चालू वर्ष में पूर्व अवधियों से संबंधित पाई गई त्रुटियाँ/चूकें अमहत्वपूर्ण मानी जाती हैं तथा चालू वर्ष के दौरान समायोजित की जाती हैं, यदि ऐसी सभी त्रुटियाँ एवं चूकें समग्र रूप से कंपनी के अंतिम अंकेक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार परिचालन से कुल राजस्व (सांविधिक शुल्क का शुद्ध) के 1% से अधिक न हों।

2.24.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौतों में प्रवेश किया है। कंपनी ने व्यवस्थाओं की शर्तों एवं स्थितियों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है, जैसे वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का प्रमुख भाग न बनने वाली पट्टा अवधि तथा संपत्ति का उचित मूल्य, कि वह इन संपत्तियों के स्वामित्व से जुड़े सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं लाभ बनाए रखती है तथा संविदाओं को परिचालन पट्टों के रूप में लेखांकित करती है।

2.25.1 अनुमान एवं मान्यताएँ

भावी संबंधी मुख्य मान्यताएँ तथा रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमान अनिश्चितता के अन्य मुख्य स्रोत, जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर संपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशियों में भौतिक समायोजन के कारण का महत्वपूर्ण जोखिम रखते हैं, नीचे वर्णित हैं। कंपनी ने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार किए जाने के समय उपलब्ध पैरामीटरों पर अपनी मान्यताएँ एवं अनुमान आधारित किए। तथापि, भावी विकासों के बारे में विद्यमान परिस्थितियाँ एवं मान्यताएँ बाजार परिवर्तनों अथवा कंपनी के नियंत्रण से परे उत्पन्न परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। ऐसे परिवर्तनों को घटित होने पर मान्यताओं में प्रतिबिंबित किया जाता है।

अनुमान, निर्णय एवं संबद्ध मान्यताएँ ऐतिहासिक अनुभव एवं अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान एवं अंतर्निहित मान्यताओं की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है तथा प्रभावित भावी अवधियों में।

लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग जिसमें जटिल एवं विषयगत निर्णय तथा इन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं का उपयोग शामिल है, नीचे प्रकट किया गया है:

1.1.1.1 गैर-वित्तीय संपत्तियों की हानि

हानि का संकेत तब होता है यदि किसी संपत्ति अथवा नकद-सृजक इकाई की वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो, जो व्ययन लागत घटाकर उसके उचित मूल्य तथा उपयोग मूल्य में से जो अधिक हो, वह है। कंपनी हानि परीक्षण के प्रयोजन हेतु व्यक्तिगत खदानों को पृथक नकद-सृजक इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग मूल्य की गणना डीसीएफ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पाँच वर्षों के बजट से प्राप्त किए जाते हैं तथा उन पुनर्गठन गतिविधियों को शामिल नहीं करते जिनके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है अथवा महत्वपूर्ण भावी निवेश जो परीक्षणाधीन सीजीयू की संपत्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएँगे। वसूली योग्य राशि डीसीएफ मॉडल हेतु उपयोग की गई छूट दर के साथ-साथ अपेक्षित भावी नकद-अंतर्वाह तथा एक्सट्रापोलेशन प्रयोजनों हेतु उपयोग की गई वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन अवसंरचनाओं हेतु सर्वाधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू हेतु वसूली योग्य राशि निर्धारित करने हेतु उपयोग की गई मुख्य मान्यताएँ संबंधित टिप्पणियों में प्रकट एवं आगे स्पष्ट की गई हैं।

1.1.1.2 आयकर

आस्थगित कर संपत्तियाँ अप्रयुक्त कर हानियों हेतु उस सीमा तक मान्यता प्राप्त होती हैं जहाँ तक यह संभावित हो कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध हानियों का उपयोग किया जा सके। मान्यता प्राप्त की जा सकने वाली आस्थगित कर संपत्तियों की राशि निर्धारित करने हेतु महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय आवश्यक है, जो भावी कर योग्य लाभों के संभावित समय तथा स्तर के साथ भावी कर नियोजन रणनीतियों पर आधारित है।

1.1.1.3 परिभाषित लाभ योजनाएँ एवं दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

परिभाषित लाभ योजना तथा अन्य सेवा-पश्चात चिकित्सा लाभों की लागत तथा दायित्वों का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न मान्यताएँ बनाना शामिल है जो वास्तविक भावी विकासों से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भावी वेतन वृद्धि एवं मृत्यु दरों का निर्धारण शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं तथा इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, कोई परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। सभी मान्यताओं की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है। परिवर्तन के अधीन सर्वाधिक पैरामीटर छूट दर है। भारत में संचालित योजनाओं हेतु उपयुक्त छूट दर निर्धारित करने में, प्रबंधन सेवा-पश्चात लाभ दायित्व की मुद्राओं के अनुरूप मुद्राओं में सरकारी बॉन्डों की ब्याज दरों पर विचार करता है।

मृत्यु दर देश की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। वे मृत्यु दर तालिकाएँ जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में केवल अंतराल पर बदलती हैं।

1.1.1.4 विकासाधीन अमूर्त संपत्ति

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार किसी परियोजना हेतु विकासाधीन अमूर्त संपत्ति को पूँजीकृत करती है। लागतों का प्रारंभिक पूँजीकरण प्रबंधन के इस निर्णय पर आधारित है कि तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि हो गई है, सामान्यतः जब कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार एवं अनुमोदित की जाती है।

1.1.1.5 खान बंदी, स्थल पुनर्स्थापन एवं विनियोजन दायित्व हेतु प्रावधान

खान बंदी, स्थल पुनर्स्थापन एवं विनियोजन दायित्व हेतु प्रावधान का उचित मूल्य निर्धारित करने में, छूट दरों, स्थल पुनर्स्थापन एवं विसंहत करने की अपेक्षित लागत तथा उन लागतों के अपेक्षित समय के संबंध में मान्यताएँ एवं अनुमान बनाए जाते हैं। कंपनी परियोजना/खान के जीवन को ध्यान में रखते हुए डीसीएफ पद्धति का उपयोग करके प्रावधान का अनुमान लगाती है, जो निम्न पर आधारित है

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट प्रति हेक्टेयर अनुमानित लागत छूट दर (कर-पूर्व दर) जो धन के समय मूल्य तथा देयता के प्रति विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलनों को प्रतिबिंबित करती है।

1.26 उपयोग किए गए संक्षिप्त रूप:

क.	सीजीयू	नकद-सृजक इकाई	ल.	ईसीएल	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ख.	डीसीएफ	डिस्काउंटेड कैश फ्लो	म.	Bसीसीएल	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
ग.	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	न.	सीसीएल	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
घ.	एफवीटीपीएल	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य	ओ.	एसईसीएल	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ङ.	जीएएपी	सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत	प.	एमसीएल	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
च.	इंड एएस	भारतीय लेखांकन मानक	क्यू.	एनसीएल	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
छ.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय	र.	डब्ल्यूसीएल	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ज.	लाभ-हानि	लाभ एवं हानि	स.	सीएमपीडीआईएल	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड
झ.	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	त.	एनईसी	नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
ट.	एसपीपीआई	मूलधन एवं ब्याज का मात्र भुगतान	यू.	आईआईसीएम	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट
ठ.	ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर	व.	सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड
ड.	जेसीआरएल	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड			

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ टिप्पणी 3.1 : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

	ल पुनर्स्थापन लागत	भवन	संयंत्र एवं उपकरण		फर्नीचर एवं फिक्सचर	वाहन		कार्यालय उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	अन्य अवसंरचना	खनन स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्तियाँ	सर्वेक्षित/परित्यक्त संपत्ति	रेल गलियारा	अन्य	सं
सकल वहन राशि: 1 अप्रैल, 2024 की स्थिति के अनुसार	-	-	-	-	-	8.39	-	8.18	-	-	-		-	-	-	16.57
जोड़	-	-	-	-	-	-	-	1.40	-	-	-		-	-	-	1.40
निस्तारण/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	-	-	-	-	-	8.39	-	9.58	-	-	-	-	-	-	-	17.97
1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार	-	-	-	-	-	8.39	-	9.58	-	-	-		-	-	-	17.97
जोड़	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-
निस्तारण/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	-	-	-	-	-	8.39	-	9.58	-	-	-	-	-	-	-	17.97
संचित मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि 3.1.5						2.92										
1 अप्रैल, 2024 की स्थिति के अनुसार	-	-	-	-	-		-	3.03	-	-	-		-	-	-	5.95
वर्ष का प्रभार	-	-	-	-	-	0.80	-	1.92	-	-	-		-	-	-	2.72
निस्तारण/समायोजन	-	-	-	-	--		-	-	-	-	-		-	-	-	-
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	-	-	-	-	-	3.72	-	4.95	-	-	-	-	-	-	-	8.67
1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार	-	-	-	-	-	3.72	-	4.95	-	-	-		-	-	-	8.67
वर्ष का प्रभार	-	-	-	-	-	0.80	-	1.15	-	-	-		-	-	-	1.95
निस्तारण/समायोजन	-				-		-	-								-
31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	-	-	-	-	-	4.52	-	6.10	-	-	-	-	-	-	-	10.62
31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार शुद्ध वहन राशि	-		-	-	-	**4.67**	-		-	-	-	-	-	-	-	**7.35**
	-	-	-	-	-		-	**4.63**	-	-	-	-	-	-	-	**9.30**
1 अप्रैल, 2024 की स्थिति के अनुसार वर्ष का प्रभार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
निस्तारण/समायोजन																
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार वर्ष का प्रभार																
निस्तारण/समायोजन																

र्षिक रिपोर्ट एवं लेखे - 2025-2026 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ टिप्पणी 3.2 : प्रगतिरत पूँजीगत कार्य

भवन (जल आपूर्ति, सड़कें एवं पुलिया सहित) संयंत्र एवं उपकरण रेलवे साइडिंग अन्य खनन रेल गलियारा निर्माणाधीन/विकासाधीन सोलर प्रोजेक्ट अन्य कुल अवसंरचना

	भवन (जल आपूर्ति, सड़कें एवं पुलिया सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग अन्य खनन रेल गलियारा अवसंरचना- /विकासाधीन मेंट	निर्माणाधीन	सोलर प्रोजेक्ट	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:							
1 अप्रैल, 2024 की स्थिति के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	-	-	-	-	-	-	-
पूँजीकरण/निस्तारण	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	-	-	-	-	-	-	-
पूँजीकरण/निस्तारण	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-
संचित हानि							
1 अप्रैल, 2024 की स्थिति के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष का प्रभार	-	-	-	-	-	-	-
निस्तारण/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष का प्रभार	-	-	-	-	-	-	-
निस्तारण/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार शुद्ध वहन राशि	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-

3.2.1 प्रगतिरत पूँजीगत कार्य की एजिंग अनुसूची (सकल):

	31-03-2026 की स्थिति के अनुसार प्रगतिरत पूँजीगत कार्य की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिरत परियोजनाएँ:					
भवन (जल आपूर्ति, सड़कें एवं पुलिया सहित)					
संयंत्र एवं उपकरण					
रेलवे साइडिंग					
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					
निर्माणाधीन रेल गलियारा					
सोलर प्रोजेक्ट					
अन्य					
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएँ:					
भवन (जल आपूर्ति, सड़कें एवं पुलिया सहित)					
संयंत्र एवं उपकरण					
रेलवे साइडिंग					
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					
कुल					

	31-03-2025 की स्थिति के अनुसार प्रगतिरत पूँजीगत कार्य की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिरत परियोजनाएँ:					
भवन (जल आपूर्ति, सड़कें एवं पुलिया सहित)					
संयंत्र एवं उपकरण					
रेलवे साइडिंग					
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					
निर्माणाधीन रेल गलियारा					
सोलर प्रोजेक्ट					
अन्य					
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएँ:					
भवन (जल आपूर्ति, सड़कें एवं पुलिया सहित)					
संयंत्र एवं उपकरण					
रेलवे साइडिंग					
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					
कुल					

एजिंग लेनदेन तिथि पर आधारित है

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.3 : अन्वेषण एवं मूल्यांकन संपत्तियाँ

(₹ लाख में)

	अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि: 1 अप्रैल, 2024 की स्थिति के अनुसार जोड़ प्रगतिरत पूँजीगत कार्य में अंतरण/निस्तारण **31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार**	
1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार जोड़ प्रगतिरत पूँजीगत कार्य में अंतरण/निस्तारण **31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार**	
संचित हानि 1 अप्रैल, 2024 की स्थिति के अनुसार वर्ष का प्रभार निस्तारण/समायोजन **31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार**	
1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार वर्ष का प्रभार निस्तारण/समायोजन **31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार**	
31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार शुद्ध वहन राशि 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	

अन्वेषण एवं मूल्यांकन

3.3.1. अन्वेषण एवं मूल्यांकन (सकल) की एजिंग अनुसूची

	31-03-2026 की स्थिति के अनुसार अन्वेषण एवं मूल्यांकन में राशि				
विवरण	**1 से कम वर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
प्रगतिरत परियोजनाएँ:					
अन्वेषण एवं मूल्यांकन					
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएँ:					
अन्वेषण एवं मूल्यांकन					
कुल					

31-03-2025 की स्थिति के अनुसार अन्वेषण एवं मूल्यांकन में राशि					
विवरण	**1 से कमवर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष सेअधिक**	**कुल**
प्रगतिरत परियोजनाएँ:					
अन्वेषण एवं मूल्यांकन					
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएँ:					
अन्वेषण एवं मूल्यांकन					
कुल					

किसी भी चालू परियोजना हेतु वर्ष के दौरान किया गया व्यय, एजिंग अनुसूची के प्रयोजन हेतु परियोजना आरंभ के वर्ष में किए गए व्यय के रूप में माना जाता है।

3.3.2. अतिदेय सामग्री अन्वेषण एवं मूल्यांकन

	में पूर्ण किया जाना है			
विवरण	**1 से कम वर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड				
प्रगतिरत परियोजनाएँ:				
प्रगतिरत अन्वेषण एवं मूल्यांकन परियोजनाएँ:				
कोनार परियोजना, कारो हेतु अन्वेषण				
ईस्ट बोकारो सीबीएम				
कुल		-	-	-

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ टिप्पणी 3.4 : अमूर्त संपत्तियाँ

(₹ लाख में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अमूर्त अन्वेषणात्मक संपत्तियाँ	रेल गलियारा	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:					
1 अप्रैल, 2024 की स्थिति के अनुसार	0.54				0.54
जोड़	0.10				0.10
निस्तारण/समायोजन	-				-
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	0.64	-	-	-	0.64
1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार	0.64				0.64
जोड़					-
निस्तारण/समायोजन					-
31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	0.64	-	-	-	0.64
संचित परिशोधन एवं हानि					
1 अप्रैल, 2024 की स्थिति के अनुसार	0.32				0.32
वर्ष का प्रभार	0.18				0.18
निस्तारण/समायोजन	-				-
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	0.50	-	-	-	0.50
1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार	0.50				0.50
वर्ष का प्रभार	0.14				0.14
निस्तारण/समायोजन					-
31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	0.64	-	-	-	0.64
शुद्ध वहन राशि					
31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	0.14	-	-	-	0.14
3.4.1. संचित हानि में गतिविधि					
1 अप्रैल, 2024 की स्थिति के अनुसार वर्ष का प्रभार निस्तारण/समायोजन 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार वर्ष का प्रभार निस्तारण/समायोजन 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	-	-	-	-	-	-

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ टिप्पणी 3.5: विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ

(₹ लाख में)

	विकासाधीन रेल गलियारा
वहन राशि:	
1 अप्रैल, 2024 की स्थिति के अनुसार	78,732.13
जोड़	58,187.23
पूँजीकरण/निस्तारण-	-
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	1,36,919.36
1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार	1,36,919.36
जोड़	42,569.41
पूँजीकरण/निस्तारण	-
31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	1,79,488.77
शुद्ध वहन राशि	
31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	1,79,488.77
विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	1,36,919.36

3.5.1. विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों की एजगि अनुसूची

31-03-2026 की स्थिति के अनुसार विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों में राशि				
	से कम 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
प्रगतिरत परियोजनाएँ:				
विकासाधीन रेल गलियारा	42,569.41	58,187.23	35,778.49	42,953.64
कुल	**42,569.41**	**58,187.23**	**35,778.49**	**42,953.64**
निर्धारित समय से अधिक अथवा मूल अनुमानित लागत से अधिक हो चुकी परियोजनाएँ:				
विकासाधीन रेल गलियारा	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएँ:				
विकासाधीन रेल गलियारा	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
31-03-2025 की स्थिति के अनुसार विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों में राशि				

	से कम 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
प्रगतिरत परियोजनाएँ:				
विकासाधीन रेल गलियारा	58,187.23	35,778.49	16,863.45	26,090.19
कुल	**58,187.23**	**35,778.49**	**16,863.45**	**26,090.19**
निर्धारित समय से अधिक अथवा मूल अनुमानित लागत से अधिक हो चुकी परियोजनाएँ:				
विकासाधीन रेल गलियारा	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएँ:				
विकासाधीन रेल गलियारा	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

किसी भी चालू परियोजना हेतु वर्ष के दौरान किया गया व्यय, एजिंग अनुसूची के प्रयोजन हेतु परियोजना आरंभ के वर्ष में किए गए व्यय के रूप में माना जाता है।

टिप्पणियाँ: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएएसी) ने इंड एएस 115 'ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व' के परिशिष्ट D 'सेवा रियायत व्यवस्थाएँ' की अपेक्षाओं तथा कंपनी द्वारा एसईसीआर के साथ निष्पादित रियायत समझौते के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह राय दी है कि वर्तमान मामले में, सीईआरएल के पास नकद अथवा अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है, तथा तदनुसार, रियायत समझौते से कंपनी हेतु कोई वित्तीय संपत्ति उत्पन्न नहीं होती, बल्कि यह कंपनी हेतु एक अमूर्त संपत्ति उत्पन्न करेगा।

ईएएसी, आईसीएआई ने आगे यह राय दी कि सीईआरएल को इंड एएस की अपेक्षाओं के अनुरूप एक उपयुक्त परिशोधन पद्धति अपनानी चाहिए: रियायत समझौते की सीमा के भीतर आने वाले अमूर्त संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर, तथा उपयोगी जीवन में किसी परिवर्तन हेतु वार्षिक रूप से इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

सीईआरएल में ईएएसी, आईसीएआई से प्राप्त उपर्युक्त राय को ध्यान में रखते हुए, इसे जेसीआरएल द्वारा भी अपनाया गया है, क्योंकि दोनों कंपनियाँ कोल इंडिया लिमिटेड की समूह कंपनियाँ हैं तथा दोनों रेलवे के साथ समान प्रकृति के रियायत समझौते के अंतर्गत रेल गलियारा परियोजनाएँ विकसित कर रही हैं। तदनुसार, निर्माणाधीन रेल गलियारा, जिसे पूर्व में प्रगतिरत पूँजीगत कार्य के अंतर्गत दर्शाया जाता था, अब विकासाधीन अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत दर्शाया जा रहा है।

विकासाधीन अमूर्त संपत्ति (रेल गलियारा) के 'अन्य/परामर्श प्रभार' उप-शीर्ष में निर्माणाधीन रेल लाइन के दोहरीकरण की व्यवहार्यता अध्ययन/डीपीआर पर किए गए रु. 10.28 लाख शामिल हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

टिप्पणी - 4.1: निवेश	की स्थिति के अनुसार 31-03-2026	की स्थिति के अनुसार 31-03-2025
गैर-चालू		
सहकारी शेयरों में निवेश	-	-
(असूचीबद्ध)		
सुरक्षित बॉन्ड (सूचीबद्ध) में निवेश	-	-
कुल	-	-
	-	-
चालू	-	-
चालू	-	-
म्यूचुअल फंड (असूचीबद्ध) अन्य (सुरक्षित बॉन्ड आदि) कुल		
टिप्पणी - 4.2: ऋण	-	-
गैर-चालू		
संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित, उत्तम माना गया		
- असुरक्षित, उत्तम माना गया		
- ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाला	-	-
- ऋण-क्षीण		
घटाएँ: संदेहास्पद ऋणों हेतु भत्ता	-	-
निकाय निगमों एवं कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित, उत्तम माना गया		
- असुरक्षित, उत्तम माना गया		
- ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाला	-	-
- ऋण-क्षीण		
घटाएँ: संदेहास्पद ऋणों हेतु भत्ता	-	-
गैर-ब्याज-वाहक अग्रिम पर आस्थगित संपत्ति	-	-
कुल	-	-
चालू		
संबंधित पक्षों को ऋण	-	-
- सुरक्षित, उत्तम माना गया	-	-
- असुरक्षित, उत्तम माना गया	-	-
- ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाला		
- ऋण-क्षीण	-	-
घटाएँ: संदेहास्पद ऋणों हेतु भत्ता	-	-
- संबंधित पक्षों से इतर को ऋण निकाय निगमों एवं कर्मचारियों को ऋण	-	-
- सुरक्षित, उत्तम माना गया	-	-
- असुरक्षित, उत्तम माना गया	-	-
- ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाला	-	-
- ऋण-क्षीण		
घटाएँ: संदेहास्पद ऋणों हेतु भत्ता		
कुल		
टिप्पणी - 4.3: व्यापार प्राप्य		
सुरक्षित उत्तम माना गया असुरक्षित उत्तम माना गया	-	-
	-	-
ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाला ऋण-क्षीण	-	-
	-	-
घटाएँ: प्रत्याशित ऋण हानि हेतु भत्ता		
कुल		

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

टिप्पणी - 4.4: नकद एवं नकद समतुल्य

	की स्थिति के अनुसार 31-03-2026	की स्थिति के अनुसार 31-03-2025
बैंकों के पास शेष		
-जमा खातों में	6,845.51	435.00
- चालू खातों में	558.36	140.34
भारत के बाहर बैंक शेष	-	
प्राथमिक डीलरों के पास आईसीडी 4.4.1	-	
हस्तगत चेक, ड्राफ्ट एवं स्टाम्प	-	
हस्तगत नकदी	-	
भारत के बाहर हस्तगत नकदी	-	
अन्य 4.4.2	0.51	0.20
कुल	**7,404.38**	**575.54**

A.1.1 प्राथमिक डीलरों के पास आईसीडी, प्राथमिक डीलरों द्वारा स्वीकृत अंतर-निगम जमाराशियाँ हैं, जिनकी निवेश की तिथि से मूल परिपक्वता 7 से 31 दिनों के बीच है।

A.1.2 अन्य में अग्रदाय शेष शामिल हैं।

A.1.3 नकद एवं नकद समतुल्य में हस्तगत तथा बैंक में नकदी, स्वीप खाते तथा तीन माह अथवा उससे कम की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमाराशियाँ शामिल हैं।

टिप्पणी - 4.5: अन्य बैंक शेष

बैंकों के पास शेष		
जमा खाते	12,157.37	6,041.56
जमा खाते (विशिष्ट प्रयोजनों हेतु)	-	-
खान बंदी योजना	-	-
चालू परियोजनाओं हेतु सीएसआर निधि	-	-
शिफ्टिंग एवं पुनर्वास निधि योजना	-	-
शेयरों के पुनर्क्रय हेतु एस्क्रो खाता	-	-
अदत्त लाभांश खाते	-	-
लाभांश खाते	-	-
कुल	**12,157.37**	**6,041.56**

टिप्पणी - 4.6: अन्य वित्तीय संपत्तियाँ

गैर-चालू				
प्रतिभूति जमा	1.50		1.50	
घटाएँ: संदेहास्पद प्रतिभूति जमा हेतु भत्ता			-	
	1.50			**1.50**
12 माह से अधिक परिपक्वता वाली बैंक जमाराशियाँ; खान बंदी योजना के अंतर्गत बैंक में जमा; शिफ्टिंग एवं पुनर्वास निधि योजना के अंतर्गत बैंक में जमा	-			-
	-			-
	-			-
वित्त पट्टा प्राप्य	-			-
	-			
अन्य जमा एवं प्राप्य	-			-
घटाएँ: संदेहास्पद जमा एवं प्राप्य हेतु भत्ता	-			-
इक्विटी शेयरों के निर्गम हेतु टीएफएल (संयुक्त उद्यम) को अग्रिम	-			-
	-			-
कुल	**1.50**			**1.50**
चालू				
प्रतिभूति जमा	-			
घटाएँ: संदेहास्पद प्रतिभूति जमा हेतु भत्ता	-			
				-
				-
	-			
आईआईसीएम के साथ शेष	-		-	
			-	
उपचित ब्याज	426.26	449.45		
वित्त पट्टा प्राप्य; अन्य जमा एवं प्राप्य; घटाएँ: संदेहास्पद जमा एवं प्राप्य हेतु भत्ता	-			-
	-			-
	-			-
	426.26			
कुल	**426.26**		**449.45**	
			449.45	

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ)

टिप्पणी - 5.1: माल-सूची

(₹ लाख में

	की स्थिति के अनुसार 31-03-2026	की स्थिति के अनुसार 31-03-2025
कोयला (तैयार माल)	-	-
विकास परियोजनाओं पर कोयला	-	-
घटाएँ: मूल्य-ह्रास हेतु प्रावधान	-	-
स्टोर, स्पेयर एवं अन्य माल-सूची	-	-
घटाएँ: धीमी-गति, गैर-गतिशील एवं अप्रचलित माल-सूची आदि हेतु प्रावधान	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी - 6.1: अन्य गैर-चालू संपत्तियाँ

	की स्थिति के अनुसार 31-03-2026	की स्थिति के अनुसार 31-03-2025
पूँजीगत अग्रिम	3,561.57	14,827.08
घटाएँ: संदेहास्पद अग्रिमों हेतु भत्ता	-	-
	3,561.57	**14,827.08**
पूँजीगत अग्रिमों से इतर अग्रिम		
अन्य जमा एवं अग्रिम	-	-
घटाएँ: संदेहास्पद जमा हेतु भत्ता	-	-
	-	-
प्रगतिशील खान बंदी व्यय; संबंधित को अग्रिम	-	-
पक्ष	-	-
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	-	-
		-
कुल	**3,561.57**	**14,827.08**

टिप्पणी - 6.2: अन्य चालू संपत्तियाँ

	की स्थिति के अनुसार 31-03-2026	की स्थिति के अनुसार 31-03-2025
पूँजीगत अग्रिमों से इतर अग्रिम		
वैधानिक देयताओं का अग्रिम भुगतान	-	-
घटाएँ: संदेहास्पद वैधानिक देयताओं हेतु भत्ता	-	-
	-	-
अन्य जमा एवं अग्रिम	17.24	22.84
घटाएँ: संदेहास्पद अन्य जमा एवं अग्रिमों हेतु भत्ता	-	-
	17.24	**22.84**
प्रगतिशील खान	-	-
खान बंदी व्यय; इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य		-
कुल	**17.24**	**22.84**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 7.1: इक्विटी शेयर पूँजी

(₹ लाख में

	की स्थिति के अनुसार 31-03-2026	की स्थिति के अनुसार 31-03-2025
अधिकृत		
₹10/- प्रत्येक के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर (₹10/- प्रत्येक के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर) निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त शेयर पूँजी		
₹10/- प्रत्येक के 10,09,86,300 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 10,09,86,300)	**50,000.00**	**50,000.00**
₹10/- प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर		
	10,098.63	10,098.63
कुल	**10,098.63**	**10,098.63**

7.1.1 प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयर, जिसके पास 5% से अधिक शेयर हैं

शेयरधारकों के नाम		धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	31-03-2026 की स्थिति के अनुसार	64631232	64.00	0.00%
	31-03-2025 की स्थिति के अनुसार	64631232	64.00	
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	31-03-2026 की स्थिति के अनुसार	26256438	26.00	0.00%
	31-03-2025 की स्थिति के अनुसार	26256438	26.00	
झारखंड सरकार	31-03-2026 की स्थिति के अनुसार	10098630	10.00	0.00%
	31-03-2025 की स्थिति के अनुसार	10098630	10.00	

1. कंपनी के पास ₹10/- प्रति शेयर अंकित मूल्य वाला केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं। इक्विटी शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं तथा शेयरधारकों की बैठक में अपनी शेयरधारिता के अनुपात में मताधिकार के हकदार हैं।

7.1.2 रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ एवं अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान: -

विवरण	शेयर की संख्या	राशि
01.04.2021 की स्थिति के अनुसार शेष	87729862.00	8772.99
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्तन	0.00	0.00
31.03.2022 की स्थिति के अनुसार शेष	87729862.00	8772.99
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान परिवर्तन	13256438.00	1325.64
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार शेष	100986300.00	10098.63
वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान परिवर्तन	0.00	0.00
31.03.2024 की स्थिति के अनुसार शेष	100986300.00	10098.63
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान परिवर्तन	0.00	0.00
31.03.2025 की स्थिति के अनुसार शेष	100986300.00	10098.63
अवधि के दौरान परिवर्तन	0.00	0.00
31.03.2026 की स्थिति के अनुसार शेष	100986300.00	10098.63

टिप्पणी - 7.2: अन्य इक्विटी

	31-03-2026	31-03-2025
(क) पूँजी मोचन आरक्षित		
(b) **पूँजी आरक्षित**	-	-
(c) **सामान्य आरक्षित**	-	-
(d) **प्रतिधारित अर्जन**	2,431.48	1,783.97
(e) **अन्य व्यापक आय जो लाभ-हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएगी**	-	-
(f) **अन्य व्यापक आय जो लाभ-हानि में पुनर्वर्गीकृत की जाएगी**		-
कुल	-	
		1,783.97
	2,431.48	

	31-03-2026	31-03-2025
(क) पूँजी मोचन आरक्षित		
वर्ष के आरंभ में शेष		
अंतरण एवं अन्य संचलन/समायोजन		-
वर्ष के अंत में शेष	-	-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार पूँजी मोचन आरक्षित तब सृजित की जाती है जब कंपनी स्वतंत्र आरक्षित अथवा प्रतिभूति प्रीमियम में से अपने स्वयं के शेयर खरीदती है; इस प्रकार खरीदे गए शेयरों के अंकित मूल्य के बराबर राशि पूँजी मोचन आरक्षित में अंतरित की जाती है। यह आरक्षित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के प्रावधानों के अनुसार उपयोग की जाती है।

(ii) धारक कंपनी के मामले में:

पूँजी मोचन आरक्षित का विवरण

विवरण	राशि	वर्ष
गैर-संचयी 10% मोचनीय अधिमान शेयर पूँजी मोचन	-	
इक्विटी शेयर का पुनर्क्रय	-	
इक्विटी शेयर का पुनर्क्रय	-	
कुल	-	

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	की स्थिति के अनुसार 31-03-2026	की स्थिति के अनुसार 31-03-2025
(ख) पूँजी आरक्षित		
वर्ष के आरंभ में शेष बोनस शेयर का निर्गम	-	-
अंतरण एवं अन्य समायोजन		
वर्ष के अंत में शेष		
(ग) सामान्य आरक्षित		
वर्ष के आरंभ में शेष अंतरण एवं अन्य समायोजन	-	
वर्ष के अंत में शेष		

सामान्य आरक्षित एक स्वतंत्र आरक्षित है जिसका उपयोग समय-समय पर विनियोजन प्रयोजनों हेतु प्रतिधारित अर्जन से/को लाभ अंतरित करने के लिए किया जाता है।

(घ) प्रतिधारित अर्जन		
वर्ष के आरंभ में शेष वर्ष का लाभ	1,783.97	1,306.47
अंतरिम लाभांश	647.51	477.50
अंतिम लाभांश	-	-
अंतरण एवं अन्य समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-
	2,431.48	**1,783.97**
(ङ) अन्य व्यापक आय जो लाभ-हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएगी		
वर्ष के आरंभ में शेष	.	.
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय - संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का अंश	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-
	-	-

टिप्पणी - 7.3 : गैर-नियंत्रक हित

	की स्थिति के अनुसार 31-03-2026	की स्थिति के अनुसार 31-03-2025
वर्ष के आरंभ में शेष वर्ष के लाभ का अंश	-	-
वर्ष की अन्य व्यापक आय का अंश	-	-
अधिग्रहण/हित के व्ययन पर उत्पन्न अतिरिक्त गैर-नियंत्रक हित	-	-
&	-	-
अन्य समायोजन	-	-
गैर-नियंत्रक हित को भुगतान किया गया लाभांश		
वर्ष के अंत में शेष	-	-

टिप्पणी - 7.4 : पूर्णतः इक्विटी प्रकृति के लिखत

	31-03-2026	की स्थिति के अनुसार 31-03-2025
वर्ष के आरंभ में शेष	43,851.36	43,851.36
वर्ष के दौरान जोड़	20,646.84	-
वर्ष के अंत में शेष	**64,498.20**	**43,851.36**

टिप्पणी - 8.1 : उधारियाँ

गैर-चालू सावधि ऋण		-
बैंकों से सुरक्षित	1,25,827.74	1,02,916.97
असुरक्षित अन्य से सुरक्षित	-	-
	-	-
असुरक्षित	-	-
	1,25,827.74	**1,02,916.97**
	-	
चालू		
बैंकों से - सुरक्षित		
सुरक्षित	-	-
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
बैंकों से अन्य ऋण बैंक से - असुरक्षित अन्य से	-	-
सुरक्षित असुरक्षित	-	-
दीर्घकालिक उधारियों की चालू परिपक्वताएँ	-	-
	-	-

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

A.1.1 निदेशकों एवं अन्य द्वारा गारंटीकृत ऋण:

(₹ लाख में)

ऋण का विवरण	राशि ₹ लाख में	गारंटी की प्रकृति
लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

*टिप्पणियाँ-

कंपनी के सदस्यों ने असाधारण आम बैठक में कंपनी की शिवपुर-कठौतिया रेल लाइन परियोजना हेतु रु. 1,25,975.00 लाख की सावधि ऋण सुविधा के आहरण हेतु स्वीकृति प्रदान की है। तत्पश्चात कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ से सावधि ऋण आहरण के संबंध में वित्तपोषण दस्तावेज़ 05.05.2022 को निष्पादित किया। कंपनी ने 6M पीएनबी एमसीएलआर+ 0.80% की ब्याज दर पर सावधि ऋण प्राप्त किया है। सामान्य ऋण समझौते की शर्तों तथा डीसीसीओ विस्तार की स्वीकृति के अनुसार, राशि 12 माह की मोहलत अवधि के पश्चात 60 किस्तों में 15 वर्ष की अवधि में चुकौती योग्य है।

31.03.2026 को, कुल उधारी रु. 1,25,827.74 लाख है (गत वर्ष रु. 102916.97 लाख)।

सामान्य ऋण समझौते (अनुच्छेद 10) की शर्तों के अनुसार, प्रतिभूति से संबंधित प्रमुख शर्तें यहाँ संक्षेप में दी गई हैं:

A. रियायत समझौते के अंतर्गत अनुमत सीमा तक, बकाया देय राशियाँ निम्न द्वारा सुरक्षित होंगी:

(a) उधारकर्ता की सभी अचल संपत्तियों, वर्तमान एवं भावी, पर प्रथम प्रभार, परियोजना संपत्तियों को छोड़कर;

(b) उधारकर्ता की सभी मूर्त चल संपत्तियों, जिसमें चल संयंत्र एवं मशीनरी, मशीनरी स्पेयर, उपकरण एवं सामान, फर्नीचर, फिक्सचर, वाहन तथा अन्य सभी चल संपत्तियाँ, वर्तमान एवं भावी दोनों, शामिल हैं, पर प्रथम प्रभार, परियोजना संपत्तियों को छोड़कर;

(c) उधारकर्ता के सभी प्राप्य, चालू संपत्तियों एवं खातों, जिसमें एस्क्रो खाता तथा उसके उप-खाते (अथवा उसके स्थान पर खोला जाने वाला कोई खाता) शामिल हैं, जो इस समझौते तथा अनुपूरक एस्क्रो समझौते, अथवा परियोजना से संबंधित किसी अन्य परियोजना दस्तावेज़ अथवा संविदा के अनुसार खोले जा सकते हैं, तथा समय-समय पर उनमें जमा सभी निधियाँ, तथा सभी प्राप्य एवं अनुमत निवेश अथवा अन्य प्रतिभूतियाँ, पर प्रथम प्रभार;

(d) उधारकर्ता की सभी अमूर्त संपत्तियों पर प्रथम प्रभार, जिसमें सद्भावना, उधारकर्ता के अधिकार, वचनबद्धताएँ, तथा अदत्त पूँजी, वर्तमान एवं भावी दोनों, शामिल हैं किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, परियोजना संपत्तियों को छोड़कर, बशर्ते कि इससे उत्पन्न सभी प्राप्य एस्क्रो खाते में जमा किए जाएँगे तथा उस पर प्रभार रियायत समझौते के अनुच्छेद 25 तथा एस्क्रो समझौते के अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट प्राथमिकता के अनुसार अनुमेय सीमा तक ही होगा। इसके अतिरिक्त, अदत्त पूँजी पर प्रभार, जैसा ऊपर उल्लिखित है, रियायत समझौते के प्रावधानों के अधीन होगा;

(ङ) प्रतिभूति के माध्यम से समनुदेशन/प्रभार -

(i) रियायत समझौते तथा/अथवा परियोजना से संबंधित उधारकर्ता के सभी अधिकार, हक, हित, दायित्व, लाभ, दावे एवं मांगें, प्रतिभूति ट्रस्टी के पक्ष में

(ii) किसी भी सरकारी प्राधिकरण से प्राप्त किए जाने आवश्यक ऐसी सभी स्वीकृतियों में उधारकर्ता के सभी अधिकार, हक एवं हित

(iii) किसी भी साख-पत्र, गारंटी, जिसमें संविदाकार गारंटी तथा परियोजना दस्तावेजों के किसी पक्ष द्वारा प्रदत्त परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन बॉन्ड शामिल हैं, में उधारकर्ता के सभी अधिकार, हक, हित, लाभ, दावे एवं मांगें, जो भी हों; तथा

(iv) सभी बीमा संविदाओं के अंतर्गत उधारकर्ता के सभी अधिकार, हक, हित, लाभ, दावे एवं मांगें।

बशर्ते कि, ऊपर अनुच्छेद 10.1.1 (ग) एवं (घ) (प्रतिभूति) के अनुसार सृजित प्रभार के अनुसरण में समय-समय पर प्राप्त कोई भी एवं समस्त निधियाँ, रियायत समझौते के अनुच्छेद 25 तथा एस्क्रो समझौते के अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट भुगतान प्राथमिकता के वॉटरफॉल की सीमा तक ही लागू की जाएँगी, इससे आगे नहीं, तथा प्राप्यों पर प्रभार ऋणदाताओं द्वारा, अथवा उनकी ओर से, केवल इस प्रयोजन हेतु प्रवर्तनीय होगा कि प्राप्यों को रियायत समझौते के अनुच्छेद 25 तथा एस्क्रो समझौते के अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट भुगतान प्राथमिकता के वॉटरफॉल की सीमा तक लागू किए जाने के प्रयोजन हेतु एस्क्रो खाते में जमा किया जाए, इससे आगे नहीं

आगे यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 10.1.1 (ङ) के अनुसार सृजित ऐसा समनुदेशन/प्रभार ऋणदाताओं द्वारा इस प्रकार प्रवर्तनीय होगा: (1) प्रतिस्थापन समझौते में निर्दिष्ट रीति से, ताकि नामित कंपनी (जैसा रियायत समझौते के अंतर्गत परिभाषित है) प्रतिस्थापन समझौते के अनुसार उधारकर्ता को प्रतिस्थापित कर सके; तथा (2) ऐसे प्रभार की प्रवर्तनीयता (जैसा ऊपर उल्लिखित है) केवल इस प्रयोजन हेतु प्रभावी होगी कि सभी प्राप्य रियायत समझौते के अनुच्छेद 25 तथा एस्क्रो समझौते के अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट भुगतान प्राथमिकता के क्रम में लागू किए जाने के प्रयोजन हेतु एस्क्रो खाते में जमा किए जाएँ, इससे आगे नहीं

B. यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुच्छेद 10.1 (प्रतिभूति) के प्रयोजनों हेतु, अनुच्छेद 10.1.1(क) से 10.1.1(ङ) में निर्दिष्ट प्रतिभूति हित परियोजना संपत्तियों को छोड़ देगा

C. ऋणदाताओं को इस समझौते तथा अन्य वित्तपोषण दस्तावेजों में प्रवेश करने हेतु प्रेरित करने के लिए, प्रायोजक निम्न प्रदान करेंगे:

(a) अंतिम निपटान तिथि तक उधारकर्ता की 51% (इक्यावन प्रतिशत) मताधिकार एवं इक्विटी शेयर पूँजी के संबंध में गैर-व्ययन वचनबद्धता; तथा

(b) अनुच्छेद 13.26 (प्रायोजक समर्थन समझौते) के अनुसरण में ऋणदाताओं के लाभ हेतु एक अप्रतिसंहरणीय एवं बिना शर्त वचनबद्धता। प्रतिभूति ऋणदाता को स्वीकार्य रूप, सार-तत्व एवं रीति में सृजित एवं पूर्ण की जाएगी।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 8.2: पट्टा देयताएँ

(₹ लाख में)

	की स्थिति के अनुसार 31-03-2026	की स्थिति के अनुसार 31-03-2025
गैर-चालू वित्त पट्टा देयताएँ	-	-
चालू वित्त पट्टा देयताएँ	-	-

टिप्पणी - 8.3 : व्यापार देय

	की स्थिति के अनुसार 31-03-2026	की स्थिति के अनुसार 31-03-2025
चालू		
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	-
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से इतर लेनदारों की कुल बकाया राशि	104.23	145.47
कुल	**104.23**	**145.47**

8.3.1 व्यापार देय की एजिंग अनुसूची 31-03-2026 की स्थिति के अनुसार

	लेनदेन तिथि से निम्नलिखित अवधियों हेतु बकाया				
विवरण	**1 वर्ष से कम**	**1-2वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**से अधिक3 वर्ष**	**कुल**
(1) एमएसएमई					
(2) अन्य	97.53		6.70		**104.23**
(3) विवादित बकाया -एमएसएमई					-
(4) विवादित बकाया -अन्य					-
(5) अबिल्ड					-
(6) अदेय					-
कुल	**97.53**	-	**6.70**	-	**104.23**

31-03-2025 की स्थिति के अनुसार

	लेनदेन तिथि से निम्नलिखित अवधियों हेतु बकाया				
विवरण	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	एमओआर **3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
(1) एमएसएमई	-	-	-	-	-
(2) अन्य	13.78	131.69	-	-	**145.47**
(3) विवादित बकाया -एमएसएमई	-	-	-	-	-
(4) विवादित बकाया -अन्य	-	-	-	-	-
(5) अबिल्ड	-	-	-	-	-
(6) अदेय	-	-	-	-	-
कुल	**13.78**	**131.69**	-	-	**145.47**

टिप्पणी - 8.4: अन्य वित्तीय देयताएँ

	की स्थिति के अनुसार 31-03-2026	की स्थिति के अनुसार 31-03-2025
गैर-चालू		
संविदाकारों एवं अन्य से जमा	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
चालू		
आईआईसीएम का चालू खाता; अदत्त लाभांश; संविदाकारों एवं अन्य से जमा	-	-
	- 0.82	- 0.69
पूँजीगत व्यय हेतु देय	11.44	15.46
कर्मचारी लाभों हेतु देयता अन्य	13.58	16.26
		-
कुल	**25.84**	**32.41**

टिप्पणी - 9.1: प्रावधान

गैर-चालू

	की स्थिति के अनुसार 31-03-2026	की स्थिति के अनुसार 31-03-2025
कर्मचारी लाभ		
उपदान	-	-
अवकाश नकदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
	-	-
अन्य प्रावधान		
स्थल पुनर्स्थापन/खान बंदी स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान अन्य	-	-
	-	-
कुल	-	-
	-	-

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

चालू कर्मचारी लाभ

(₹ लाख में)

उपदान	-	-
अवकाश नकदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
स्थल पुनर्स्थापन/खान बंदी	-	-
अन्य प्रावधान	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी - 10.1: अन्य गैर-चालू देयताएँ

	की स्थिति के अनुसार 31-03-2026	की स्थिति के अनुसार 31-03-2025
शिफ्टिंग एवं पुनर्वास निधि	-	-
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी - 10.2: अन्य चालू देयताएँ

	की स्थिति के अनुसार 31-03-2026	की स्थिति के अनुसार 31-03-2025
वैधानिक देयताएँ	104.89	77.62
कोयला आयात हेतु अग्रिम	-	-
ग्राहकों/अन्य से अग्रिम	-	-
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	-	-
अन्य देयताएँ	-	-
कुल	**104.89**	**77.62**

टिप्पणी - 11.1: कर संपत्तियाँ/देयताएँ

	की स्थिति के अनुसार 31-03-2026	की स्थिति के अनुसार 31-03-2025
आयकर संपत्तियाँ		
वर्ष के आरंभ में अग्रिम आयकर शेष	311.54	137.98
वर्ष के दौरान टीडीएस प्राप्य/(वापसी) सहित जमा	241.42	202.11
निर्धारण पूर्ण होने के पश्चात आयकर देयताओं के विरुद्ध समायोजन (कॉन्ट्रा समायोजन)	(19.20)	(28.55)
वर्ष/अवधि के अंत में अग्रिम आयकर शेष	**533.76**	**311.54**
आयकर देयताएँ		
वर्ष के आरंभ में आयकर प्रावधान	252.11	96.72
कर व्यय - चालू वर्ष (टिप्पणी 14.1 देखें)	256.21	183.94
कर व्यय - पूर्व वर्ष (टिप्पणी 14.1 देखें)	17.42	-

	की स्थिति के अनुसार 31-03-2026	की स्थिति के अनुसार 31-03-2025
उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ-हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएँगी (टिप्पणी 15.1 देखें)	-	
उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ-हानि में पुनर्वर्गीकृत की जाएँगी (टिप्पणी 15.1 देखें)	-	
घटाएँ: ओसीआई पर आस्थगित कर (टिप्पणी 11.2 देखें)	-	
आयकर पर ब्याज	1.06	
निर्धारण पूर्ण होने के पश्चात आयकर संपत्तियों के विरुद्ध समायोजन (कॉन्ट्रा समायोजन)	(19.20)	(28.55)
वर्ष/अवधि के अंत में आयकर प्रावधान	**507.60**	**52.11**
अंत में शुद्ध आयकर संपत्ति/(देयताएँ)	**26.16**	**59.43**
इस प्रकार प्रकट:		
गैर-चालू		
आयकर संपत्तियाँ (शुद्ध)	-	
आयकर देयताएँ (शुद्ध)	-	-
चालू		
आयकर संपत्तियाँ (शुद्ध)	26.16	59.43
आयकर देयताएँ (शुद्ध)	-	-
	26.16	**59.43**

वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखे - 2025-2026 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ (₹ लाख में)

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड टिप्पणी - 11.2: आस्थगित कर संपत्तियाँ/देयताएँ

	की स्थिति के अनुसार शेष 01.04.2024	वर्ष के दौरान लाभ-हानि में मान्यता प्राप्त/ (प्रत्यावर्तित)	अन्य में मान्यता प्राप्त वर्ष के दौरान व्यापक आय वर्ष	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान लाभ-हानि में मान्यता प्राप्त/(प्रत्यावर्तित)	अन्य में मान्यता प्राप्त वर्ष के दौरान व्यापक आय वर्ष	शेष पर 31 03-2026
(क) आस्थगित कर संपत्तियाँ:							
संदेहास्पद अग्रिमों, दावों हेतु प्रावधान एवं ऋण	-	-		-			-
कर्मचारी लाभ	-	-		-			-
अन्य	(0.03)	0.26		0.23	0.18		0.41
(क) का कुल	**(0.03)**	**0.26**	**-**	**0.23**	**0.18**	**-**	**0.41**
(ख) आस्थगित कर देयता:							
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण से संबंधित एवं अमूर्त संपत्तियाँ				-			-
अन्य				-			-
(ख) का कुल	-	-	-	-	-	-	-
(ग) आस्थगित कर संपत्ति/(आस्थगित कर देयता) (ग= क-ख)	**(0.03)**	**0.26**	**-**	**0.23**	**0.18**	**-**	**0.41**
(घ) परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मापन डीटीएल (-)/डीटीए (+)				-			
(ङ) शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति/ (आस्थगित कर देयता) (ङ=ग+घ)	**(0.03)**	**0.26**	**-**	**0.23**	**0.18**	**-**	**0.41**

इस प्रकार प्रकट:	**की स्थिति के अनुसार 31-03-2026**	**की स्थिति के अनुसार 31-03-2025**
आस्थगित कर संपत्तियाँ	0.41	0.23
आस्थगित कर देयता	-	-
	0.41	**0.23**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 12.1: परिचालन से राजस्व

	समाप्त वर्ष हेतु 31-03-2026	समाप्त वर्ष हेतु 31-03-2025
उत्पादों की बिक्री	-	-
सेवाओं की बिक्री	-	-
अन्य परिचालन राजस्व	-	-
रेत स्टोविंग एवं संरक्षण कार्यों हेतु सब्सिडी	-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान का प्रत्यावर्तन	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी - 12.2: अन्य आय

	31-03-2026 को समाप्त वर्ष हेतु	31-03-2025 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज आय 12.2.1	954.40	695.93
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	-
सहायक कंपनियों द्वारा शेयरों के पुनर्क्रय से आय	-	-
अन्य गैर-परिचालन आय (सीधे संबद्ध व्ययों का शुद्ध)		
ऐसी आय)	-	-
संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-
विदेशी विनिमय लेनदेनों पर लाभ	-	-
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	-	-
पट्टा किराया	-	-
प्रावधान अपलिखित	-	-
देयताएँ अपलिखित	-	-
उचित मूल्य परिवर्तन (शुद्ध)	-	-
विविध आय	-	-
कुल	**954.40**	**695.93**

12.2.1 आयकर वापसी पर ब्याज ₹1.06 लाख शामिल है (गत वर्ष की संगत अवधि में ₹1 लाख)।

टिप्पणी - 13.1: उपभुक्त सामग्री की लागत

	31-03-2026 को समाप्त वर्ष हेतु	समाप्त वर्ष हेतु 31-03-2025
विस्फोटक लकड़ी तेल एवं स्नेहक	-	-
एचईएमएम स्पेयर	-	-
अन्य उपभोज्य स्टोर एवं स्पेयर	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी - 13.1(क) : स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद

स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	-	-

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 13.2: तैयार माल, प्रगतिरत कार्य की माल-सूची में परिवर्तन

	31-03-2026 को समाप्त वर्ष हेतु	31-03-2025 को समाप्त वर्ष हेतु
कोयला माल-सूची में परिवर्तन; वर्ष के आरंभ में स्टॉक; राजस्व में लाया गया आरंभिक स्टॉक; वर्ष के अंत में स्टॉक	-	-
	-	-
	-	-
कार्यशाला एवं प्रेस जॉब की माल-सूची में परिवर्तन	-	-
वर्ष के आरंभ में स्टॉक; वर्ष के अंत में स्टॉक	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी - 13.3: कर्मचारी लाभ व्यय

	31-03-2026 को समाप्त वर्ष हेतु	31-03-2025 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन एवं मजदूरी	-	-
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान; कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी - 13.4: वित्त लागत

	31-03-2026 को समाप्त वर्ष हेतु	31-03-2025 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज व्यय; छूट का अनवाइंडिंग; उचित मूल्य परिवर्तन (शुद्ध); अन्य उधार लागत; आयकर पर ब्याज	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी - 13.5: मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि

	समाप्त वर्ष हेतु 31-03-2026	समाप्त वर्ष हेतु 31-03-2025
मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (टिप्पणी 3.1)	1.95	2.72
प्रगतिरत पूँजीगत कार्य (टिप्पणी 3.2)	.	-
अन्वेषण एवं मूल्यांकन संपत्तियाँ (टिप्पणी 3.3)		-
अमूर्त संपत्तियाँ (टिप्पणी 3.4)	0.14	0.18
विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ (टिप्पणी 3.5)	-	-
घटाएँ:	**2.09**	**2.90**
कोयला खदानों के विकास के दौरान पूँजीकरण	-	-
कुल	**2.09**	**2.90**

टिप्पणी - 13.6: स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन

	समाप्त वर्ष हेतु 31-03-2026	समाप्त वर्ष हेतु 31-03-2025
कोयले तक बेहतर पहुँच	-	-

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

टिप्पणी - 13.7: संविदात्मक व्यय

	31-03-2026 को समाप्त वर्ष हेतु	31-03-2025 को समाप्त वर्ष हेतु
परिवहन प्रभार	-	-
वैगन लोडिंग	-	-
कोयला एवं ओवरबर्डन हेतु आउटसोर्सिंग व्यय	-	-
अन्य संविदात्मक कार्य	-	-
कुल	-	-
एमडीओ मोड व्यय		

टिप्पणी - 13.8: अन्य व्यय

	समाप्त वर्ष हेतु 31-03-2026	समाप्त वर्ष हेतु 31-03-2025
बिजली व्यय	-	-
मरम्मत एवं अनुरक्षण		
-भवन	-	-
-संयंत्र एवं उपकरण	0.02	0.68
-अन्य	-	-
यात्रा व्यय	3.76	2.77
प्रशिक्षण व्यय	-	-
टेलीफोन एवं इंटरनेट	0.57	0.59
विज्ञापन एवं प्रचार	-	0.09
डेमरेज	-	-
अंडर लोडिंग प्रभार	-	-
कोयला सैंपलिंग प्रभार	-	-
सुरक्षा व्यय	-	-
स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क	-	-
विधिक व्यय	-	-
परामर्श प्रभार	0.40	1.21
संपत्तियों की बिक्री/निरस्तीकरण/सर्वेक्षण पर हानि; वैधानिक अंकेक्षक का पारिश्रमिक एवं व्यय	-	-
-अंकेक्षण शुल्क हेतु	1.18	1.35
-कराधान मामलों हेतु	-	-
-अन्य सेवाओं हेतु	1.15	1.47
-व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु	-	-
पट्टा किराया एवं भाड़ा प्रभार	3.38	4.50
दर एवं कर	1.16	1.37
बीमा	-	-
विनिमय दर विचरण पर हानि	-	-
अन्य बचाव एवं सुरक्षा व्यय	-	-
साइडिंग अनुरक्षण प्रभार	-	-
अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	-
पर्यावरण एवं वृक्षारोपण व्यय	-	-
शेयरों के पुनर्क्रय पर व्यय	-	-
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	12.30	9.84
दान, पुरस्कार एवं अनुदान	-	-
अन्य सामाजिक एवं कल्याण व्यय	-	-
प्रावधान	-	-
अपलेखन (पूर्व प्रावधानों का शुद्ध)	-	-
-सकल अपलेखन	-	-
-अपलेखन पर पूर्व में मान्यता प्राप्त प्रावधानों का प्रत्यावर्तन	-	-
अपलेखन (पूर्व में मान्यता प्राप्त प्रावधानों के प्रत्यावर्तन का शुद्ध); विविध व्यय	-	-
कुल	6.58	6.96
	31.35	**31.85**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

टिप्पणी - 14.1: कर व्यय

	समाप्त वर्ष हेतु 31-03-2026	31-03-2025 को समाप्त वर्ष हेतु
चालू वर्ष	256.21	183.94
पूर्व वर्ष	17.42	-
कुल चालू कर	**273.63**	**183.94**
आस्थगित कर	(0.18)	(0.23)
मैट क्रेडिट हकदारी	-	-
कुल	**273.45**	**183.71**

14.1.1. कर व्यय का समाधान:

	31-03-2026 को समाप्त वर्ष हेतु	31-03-2025 को समाप्त वर्ष हेतु
कर-पूर्व लाभ/(हानि)	920.96	661.18
27.82% की आयकर दर पर (31.03.2025: 27.82%)	256.21	183.94
घटाएँ: छूट-प्राप्त आय पर कर		
जोड़ें: गैर-कटौती योग्य व्ययों पर कर/(कर हेतु अनुमत अतिरिक्त व्यय पूर्व वर्ष कर हेतु समायोजन	17.42	-
लाभ-हानि विवरण में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	**273.63**	**183.94**
प्रभावी आयकर दर:	**29.71%**	**27.82%**

14.1.2. आस्थगित कर संपत्तियों/(देयताओं) के घटक हेतु टिप्पणी 11.2 देखें।

14.1.3 इंड एएस 8 'लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन एवं त्रुटियाँ' तथा इंड एएस 1 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार पुनर्विवरण के विवरण हेतु टिप्पणी 16(8) देखें।

	-	-

	समाप्त वर्ष हेतु 31-03-2026	समाप्त वर्ष हेतु 31-03-2025
वे मदें जो लाभ-हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएँगी	-	-
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	-	-
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का अंश	-	-
खान बंदी योजना के अंतर्गत बैंक में जमा	-	-
शिफ्टिंग एवं पुनर्वास निधि योजना के अंतर्गत बैंक में जमा	-	-
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	-	-
वित्त पट्टा प्राप्य; अन्य जमा एवं प्राप्य	-	-
घटाएँ: संदेहास्पद जमा एवं प्राप्य हेतु भत्ता	-	-
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का अंश	-	-
उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ-हानि में पुनर्वर्गीकृत की जाएँगी		
किसी विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर	-	-
विदेशी परिचालन		
कुल	-	-

अ.1.2 सीएसआर व्यय का अनुबंध

(₹ लाख में)

अ. सीएसआर व्यय (अधिक व्यय सहित) का गतिविधि-वार विभाजन:

	31-03-2026 को समाप्त वर्ष हेतु	31-03-2025 को समाप्त वर्ष हेतु
भूख, गरीबी एवं कुपोषण उन्मूलन		
विशेष शिक्षा एवं रोजगारपरक व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना	12.30	9.84
लैंगिक समानता एवं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की असमानताओं को कम करने के उपाय		
पर्यावरणीय स्थिरता		
राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण		
पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं एवं उनके आश्रितों का कल्याण		
ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालंपिक खेल एवं ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण		
सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निधि में अंशदान		
इनक्यूबेटरों अथवा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में अंशदान		
विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों में अंशदान		
ग्रामीण विकास परियोजनाएँ		
मलिन बस्ती क्षेत्र विकास		
आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित		
कुल	**12.30**	**9.84**

(क) वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि (2% कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान धारक एवं सहायक कंपनियों के औसत शुद्ध लाभ का)	**12.14**	**9.75**
(ख) बोर्ड द्वारा वर्ष के दौरान व्यय हेतु अनुमोदित राशि	**12.30**	**9.84**
(ग) वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि, इस प्रकार:		
(1) किसी संपत्ति का निर्माण/अर्जन		4.52
(2) उपर्युक्त (1) से इतर प्रयोजनों हेतु	12.30	5.32
कुल	**12.30**	**9.84**

	31-03-2026 को समाप्त वर्ष हेतु	31-03-2025 को समाप्त वर्ष हेतु
ग. मान्यता प्राप्त एवं व्यय की गई सीएसआर **राशि का समाधान**	**2025-26**	**2024-25**
व्यय की गई सीएसआर राशि	12.30	9.84
घटाएँ: वर्ष के दौरान आगे लाई गई/(उपयोग की गई) अतिरिक्त राशि		
जोड़ें: चालू परियोजनाओं पर अव्ययित सीएसआर व्यय		
जोड़ें: चालू से इतर पर अव्ययित सीएसआर व्यय		
लाभ-हानि में मान्यता प्राप्त राशि	12.30	9.84

घ. चालू से इतर परियोजना हेतु अव्ययित राशि [धारा 135(5)]	**2025-26**	**2024-25**
आरंभिक शेष		
6 माह के भीतर अनुसूची 7 की विशिष्ट निधि में जमा		
वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि		
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		

ङ. व्यय की गई अतिरिक्त राशि [धारा 135(5)]

(₹ लाख में)

वर्ष-वार विवरण	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	अंतिम शेष
2023-24		8.88	9.19	
2024-25		9.75	9.84	
2025-26		12.14	12.30	
कुल		**30.77**	**31.33**	

अन्य चालू संपत्तियों के अंतर्गत अन्य अग्रिम एवं जमा हेतु फुटनोट देखें

च. चालू परियोजना हेतु अव्ययित राशि [धारा 135(6)] (वर्ष-वार)		**2025-26**	**2024-25**
आरंभिक शेष	कंपनी के साथ		
	पृथक सीएसआर खाता		
वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि			
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	कंपनियों से बैंक खाता		
	पृथक सीएसआर खाता		
अंतिम शेष	कंपनी के साथ		
	पृथक सीएसआर खाता		

छ. सीएसआर **व्यय की देयता हेतु प्रावधान**	**2025-26**
आरंभिक शेष	
अवधि के दौरान जोड़	
वर्ष के दौरान समायोजन	
अंतिम शेष	

टिप्पणी – 16: 31-03-2026 को समाप्त वर्ष हेतु स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ 1 क) आकस्मिक देयताएँ

I. समूह के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है)

(₹ लाख में)

	केंद्र सरकार	राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	अन्य	कुल
01-04-2025 की स्थिति के अनुसार आरंभिक	77.72	-	-	-	**77.72**
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान निपटाया गया दावा:					
क. आरंभिक शेष से	-	-	-	-	-
ख. वर्ष के दौरान जोड़ में से	-	-	-	-	-
31-03-2026 की स्थिति के अनुसार अंतिम	**77.72**	-	-	-	**77.72**

	केंद्र सरकार	राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	अन्य	कुल
01-04-2024 की स्थिति के अनुसार आरंभिक	77.72	-	-	-	**77.72**
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान निपटाया गया दावा:					
क. आरंभिक शेष से	-	-	-	-	-
ख. वर्ष के दौरान जोड़ में से	-	-	-	-	-
31-03-2025 की स्थिति के अनुसार अंतिम	**77.72**	-	-	-	**77.72**

कंपनी ने उपर्युक्त सारणीबद्ध मामले के संबंध में सीआईटी(ए) के समक्ष अपील दायर की है।

II. गारंटी

31-03-2026 को जारी बैंक गारंटी शून्य है (गत वर्ष शून्य)।

III. साख-पत्र

31-03-2026 को बकाया साख-पत्र शून्य है (गत वर्ष शून्य)।

b) **प्रतिबद्धताएँ**

i) **पूँजीगत प्रतिबद्धताएँ:**

पूँजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले तथा प्रावधानित न किए गए संविदाओं की अनुमानित राशि: ₹48,988/- लाख (गत वर्ष ₹37,877/- लाख)।

ii) **अन्य प्रतिबद्धताएँ: शून्य (गत वर्ष शून्य)**

c) **आकस्मिक संपत्तियाँ: आकस्मिक संपत्ति एक संभावित संपत्ति है जो विगत घटनाओं से उत्पन्न होती है तथा जिसका अस्तित्व केवल एक अथवा अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के घटित होने अथवा न होने से पुष्ट होगा, जो पूर्णतः निकाय के नियंत्रण में नहीं हैं। व्यवसाय के सामान्य क्रम में, कई अनसुलझे दावे वर्तमान में लंबित हैं। ऐसे दावों के संबंध में आर्थिक लाभों के अंतर्वाह को संबंधित घटनाओं एवं परिस्थितियों से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण मापा नहीं जा सकता।**

2 संबंधित पक्ष सूचना

a) समूह सूचना

क्र. सं.	निकाय का नाम	प्रमुख गतिविधियाँ	निगमन का देश	सीआईएल का % इक्विटी हित	
				31-03-2026	31-03-2025
1	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)	कोयला खनन	भारत	64%	64%
2	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	रेलवे अवसंरचना का विकास	भारत	26%	26%
3	झारखंड सरकार	सरकार	भारत	10%	10%

एमओयू के अनुसार प्रवर्तकों से प्राप्त ब्याज-मुक्त ऋण, जो परियोजना के समापन अथवा रियायत अवधि की समाप्ति, जो भी बाद में हो, पर चुकौती योग्य है, को इंड एएस 32 [पैरा 16] के अनुसार इक्विटी प्रकृति के वित्तीय लिखत के रूप में माना गया है तथा इसे वित्तीय विवरणों में तदनुसार प्रकट किया गया है।

अनुमोदित डीपीआर के अनुसार जेसीआरएल की अनुमानित परियोजना लागत रु. 1,799.64 करोड़ थी, जिसमें प्रस्तावित निधि व्यवस्था इक्विटी एवं ऋण के बीच 30:70 के अनुपात में थी। 30% इक्विटी की ओर अंशदान रु. 539.89 करोड़ तथा 70% के विरुद्ध ऋण का अंशदान रु. 1,259.75 करोड़ है। ऋण के माध्यम से परियोजना के वित्तपोषण हेतु निधि की व्यवस्था करने के लिए कंपनी ने बैंकों के संघ से ऋण सुविधा प्राप्त की है।

प्रवर्तक के अंशदान तथा ऋण सुविधा से संवितरण का विवरण नीचे दिया गया है:

निकाय का नाम	इक्विटी अंशदान	ब्याज-मुक्त ऋण	ऋण सुविधा से संवितरण	
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)	6463.12	42,772.20	पंजाब नेशनल बैंक	41927.04
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	1009.86	17,376.00	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	39954.06
झारखंड सरकार	2625.64	4,350.00	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	23971.83
			यूको बैंक	19974.81
कुल	**10098.63**	**64498.20**	**कुल**	**125827.74**

b) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन

क्र. सं.	कंपनी का नाम	संबंध की प्रकृति	अवधि के दौरान लेनदेन की राशि		कुल	31.03.2026 की स्थिति के अनुसार बकाया
			निर्माण एवं परामर्श प्रभार	अन्य		
1	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	धारक कंपनी		किराया- 3.38 ब्याज-मुक्त ऋण - 14682.24	14,685.62	किराया- 0.28
2	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	सहयोगी कंपनी	31,229.29	वेतन - 41.35 ब्याज-मुक्त ऋण - 5,964.60	37,235.24	इरकॉन को देय-608.65 वेतन एवं अन्य-16.65
3	सरकार, झारखंड	इक्विटी धारक				

c) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

नाम	पदनाम	वित्तीय वर्ष के दौरान शामिल/ पद-त्याग की तिथि
श्री पवन कुमार मिश्रा	अध्यक्ष, जेसीआरएल	19.12.2022 से
रागिनी अडवाणी	निदेशक	01.06.2022 से
चंद्र शेखर तिवारी	निदेशक	29.03.2025 से
शशांक शेखर झा	निदेशक	15.06.2018 से
प्रिय रंजन परही	निदेशक	09.05.2022 से_____
प्रवीण कुमार प्रकाश	निदेशक	18.03.2024 से_____
अजित कुमार मिश्रा	निदेशक	24.06.2025 से
आनंद कुमार सिंह	निदेशक	01.05.2025 से, 24.06.2025 तक

पराग वर्मा	निदेशक	11.10.2022 से, 30.04.2025 तक
डॉ. एस. के. सिन्हा	सीइओ	02.07.2024 से
प्रकाश कुमार सिंह	सीएफओ	03.05.2025 से
प्रदीप कुमार सिंह	सीएफओ	29.01.2022 से, 24.04.2025 तक
श्रेया	कंपनी सचिव	29.04.2022 से, 18.03.2026 तक

d) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	विवरण	31-03-2026	31-03-2025
(1)	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ		
क.	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव को भुगतान	28.82	22.82
ख.	स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क	-	0
(2)	सेवा-पश्चात लाभ	-	0
(3)	अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-
(4)	समाप्ति लाभ	-	-
(5)	शेयर आधारित भुगतान	-	-
	कुल	**28.82**	**22.82**

e) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ बकाया शेष

क्र. सं.	विवरण	31-03-2026	31-03-2025
(1)	देय राशि	2.14	2.31
(2)	प्राप्य राशि	-	-

f) कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों से, चाहे अकेले अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से, कोई व्यापार अथवा अन्य प्राप्य देय नहीं हैं। न ही किसी ऐसी फर्म अथवा निजी कंपनी से कोई व्यापार अथवा अन्य प्राप्य देय हैं जिसमें कोई निदेशक साझेदार, निदेशक अथवा सदस्य है। इसके अतिरिक्त संबंधित पक्षों (निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों एवं अन्य) को कोई ऋण नहीं है।

संबंधित पक्षों से सभी लेनदेन आर्म्स-लेंथ लेनदेन के समान शर्तों पर किए जाते हैं। वर्ष के अंत में बकाया शेष असुरक्षित एवं ब्याज-मुक्त हैं तथा इनका निपटान नकद में होता

टिप्पणी :16: 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1. उचित मूल्य मापन

(a) श्रेणी अनुसार वित्तीय लिखत

(₹ लाख में)

	31-03-2026		31-03-2025	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय संपत्तियाँ				
निवेश*:				
सुरक्षित बॉन्ड				
सहकारी शेयर				
म्यूचुअल फंड/आईसीडी				
ऋण				
व्यापार प्राप्य**				
नकद एवं नकद समतुल्य		7,404.38		575.54
अन्य बैंक शेष		12,157.37		6,041.56
अन्य वित्तीय संपत्तियाँ		426.26		449.45
वित्तीय देयताएँ				
उधारियाँ एवं पट्टा देयताएँ		1,25,827.74		1,02,916.97
व्यापार देय		104.23		145.47
संविदाकारों एवं अन्य से जमा		0.82		0.69
अन्य वित्तीय देयताएँ		25.02		31.72

(b) उचित मूल्य पदानुक्रम

नीचे दी गई तालिका वित्तीय लिखतों के उचित मूल्यों के निर्धारण में किए गए निर्णयों एवं अनुमानों को दर्शाती है, जो (क) उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त एवं मापे गए हैं तथा (ख) परिशोधित लागत पर मापे गए हैं तथा जिनके उचित मूल्य वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं। उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त इनपुट की विश्वसनीयता का संकेत देने हेतु, कंपनी ने अपने वित्तीय लिखतों को लेखांकन मानक के अंतर्गत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

(रु. लाख में)

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्तियाँ एवं देयताएँ	31-03-2026		31-03-2025	
	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 2	स्तर 3
एफवीटीपीएल पर वित्तीय संपत्तियाँ				
निवेश:				
म्यूचुअल फंड/आईसीडी				

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय संपत्तियाँ एवं देयताएँ, जिनके उचित मूल्य प्रकट किए गए हैं	31-03-2026		31-03-2025	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
वित्तीय संपत्तियाँ				
निवेश:				
सुरक्षित बॉन्ड				
सहकारी शेयर				
ऋण				
व्यापार प्राप्य				
नकद एवं नकद समतुल्य	7,404.38		575.54	
अन्य बैंक शेष	12,157.37		6,041.56	
अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	426.26		449.45	
वित्तीय देयताएँ				
उधारियाँ एवं पट्टा देयताएँ	1,25,827.74		1,02,916.97	
व्यापार देय	104.23		145.47	
संविदाकारों एवं अन्य से जमा	0.82		0.69	
अन्य वित्तीय देयताएँ	25.02		31.72	

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय लिखत शामिल हैं। इसमें म्यूचुअल फंड शामिल है, जिसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि पर समापन निवल संपत्ति मूल्य (NAV) का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: वे वित्तीय लिखत जो किसी सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करते, उनका उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जो देखने योग्य बाजार आँकड़ों के उपयोग को अधिकतम करती हैं तथा निकाय-विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करती हैं। यदि किसी लिखत के उचित मूल्य हेतु आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट देखने योग्य हैं, तो लिखत स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण इनपुट देखने योग्य बाजार आँकड़ों पर आधारित नहीं हैं, तो लिखत स्तर 3 में शामिल किया जाता है। यह असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, अधिमान शेयर उधारियों, प्रतिभूति जमा एवं स्तर 3 में शामिल अन्य देयताओं के मामले में है।

(c) **उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक**

वित्तीय लिखतों के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों में म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में लिखतों के उद्धृत बाजार मूल्यों (NAV) का उपयोग शामिल है।

(d) **महत्वपूर्ण अदेखने योग्य इनपुट का उपयोग करते हुए उचित मूल्य मापन**

वर्तमान में महत्वपूर्ण अदेखने योग्य इनपुट का उपयोग करते हुए कोई उचित मूल्य मापन नहीं है।

(e) **परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय संपत्तियों एवं देयताओं के उचित मूल्य**

- व्यापार प्राप्य, अल्पकालिक जमा, नकद एवं नकद समतुल्य, व्यापार देय की वहन राशियों को, उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण, उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।
- कंपनी का मानना है कि प्रतिभूति जमा में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है। प्रतिभूति जमा कंपनी के निष्पादन के साथ मेल खाती है तथा संविदा के अनुसार वित्त के प्रावधान से इतर कारणों से राशियाँ रोकी जानी आवश्यक हैं। प्रत्येक माइलस्टोन भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकना, संविदाकार द्वारा संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूर्ण न करने की स्थिति से कंपनी के हित की रक्षा हेतु अभिप्रेत है। तदनुसार, प्रतिभूति जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है तथा अनुवर्ती रूप से परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: वे वित्तीय लिखत जो किसी सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करते, उनका उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी विधि का चयन करने हेतु अपने निर्णय का उपयोग करती है तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त मान्यताएँ बनाती है।

3. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं नीतियाँ

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार एवं अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के परिचालनों को वित्तपोषित करना तथा उसके परिचालनों को समर्थन देने हेतु गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्य, तथा नकद एवं नकद समतुल्य शामिल हैं जो सीधे इसके परिचालनों से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम एवं तरलता जोखिम के प्रति उजागर है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति का समर्थन प्राप्त है जो, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय जोखिमों तथा कंपनी हेतु उपयुक्त वित्तीय जोखिम अभिशासन ढाँचे पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को यह आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उपयुक्त नीतियों एवं प्रक्रियाओं द्वारा शासित हैं तथा वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप एवं प्रबंधन कंपनी की नीतियों एवं जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियों की समीक्षा करता है तथा उन पर सहमत होता है, जो नीचे संक्षेप में दी गई हैं।

यह टिप्पणी उन जोखिम स्रोतों को स्पष्ट करती है जिनके प्रति निकाय उजागर है तथा निकाय इस जोखिम एवं वित्तीय विवरणों में हेज लेखांकन के प्रभाव का प्रबंधन कैसे करता है।

जोखिम	से उत्पन्न एक्सपोज़र	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद एवं नकद समतुल्य, परिशोधित लागत पर मापी गई व्यापार प्राप्य वित्तीय संपत्ति	एजिंग विश्लेषण/ क्रेडिट रेटिंग	लोक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमाराशि क्रेडिट सीमाओं एवं अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण
तरलता जोखिम	उधारियाँ एवं अन्य देयताएँ	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों एवं उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम- विदेशी विनिमय	भावी वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त रु. में अंकित नहीं की गई वित्तीय संपत्तियाँ एवं देयताएँ	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन एवं अंकेक्षण समिति द्वारा नियमित निगरानी एवं समीक्षा।
बाजार जोखिम- ब्याज दर	नकद एवं नकद समतुल्य, बैंक जमाराशियाँ एवं म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	लोक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन एवं अंकेक्षण समिति द्वारा नियमित निगरानी एवं समीक्षा।

कंपनी का जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन हेतु लिखित सिद्धांत प्रदान करता है, साथ ही अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियाँ भी।

वित्तीय संपत्तियों की हानि हेतु महत्वपूर्ण अनुमान एवं निर्णय

ऊपर प्रकट वित्तीय संपत्तियों हेतु हानि प्रावधान, चूक जोखिम एवं प्रत्याशित हानि दरों के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने तथा हानि गणना हेतु इनपुट चुनने में, कंपनी के पूर्व इतिहास, विद्यमान बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भावी-दृष्टि अनुमानों के आधार पर, निर्णय का उपयोग करती है।

A. तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकद एवं विक्रेय प्रतिभूतियों को बनाए रखना तथा देय होने पर दायित्वों को पूरा करने हेतु प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से वित्तपोषण की उपलब्धता से है। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी का कोषागार प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के अंतर्गत उपलब्धता बनाए रखकर वित्तपोषण में लचीलापन बनाए रखता है।

प्रबंधन प्रत्याशित नकदी प्रवाहों के आधार पर कंपनी की तरलता स्थिति (जिसमें गैर-आहरित उधार सुविधाएँ शामिल हैं) तथा नकद एवं नकद समतुल्य के पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। यह सामान्यतः कंपनी द्वारा निर्धारित प्रथा एवं सीमाओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

नीचे दी गई तालिका संविदागत असंकलित भुगतानों के आधार पर कंपनी की वित्तीय देयताओं की परिपक्वता प्रोफ़ाइल का सारांश देती है।

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2026			31 मार्च, 2025		
	एक वर्ष से कम	एक से पाँच वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	एक वर्ष से कम	एक से पाँच वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-	-	-
ब्याज दायित्वों सहित उधारियाँ	-	-	1,25,827.74	-	-	1,02,916.97
व्यापार देय	104.23	-	-	145.47	-	-
अन्य वित्तीय देयताएँ	25.84	-	-	32.41	-	-

B. बाजार जोखिम

a) नकदी प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमाराशियों से उत्पन्न होता है, जहाँ ब्याज दर में परिवर्तन कंपनी को नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम के प्रति उजागर करता है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमाराशियों को स्थिर दर पर बनाए रखने की है।

कंपनी लोक उद्यम विभाग (डीपीई) से दिशानिर्देशों, बैंक जमाराशि क्रेडिट सीमाओं एवं अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करती है।

पूँजी प्रबंधन

एक सरकारी निकाय होने के कारण, कंपनी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूँजी का प्रबंधन करती है।

पूँजी संरचना इस प्रकार है:

	31-03-2026	31-03-2025
इक्विटी शेयर पूँजी	10,098.63	10,098.63
दीर्घकालिक ऋण	1,25,827.74	1,02,916.97

4. अन्य सूचना

i. जेसीआरएल बोर्ड बैठक (24वीं, 24.10.2019 को आयोजित) में यह अवगत कराया गया था कि इरकॉन के संबंध में, अन्य कंपनी में निवेश हेतु कंपनी अधिनियम की धारा 186 के अनुसार सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। संयुक्त उद्यम भागीदार मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की सीमाओं को देखते हुए, चूँकि डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य कंपनियों में इक्विटी निवेश हेतु उनकी सीमाएँ लगभग समाप्त हो चुकी हैं, तथा मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सुझावों के अनुरूप, लगभग रु. 100 करोड़ (झारखंड सरकार के पहले से जमा इक्विटी शेयर के आधार पर) की इक्विटी आधार बनाए रखने हेतु। कोयला सचिव की बैठक में, जो 11.12.2020 को आयोजित हुई, यह निर्णय लिया गया कि रु. 100 करोड़ की इक्विटी आधार बनाए रखी जाए। शेष राशि इसके शेयरधारकों द्वारा ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में भुगतान की जाएगी।

इस संबंध में सीसीएल द्वारा विशेषज्ञ की राय प्राप्त करने के पश्चात, जेसीआरएल बोर्ड ने ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में जेसीआरएल में निवेश के संबंध में इरकॉन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। झारखंड सरकार (जीओजे) ने भी 01.02.2021 को आयोजित जेसीआरएल की बीओडी बैठक के दौरान इसे स्वीकार कर लिया है।

उपर्युक्त उल्लिखित तौर-तरीकों के संबंध में अब तक प्राप्त प्रवर्तक के अंशदान का विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

ब्याज-मुक्त ऋण की ओर प्रवर्तक का अंशदान	
प्रवर्तक	**राशि [रु. लाख में]**
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	42,772.20
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	17,376.00
झारखंड सरकार	4,350.00
कुल	**64,498.20**

प्रवर्तकों से प्राप्त उपर्युक्त ब्याज-मुक्त ऋण की राशि, जो परियोजना के समापन अथवा रियायत अवधि की समाप्ति, जो भी बाद में हो, पर चुकौती योग्य है, को इंड एएस 32 [पैरा 16] के अनुसार इक्विटी प्रकृति के वित्तीय लिखत के रूप में माना गया है तथा इसे वित्तीय विवरणों में तदनुसार प्रकट किया गया है।

ii. रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार, विद्युत रेल लाइन के निर्माण से संबंधित कार्य का निष्पादन वित्तीय समापन की तिथि अर्थात् मई 2022 के पश्चात आरंभ हुआ है। रेलवे साइडिंग के निर्माण पर किए गए व्यय के जीएसटी भाग को इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में बुक किया गया था। बाद में, एसपीवी द्वारा आईआर को प्रदान की गई सेवाओं की कर-योग्यता पर 53वीं जीएसटी परिषद की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने जीएसटी परामर्शदाता से राय प्राप्त की है। परिपत्र सं. 228/22/2024-जीएसटी, दिनांक: 15 जुलाई, 2024 तथा जीएसटी अधिसूचना सं. 4/2024-सीटी(आर) दिनांक 12.07.2024 की समीक्षा के पश्चात, जीएसटी परामर्शदाता ने राय दी है कि एसपीवी द्वारा आईआर को प्रदान की गई सेवाएँ जीएसटी के अंतर्गत छूट-प्राप्त हैं अर्थात् जेसीआरएल रेलवे से प्राप्त/प्राप्य 'उपयोगकर्ता शुल्क' की राशि पर कोई जीएसटी देय नहीं होगा। परामर्शदाता द्वारा यह भी नोट किया गया है कि आईटीसी का लाभ विधि में वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद पर कर के भार को निष्प्रभावी करने हेतु, आउटपुट कर देयता के विरुद्ध समायोजन/सेट-ऑफ के माध्यम से, प्रदान किया गया है, यदि कोई हो। चूँकि दिए गए मामले में कोई आउटपुट कर देय नहीं है, अतः आईटीसी का लाभ उठाने का कोई औचित्य नहीं है। जीएसटी विधि में परिवर्तनों तथा संबंधित विशेषज्ञ राय के आधार पर, आज तक लिए गए रु. 120.44 करोड़ के आईटीसी को संबंधित पूँजीगत/व्यय शीर्षों में अपलिखित करने का प्रस्ताव जेसीआरएल बोर्ड के समक्ष उसकी 57वीं बोर्ड बैठक में, जो 14.01.2025 को आयोजित हुई, रखा गया था। जेसीआरएल बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात, लिए गए कुल आईटीसी को पूँजीकृत कर रु. 120.38 करोड़ तथा रु.रु. 0.06 करोड़ क्रमशः।

iii. संबंधित बैंकों द्वारा प्रदत्त ब्याज प्रमाणपत्रों के आधार पर कंपनी द्वारा ब्याज आय दर्ज की गई है।

iv. झारखंड सरकार (जीओजे) ने जनवरी 2021 में जीएमजेजे भूमि के संबंध में एनओसी जारी करने हेतु रु. 216.55 करोड़ की मांग उठाई। संदर्भित मांग की गणना करते समय, संबंधित प्राधिकरणों ने ग्रामीण कृषि दर के बजाय वाणिज्यिक दर पर विचार किया।

इस मुद्दे को उचित सुधार हेतु संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष रखा गया। इसे माननीय कोयला मंत्री तथा झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री के बीच 13.11.2021 को आयोजित बैठक में भी रखा गया था। बैठक के दौरान, मुख्य सचिव, जीओजे ने सूचित किया कि मांग भूमि की ग्रामीण कृषि दर के अनुसार की जाएगी। कोयला मंत्रालय के सचिव तथा झारखंड सरकार के मुख्य सचिव के बीच 11.01.2023 को आयोजित अनुवर्ती बैठक में, इस मुद्दे को इसके अंतिम समाधान हेतु पुनः उठाया गया, जिसमें जिला कलेक्टर, चतरा को इस संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

गत वर्ष के दौरान, जिला प्रशासन हजारीबाग ने कंपनी को अंतरित 34.97 एकड़ जीएम खास महल भूमि हेतु रु. 33.97 करोड़ की मांग भी संसूचित की है। इस शीर्ष पर संचित मांग रु. 250.52 करोड़ है।

झारखंड सरकार ने अपनी भूमि अंतरण नीति 2023 को भी सूचना सं. 3842 दिनांक 24.11.2023 के माध्यम से अधिसूचित किया है, जिसमें यह उल्लिखित है कि विशेष परिस्थितियों में भूमि भारत सरकार को निःशुल्क अंतरित की जाएगी [खंड सं. 4(I)(1)(ग)(4)]। जेसीआरएल के मामले में, रियायत समझौते तथा एमओयू की शर्तों के अनुसार, भूमि ईसी रेलवे के नाम पर अर्जित/अंतरित की जा रही है अर्थात् भूमि का स्वामित्व ईसी रेलवे में निहित है, जो रेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त, झारखंड सरकार भी इस परियोजना में 10% इक्विटी के साथ एक हितधारक है तथा जीओजे, एमओआर एवं एमओसी के बीच एमओयू की शर्तों के अनुसार, भूमि को

जेसीआरएल ने निष्पादक एजेंसी को उपर्युक्त तथ्यों को जिला प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करने तथा नई भूमि अंतरण नीति के अनुरूप मुद्दे का समाधान करने हेतु एक पत्र लिखा है।

v. अनुपात

अनुपात	31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु	को समाप्त वर्ष हेतु 31.03.2025	विचरण	कारण
चालू अनुपात	85.25	27.98	204.68%	चालू अनुपात में वृद्धि मुख्यतः गत वर्ष की तुलना में 'अन्य चालू संपत्तियों' में वृद्धि के कारण है
ऋण-इक्विटी अनुपात	1.63	1.85	-11.89%	यह विचरण रु. से उधारियों-वित्तीय देयताओं में वृद्धि के कारण है। रु. 1,029.17 करोड़ (गत वर्ष) से रु. 1,258.74 करोड़ (चालू वर्ष)
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	-	-	-	-

अनुपात	31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु	को समाप्त वर्ष हेतु 31.03.2025	विचरण	कारण
माल-सूची आवर्तन अनुपात	-	-	-	-
प्राप्य आवर्तन अनुपात	-	-	-	-
व्यापार देय आवर्तन अनुपात	-	-	-	-
निवल पूँजी आवर्तन अनुपात	-	-	-	-
निवल लाभ अनुपात	-	-	-	-
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	-0.02%	-0.02%	00.00%	वर्तमान में, कंपनी के पास एक परियोजना है जो निर्माणाधीन है। परिचालन से कोई आय नहीं है जबकि लाभ-हानि में प्रभारित व्यय में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप नकारात्मक ईबीआईटी हुआ है। चूँकि परियोजना निर्माणाधीन है, अतः प्रगति के साथ नियोजित पूँजी में वृद्धि हुई है। इन इन कारकों ने विचरण उत्पन्न किया है।

अनुपात	31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु	को समाप्त वर्ष हेतु 31.03.2025	विचरण	कारण
इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)	0.98%	0.86%	16.28%	कंपनी की परियोजना निर्माणाधीन है। बैंक में जमा से ब्याज आय में वृद्धि हुई है, इस प्रकार आरओई में वृद्धि हुई है।
निवेश पर प्रतिफल (आरओआई)				
क. इक्विटी निवेश पर आरओआई असूचीबद्ध सहायक कंपनियों में	-	-	-	-
ख. म्यूचुअल फंड पर आरओआई	-	-	-	-
ग. जमा पर आरओआई (आईसीडी सहित बैंक, वित्तीय संस्थानों के साथ)	7.49%	5.23%	43.21%	यह विचरण बैंक में धारित जमा में वृद्धि के कारण है।

चालू अनुपात: चालू अनुपात एक तरलता अनुपात है जो अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने हेतु चालू संसाधनों को मापता है। चालू अनुपात की गणना चालू संपत्तियों को चालू देयताओं से विभाजित करके की गई है।

ऋण-इक्विटी अनुपात: ऋण-इक्विटी अनुपात कंपनी के कुल ऋण की तुलना शेयरधारक इक्विटी से करता है।

ऋण-इक्विटी अनुपात की गणना कुल ऋण को शेयरधारक इक्विटी से विभाजित करके की गई है।

ऋण सेवा कवरेज अनुपात: ऋण सेवा कवरेज अनुपात का उपयोग फर्म की चालू ब्याज एवं किस्तों का भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करने हेतु किया जाता है। ऋण सेवा कवरेज अनुपात की गणना ऋण सेवा हेतु उपलब्ध अर्जन को ऋण सेवा से विभाजित करके की जाती है। ऋण सेवा हेतु अर्जन = कर-पश्चात निवल लाभ + मूल्यह्रास एवं अन्य परिशोधन जैसे गैर-नकद परिचालन व्यय + ब्याज + स्थिर संपत्तियों की बिक्री पर हानि जैसे अन्य समायोजन। ऋण सेवा = ब्याज एवं पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती

माल-सूची आवर्तन अनुपात: माल-सूची आवर्तन एक वित्तीय अनुपात है जो दर्शाता है कि किसी दी गई अवधि के दौरान माल-सूची कितनी बार बेची गई है। माल-सूची आवर्तन की गणना विक्रीत माल की लागत/माल-सूची के औसत मूल्य को विभाजित करके की जाती है। जहाँ, विक्रीत माल की लागत = (कुल व्यय - वित्त लागत - अपलेखन-प्रावधान - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय - स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन)।

प्राप्य आवर्तन अनुपात: प्राप्य आवर्तन अनुपात एक लेखांकन माप है जिसका उपयोग किसी कंपनी की अपने खाता प्राप्य, अथवा ग्राहकों द्वारा बकाया राशि, वसूलने की प्रभावशीलता को परिमाणित करने हेतु किया जाता है। खाता प्राप्य आवर्तन = सकल क्रेडिट बिक्री/औसत व्यापार प्राप्य।

व्यापार देय आवर्तन अनुपात: व्यापार देय आवर्तन दर्शाता है कि कोई कंपनी किसी अवधि के दौरान अपने खाता देय का कितनी बार भुगतान करती है। व्यापार देय आवर्तन अनुपात = कुल क्रय/औसत व्यापार देय।

निवल पूँजी आवर्तन: निवल पूँजी आवर्तन वह माप है जो व्यवसाय में नियोजित पूँजी के उपयोग के संबंध में संगठन की दक्षता को दर्शाता है तथा इसकी गणना कुल वार्षिक कारोबार को शेयरधारक इक्विटी (शेयर पूँजी+अन्य इक्विटी) की कुल राशि से विभाजित करने के अनुपात के रूप में की गई है।

निवल लाभ अनुपात: निवल बिक्री के प्रतिशत के रूप में निवल लाभ।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल: ब्याज एवं कर-पूर्व अर्जन (ईबीआईटी) / नियोजित पूँजी, जहाँ नियोजित पूँजी कुल संपत्ति घटा चालू देयताएँ है।

इक्विटी पर प्रतिफल अनुपात: इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है जिसकी गणना निवल आय को औसत शेयरधारक इक्विटी से विभाजित करके की जाती है। जहाँ निवल आय अवधि हेतु कर-पश्चात लाभ है, औसत शेयरधारक इक्विटी = (आरंभिक इक्विटी + अंतिम इक्विटी)/2।

निवेश पर प्रतिफल: निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग कंपनी द्वारा अपनी निवेश लागत के संबंध में प्राप्त लाभ की गणना हेतु किया जाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, अर्जित लाभ उतना ही अधिक होगा।

I. असूचीबद्ध सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश पर आरओआई: लाभांश / सहायक कंपनियों की इक्विटी में औसत निवेश।

II. म्यूचुअल फंड पर आरओआई = लाभांश + पूँजीगत लाभ + उचित मूल्य लाभ (हानि) / औसत निवेश।

III. जमा पर आरओआई (बैंक, आईसीडी सहित एफडी के साथ) = ब्याज आय / औसत निवेश।

vii. जेसीआरएल को चिह्नित रेल गलियारा परियोजना (कठौतिया-शिवपुर नई बीजी विद्युतीकृत रेल लाइन) हेतु 547.64 हेक्टेयर भूमि अर्जित करना आवश्यक था। 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, जेसीआरएल ने 480.77 हेक्टेयर भूमि अर्जित कर ली है तथा 66.87 हेक्टेयर भूमि अभी अर्जित की जानी शेष है।

viii. शिवपुर-कठौतिया रेल लाइन के निर्माण हेतु, संबंधित खंडों की जीएमजेजे भूमि संबंधित जिला प्राधिकरणों द्वारा जेसीआरएल को अंतरित की गई है, क्योंकि स्वामित्व उनमें निहित था। निष्पादन के दौरान, जेसीआरएल द्वारा यह देखा गया कि शिवपुर-कठौतिया परियोजना के अंतर्गत 08 गाँव थे जहाँ कुछ भूमि ग्रामीणों के अनधिकृत कब्जे में है। इसके अतिरिक्त उक्त स्थान में ग्रामीणों ने अपने निवास हेतु अनधिकृत संरचनाएँ भी निर्मित की हैं। ऐसी परिस्थितियों में उक्त स्थान में निर्माण कार्य निर्धारित समय-सारणी के अनुसार प्रगति पर नहीं है।

जेसीआरएल प्रबंधन ने मामले के शांतिपूर्ण समाधान हेतु पहल की है तथा विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात सीसीएल (धारक कंपनी) की भूमि नीति को अपनाया है। अपनाई गई नीति के अनुसार, जीएमजेजे भूमि पर अनधिकृत कब्जे के मुद्दे को हल करने हेतु, मानवीय आधार पर प्रबंधन ने ऐसी भूमि पर निर्मित संरचनाओं की लागत के 90% की क्षतिपूर्ति काबिजों को, 25% अग्रिम तथा शेष खाली करने पर, प्रदान

करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस शीर्ष पर अनुमानित संभावित बहिर्वाह रु. 8.48 करोड़ था।

चालू वर्ष 31.03.2026 को समाप्त होने के दौरान, सर्वेक्षण एवं मापन के पश्चात, रु. की राशि

चालू वर्ष 31.03.2026 को समाप्त होने के दौरान, सर्वेक्षण एवं मापन के पश्चात, 02 गाँवों के काबिजों को रु. 53.20 लाख का भुगतान किया गया है, जिनमें सभी अनधिकृत संरचनाएँ निवासियों द्वारा खाली कर दी गई हैं तथा इन स्थानों में निर्माण कार्य सुचारु रूप से प्रगति पर है। जेसीआरएल ने शेष 2 गाँवों में शांतिपूर्ण समाधान हेतु आगे पहल भी की है।

ix. शिवपुर-कठौतिया नई बीजी विद्युतीकृत रेल लाइन हेतु अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), दिनांक 02.02.2018, कुल परियोजना लागत रु. 1,799.64 करोड़ अनुमानित करती है। तत्पश्चात, परियोजना की संशोधित लागत अनुमान रु. 2,564.34 करोड़ को जेसीआरएल बोर्ड द्वारा उसकी 57वीं बोर्ड बैठक में, जो 14.01.2025 को आयोजित हुई, अनुमोदित किया गया, जिसकी निर्धारित पूर्णता तिथि 30.06.2026 है।

x. **बेनामी संपत्ति: बेनामी लेनदेन (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरंभ अथवा लंबित नहीं हुई है।**

xi. **बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों के पास दाखिल विवरणियाँ अथवा विवरण: कंपनी द्वारा बैंकों/ वित्तीय संस्थानों के पास दाखिल चालू संपत्तियों की त्रैमासिक विवरणियाँ/विवरण सामान्यतः लेखा-बहियों के अनुरूप हैं।**

xii. **जानबूझकर चूककर्ता: कंपनी को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।**

xiii. **बंद (स्ट्रक-ऑफ) कंपनियों के साथ संबंध: कंपनी ने बंद कंपनियों के साथ कोई भौतिक लेनदेन नहीं किया है।**

xiv. **कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रभारों का पंजीकरण अथवा संतुष्टि: कंपनी द्वारा वैधानिक अवधि से अधिक समय तक कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण हेतु कोई प्रभार अथवा संतुष्टि लंबित नहीं है।**

xv. **कंपनियों की परतों की संख्या का अनुपालन: अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) सहित कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं हैं।**

xvi. **अनुमोदित व्यवस्था योजना(ओं) का अनुपालन: वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 230 से 237 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कोई व्यवस्था योजना नहीं थी।**

xvii. **उधार ली गई निधियों एवं शेयर प्रीमियम का उपयोग:**

(A) कंपनी ने इस समझ के साथ किसी निकाय (मध्यस्थ) को कोई निधि अग्रिम, ऋण अथवा निवेश नहीं की है कि मध्यस्थ कंपनी द्वारा अथवा उसकी ओर से पहचाने गए पक्ष (अंतिम लाभार्थियों) में ऋण अथवा निवेश करेगा।

(B) कंपनी ने इस समझ के साथ किसी पक्ष से कोई निधि प्राप्त नहीं की है कि कंपनी, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी द्वारा अथवा उसकी ओर से पहचाने गए अन्य निकायों ("अंतिम लाभार्थियों")

में ऋण अथवा निवेश करेगी अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा इसी प्रकार का कुछ प्रदान करेगी।

xviii. **क्रिप्टो मुद्रा अथवा वर्चुअल मुद्रा: कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा अथवा वर्चुअल मुद्रा में व्यापार अथवा निवेश नहीं किया है।**

xix. **अप्रकट आय: कंपनी के पास कोई ऐसा लेनदेन नहीं है जो लेखा-बहियों में अभिलिखित न हो तथा जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारणों में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित अथवा प्रकट किया गया हो।**

xx. **वित्तीय वर्ष 2025-26 में लागू हाल की लेखांकन उद्घोषणाएँ: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 में कई संशोधन जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू विभिन्न भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं। इन संशोधनों में इंड एएस 101, 103, 105, 107, 109, 115 में परिणामी संशोधनों सहित इंड एएस 117 - बीमा संविदाओं का प्रारंभ; इंड एएस 116 - पट्टों में संशोधन तथा कुछ बीमाकर्ताओं हेतु इंड एएस 104 की निरंतरता शामिल है। कंपनी ने इन संशोधनों का मूल्यांकन किया है तथा इसके वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पाया है।**

xxi. पूर्व वर्ष के आँकड़ों को, जहाँ आवश्यक हो, तुलनीय बनाने हेतु पुनर्समूहित किया गया है।

xxii. वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं हेतु स्पष्टता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना को अद्यतन किया गया है। इन अद्यतनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

xxiii. टिप्पणी - 1 एवं 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना प्रस्तुत करती हैं, टिप्पणी 3 से 11 तुलन-पत्र का भाग हैं तथा 12 से 15 लाभ-हानि विवरण का भाग हैं। टिप्पणी - 16 वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ प्रस्तुत करती है।

हमारी समान तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते
आर. के. गरोदिया एंड कंपनी सनदी
लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 002004C)

बोर्ड की ओर से

ह/- (सीए दीपक गरोदिया) साझेदार सदस्यता सं. 409246	ह/- पवन कुमार मिश्रा अध्यक्ष डीआईएन- 09665365	ह/- चंद्र शेखर तिवारी निदेशक डीआईएन-10977782
ह/- डॉ. एस. के. सिन्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी	ह/- प्रकाश कु. सिंह मुख्य वित्तीय अधिकारी	ह/- अमरेश प्रधान कंपनी सचिव सद. सं. एफ-11264

दिनांक: 17.04.2026

स्थान: रांची